सत्यमेव जयते

राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों की निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 1

राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों की

निष्पादन लेखापरीक्षा

पर

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सारांश		v
अध्याय I : प्रस्तावना		
उच्च शिक्षा : राज्य का संक्षिप्त विवरण	1.1	3
उच्च शिक्षा के लिए संगठनात्मक ढांचा	1.2	4
उच्च शिक्षा के परिणामों के मापदंड़ों की पहचान करना	1.3	6
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	8
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	8
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्धति	1.6	8
अध्याय II : रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का प्रगमन		
रोजगार क्षमता	2.1	14
रोजगार सुविधा सेवा तंत्र का अस्तित्व और प्रभावी कार्य	2.1.1	14
रोजगार क्षमता में वृद्धि	2.1.2	18
उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के परिणामों का संकेतकों पर आधारित मूल्यांकन	2.1.3	22
परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन	2.2	24
अध्याय III : उच्च शिक्षा की गुणवत्ता		
प्रभावी पाठ्यक्रम	3.1.1	28
प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया	3.1.2	36
प्रभावी शोध के परिणामस्वरुप नवीन ज्ञान का समाज को योगदान	3.2	53
शोध गतिविधियों से संबंधित मुद्दे	3.2.1	53
उद्योग, समुदाय आदि के सहयोग से विस्तार गतिविधियां और छात्र भागीदारी	3.2.2	59
अध्याय IV : उच्च शिक्षा में पहुंच एंव समता		
उच्च शिक्षा तक सुगम पहुंच	4.1	64
सकल नामांकन अनुपात	4.2	68
सामर्थ्यता	4.3	73
उचित अवसंरचना	4.4	77
अध्याय V : शासन एवं प्रबंधन		
शासन	5.1	86
उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्ता	5.2	94
विश्वविद्यालयों का भार कम करना	5.3	94

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
उच्च शिक्षण संस्थानों की संबद्धता	5.4	95
गैर-शैक्षणिक कर्मचारी	5.5	97
वित्तीय प्रबंधन	5.6	97
अध्याय – VI : निष्कर्ष		**101**

परिशिष्ट

संख्या	विवरण	पृष्ठ
1.1	राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों के लिए मुख्य और इनपुट-आउटपुट संकेतकों की सूची	105
1.2	नमूना जांच किए गए संबद्ध राजकीय और निजी महाविद्यालयों में उपलब्ध इनपुट के विवरण	109
1.3	2017-18 के दौरान नैक ग्रेडिंग प्रणाली के तहत 22 विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा विकसित मात्रात्मक सदृश मानदंडों का विवरण	114
2.1	आयुक्त (कॉलेज शिक्षा) द्वारा विधानसभा को प्रतिवेदित और संबंधित महाविद्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत रोजगार की सूचना में पाई गई विसंगतियां	117
3.1	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के 19 कोर्सों के सिलेबस की जांच के नतीजे	118
3.2	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में पुनर्मूल्यांकन नतीजे की घोषणा में देरी का विवरण	120
3.3	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में अपूर्ण पड़ी 22 शोध परियोजनाओं की स्थिति	121
5.1	नमूना जांच किए गए विश्वविधालयों में शासी निकायों की कार्य पद्धति	123
5.2	राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की निधियां जारी करने में देरी	126
5.3	छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण के नतीजे	127
5.4	संक्षिप्त शब्दों का सार	130

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों और भारत सरकार के आउटपुट-आउटकम बजट 2018-19 ने उच्च शिक्षा में पहुंच, समता, गुणवत्ता और शासन के रूप में चार मुख्य क्षेत्रों की पहचान की, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा आयोजना ने भी अवसंरचना के विकास के लिए अपर्याप्त संसाधन, सामाजिक रूप से वंचित जनसंख्या के विशाल वर्ग की उच्च शिक्षा तक पहुंच में कमी, समग्र और वर्ग वार सकल नामांकन अनुपात में कमी, कमजोर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त शिक्षण सहायता, गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त शिक्षकों की कमी, उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात, उद्योगों के साथ जुड़ाव में कमी, और उचित प्रबंधन सूचना तंत्र तथा निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र की अनुपस्थिति आदि महत्व के क्षेत्रों को चिन्हित किया।

उल्लेखनीय है कि इस लेखापरीक्षा के दौरान जांचे और मूल्यांकन किए गए अनेकों पहलुओं जिसमें पहुंच, शिक्षण और शोध की गुणवत्ता और संस्थागत शासन आदि क्षेत्र शामिल हैं, को हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में भी प्राथमिकता दी गई है।

लेखापरीक्षा आशा करती है कि यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 को लागू करने के लिए सौंपे गए महत्वपूर्ण कार्य हेतु प्रशासकों का मार्गदर्शन करेगी।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

इस लेखापरीक्षा को संपादित करने का उद्देश्य

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा दो बुनियादी चिंताओं: निम्न सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) जो कि 2017-18 में 25.8 प्रतिशत था और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, जिसे देश में विश्व स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी द्वारा चिन्हित किया गया है, से ग्रस्त है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा तंत्र को परेशान करने वाले मुद्दें, जैसे कि सीमित पहुंच, शोध पर कम जोर, सीमित संस्थागत स्वायत्तता आदि को दोहराती है। साथ ही, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020 में पाया गया है कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से स्नातक हुए पचास प्रतिशत से अधिक छात्र रोजगार के योग्य नहीं हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के लिए राजस्थान की रैंकिंग 20 (2010-11) से घटकर 23 (2018-19) रह गई।

चूंकि राजस्थान का सकल नामांकन और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता दोनों मामले में प्रदर्शन खराब था, अतः 'राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों' की निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित करने का निर्णय लिया गया।

उच्च शिक्षा में परिणामों की पहचान और उनका मापन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विषय विशेषज्ञों के साथ व्यापक पारस्परिक विचार-विमर्श, और विभिन्न नीति दस्तावेजों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि छात्र उच्च शिक्षा के प्राथमिक परिणाम के रूप में ***'रोजगार क्षमता और उच्च अध्ययन'*** चाहते हैं और समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा ***'शोध के माध्यम से नए ज्ञान का निर्माण'*** और ***'प्रभावी शिक्षण/ अधिगम की प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रसार'*** की दिशा में योगदान करे जबकि सरकार का उद्देश्य ***'उच्च गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तंत्र बनाना है जो कि समाज के सभी वर्गों के लिए आसानी से सुलभ हो'***। यह भी सामने आया कि इन परिणामों को प्राप्त करने में एक ठोस और मजबूत शासन संरचना सर्वोपरि थी।

छात्र प्रगमन, पहुंच, समता, गुणवत्ता तथा शासन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के परिणामों को प्राप्त करने में राज्य की उपलब्धियों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए यह निष्पादन लेखापरीक्षा सामान्य स्ट्रीम (विज्ञान/कला/वाणिज्य) में शिक्षा प्रदान करने वाले चयनित तीन[1] राज्य विश्वविद्यालयों, तीन संघटक महाविद्यालयों एवं 66 संबद्ध राजकीय और निजी महाविद्यालयों में संपादित की गई। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा 2014-19 की अवधि के लिए संपादित की गई थी।

संक्षिप्त में निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि छात्रों के रोजगार/उच्च अध्ययन में प्रगमन/ प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन से संबंधित आंकडों के रखरखाव की प्रणाली उच्च शिक्षा तंत्र के सभी स्तरों पर या तो अपर्याप्त थी या गैर-मौजूद थी। रोजगार सुविधा सेवा तंत्र या तो निष्क्रिय थे या गैर-मौजूद थे।

1 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर तथा गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (जीजीटीयू), बांसवाड़ा।

कार्यकर्मों के पाठ्यक्रम डिजाईन/ संशोधन से पूर्व हितधारकों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए थे। सूचना व सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सुविधाओं की उपलब्धता अपर्याप्त थी और नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में बहुत कम शिक्षक आईसीटी शिक्षण उपकरणों का उपयोग कर रहे थे।

छात्र शिक्षक अनुपात उच्च था तथा नमूना जांच किए गए निजी महाविद्यालयों में बडी संख्या में शिक्षक निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण अहर्ता नहीं रखते थे। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर और गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (जीजीटीयू), बांसवाड़ा में मूल्यांकन प्रणाली परिचालनात्मक और नियन्त्रण में कमी का सामना कर रही थी। नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों का शोध गतिविधियों के संचालन में प्रदर्शन बहुत ही खराब था।

यद्यपि राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात में पिछले नौ वर्षों में मामूली बढ़ोतरी हुई तथापि यह लगातार राष्ट्रीय आंकड़े से कम रहा। 2014-19 के दौरान राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई लेकिन राजस्थान सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजन वर्गों के सकल नामांकन अनुपात के आंकड़े संधारित नहीं किए थे। 2018-19 में राजस्थान का सभी वर्गों का लैंगिक समानता सूचकांक अखिल भारतीय औसत से मेल खाते है। सभी नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ क्रियाशील नहीं थे। नमूना जांच किए गए अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं अपर्याप्त थी और नमूना जांच किए गए सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में रैंप के अतिरिक्त दिव्यांगजन अनुकूल अवसंरचना का अभाव था

राज्य में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) से प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति निराशाजनक थी और नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में शासी निकायों की निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें

अध्याय वार लेखापरीक्षा टिप्पणियां जो कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों का आधार बनी निम्न प्रकार हैं :

अध्याय II : रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का प्रगमन

- कैरियर काउंसलिंग सेल/प्लेसमेंट सेल और पूर्व-छात्र संघ या तो निष्क्रिय थे या गैर-मौजूद थे। नमूना जांच किए गए 99 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों में रोजगार क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए थे। 2018-19 के दौरान नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी छात्र ने फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप नहीं की।

(*अनुच्छेद 2.1.1.1 एवं 2.1.2.2*)

- 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में रोजगार क्षमता/उद्यमिता/ कौशल विकास पर केंद्रित बहुत कम नए कोर्स शुरू किए गए थे।

(*अनुच्छेद 2.1.2.3 एवं 2.1.2.4*)

- छात्र रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के प्रगमन से संबंधित आंकड़े न तो आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा राज्य स्तर के लिए और न ही नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों एवं उनके संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संधारित किए गए थे ।

(अनुच्छेद 2.1.3.1 एवं 2.1.3.2)

सिफारिश :

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को चाहिए कि वह एक कार्यात्मक प्लेसमेंट सेल, कैरियर काउंसलिंग सेल का गठन करें, और स्नातक छात्रों को रोजगार पाने या उच्च अध्ययन हेतु प्रगमन को सुगम बनाने के लिए एक जीवंत पूर्व-छात्र संघ को प्रोत्साहित करें ।

अध्याय III : उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

प्रभावी अधिगम प्रणाली

- सामान्य डिग्री कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम डिजाईन/संशोधित करने के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में उद्योगपतियों, उद्यमियों, छात्रों जैसे हितधारकों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए ।

(अनुच्छेद 3.1.1.2)

- 2014-19 के दौरान (11 चयनित विभागों में से) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में 96 प्रतिशत कार्यक्रमों और जेएनवीयू, जोधपुर में 64 प्रतिशत कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम/सिलेबस संशोधित किए गए थे, जबकि जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2012 में अपनी स्थापना के बाद से 2019 तक किसी भी कार्यक्रम का पाठ्यक्रम संशोधित नहीं किया।

(अनुच्छेद 3.1.1.3)

प्रभावी शिक्षण प्रणाली

- *2018-19* के दौरान नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों में, केवल 10.75 प्रतिशत कक्षाओं में सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) संसाधन उपलब्ध थे और मात्र 30.59 प्रतिशत शिक्षक शिक्षण में आईसीटी उपकरणों का उपयोग कर रहे थे ।

(अनुच्छेद 3.1.2.2)

- राजकीय महाविद्यालयों में संकायों की उपलब्धता अपर्याप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप छात्र शिक्षक अनुपात (औसत) बढ़ कर 88:1 हो गया, जोकि 20:1 की निर्धारित सीमा की अपेक्षा चार गुना से अधिक था ।

(अनुच्छेद 3.1.2.3 (अ))

- नमूना जांच किए गए 30 संबद्ध निजी महाविद्यालयों में, 45.71 प्रतिशत शिक्षकों के पास निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अहर्ता नहीं थी। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की दिशा में भी प्रयास अपर्याप्त थे ।

(अनुच्छेद 3.1.2.3 (ब) एवं 3.1.2.4)

प्रभावी शोध

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा शोध परियोजनाओं पर स्वीकृत अनुदान का केवल 45.82 प्रतिशत का उपयोग किया गया और केवल 39 प्रतिशत शोध परियोजनाएं पूर्ण की जा सकी। आगे, शोध परियोजनाएं पूर्ण होने के परिणाम के रूप में कोई पेटेंट प्राप्त नहीं किया जा सका। जेएनवीयू, जोधपुर में, 62.60 प्रतिशत शोध अनुदान का उपयोग करने के बाद भी 14 शोध परियोजनाओं पूर्ण नहीं की जा सकी। जीजीटीयू, बांसवाड़ा में कोई शोध परियोजना आरंभ नहीं की गई थी। चिंताजनक रूप से, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में, पीएचडी छात्रों द्वारा प्रस्तुत 72 थीसिस मूल्यांकन/ परीक्षण के लिए परीक्षकों के पास 2007 से 2019 तक लंबित थी।

(अनुच्छेद 3.2.1)

सिफारिशें :

- विश्वविद्यालयों को :
  - स्थानीय/राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को समय पर संशोधित/डिजाईन करना चाहिए।
  - सभी कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर प्रणाली को लागू करते हुए अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए और टर्म पेपर, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और साप्ताहिक असाइनमेंट के माध्यम से छात्रों के निरंतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके। यह नई शिक्षा नीति के अनुरूप भी होगा जो कि बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है।
  - यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शोध परियोजनाएं उचित गुणवत्ता के साथ संचालित की जाएं और समाज को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए समय पर पूर्ण हो जाएं।
- शिक्षा प्रदान करने में तकनीकी प्रगति और नवाचारों के साथ तालमेल रखने के लिए, उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षकों को आईसीटी शिक्षण उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

अध्याय IV : उच्च शिक्षा में पहुंच एंव समता

- राजस्थान सरकार के पास असेवित क्षेत्रों में नए महाविद्यालयों की स्थापना के लिए एक विशिष्ट नीति नहीं थी और उच्च शिक्षा सुविधाओं की कमी वाले स्थान की पहचान करने के लिए भौगोलिक मानचित्रण नहीं किया था।

(अनुच्छेद 4.1.1.1 एवं 4.1.1.2)

- उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता में शहरी/ग्रामीण और क्षेत्रवार असंतुलन थे। 2014-15 से 2018-19 के दौरान विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम की सीटों की उपलब्धता में कमी हुई जबकि कला स्ट्रीम में वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 4.1.2.1 से 4.1.2.3)

- यद्यपि राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात 2010-11 में 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 23 प्रतिशत हो गया है लेकिन यह लगातार राष्ट्रीय औसत आंकड़ों से कम रहा है।

(अनुच्छेद 4.2)

- सभी नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में वंचित समूहों की सहायता के लिए सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ जैसे संस्थागत तंत्र क्रियाशील नहीं थे।

(अनुच्छेद 4.2.2)

- जीजीटीयू, बांसवाड़ा और नमूना जांच किए गए अधिकांश राजकीय और निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और फर्नीचर जैसी बुनियादी अवसंरचना पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं थीं। इसके अलावा, नमूना जांच किए गए सभी 66 महाविद्यालयों में रैंप को छोड़कर कोई दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।

(अनुच्छेद 4.4.1)

सिफारिश :

- *राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करें और सभी वर्गों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास करें।*
- *राज्य सरकार को गुणवत्तापूर्ण अवसरंचना की उपलब्धता तथा उच्च शिक्षा के परिणामों के बीच प्रत्यक्ष संबंध को मान्यता देते हुए प्रभावी शिक्षण, पहुंच में सुधार तथा छात्रों की ठहराव दर में वृद्धि हेतु राजकीय महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसरंचना प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए।*
- *विश्वविद्यालयों को ई-लाइब्रेरी के विकास सहित अवसरंचना में सुधार तथा उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों के क्रय और उपयोग के लिए उचित योजना तैयार करनी चाहिए।*

अध्याय V : शासन एवं प्रबंधन

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण होने के बाद भी राजस्थान में सामान्य स्ट्रीम के 1,761 महाविद्यालयों में से मार्च 2019 तक, केवल चार ने ही स्वायत्त का दर्जा प्राप्त किया था।

(अनुच्छेद 5.2)

- राज्य में नैक प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति निराशाजनक थी क्योंकि पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों का केवल 6.04 प्रतिशत ही जनवरी 2020 तक नैक प्रत्यायन प्राप्त थे। साथ ही केवल 0.66 प्रतिशत प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा ए+/ए ग्रेड प्राप्त किए जाने का तथ्य राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जा रही उच्च शिक्षा की कमजोर गुणवत्ता को इंगित करता है।

(अनुच्छेद 5.4)

सिफारिश :

- *नैक प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को महाविद्यालयों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों की कार्यपद्धति की प्रभावी निगरानी करनी चाहिए और उच्च शिक्षण संस्थानों को भी अपने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों को मजबूत करना चाहिए ।*

- *विश्वविद्यालयों को महाविद्यालयों के लिए संबद्धता प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले संबद्धता का नवीनीकरण पूर्ण हो जाए ताकि छात्रों के भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।*

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का संकेतकों पर आधारित मूल्यांकन

- नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का आकलन नौ परिणाम संकेतकों और 17 इनपुट-आउटपुट संकेतकों (कुल मिलाकर 26) जो नैक प्रत्यायन मानदंडों का उपयोग करते हुए विकसित किए गए थे, पर आधारित था और नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त विश्वविद्यालयों को दिए गए ग्रेड का उपयोग करके मापा गया था । नैक द्वारा किसी विश्वविद्यालय को प्रदान की गई अंतिम ग्रेड, नैक द्वारा निर्धारित प्रत्येक संकेतक के समक्ष अलग से प्रदान किए गए अंकों (शून्य से चार, चार सबसे अच्छा) का संचयी प्रतिफल है ।

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने इनमें से 18 संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान/संधारित नहीं किए । इसने चार संकेतकों के समक्ष शून्य अंक, तीन संकेतकों के समक्ष एक अंक, और एक संकेतक के समक्ष चार अंक प्राप्त किए। जेएनवीयू, जोधपुर ने इन संकेतकों में से 18 का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान/संधारित नहीं किए । इसने पांच संकेतकों के समक्ष शून्य अंक, एक संकेतक के समक्ष तीन अंक और दो संकेतकों के समक्ष चार अंक प्राप्त किए। जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने इनमें से चार संकेतकों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान/संधारित नहीं किए। इसने 16 संकेतकों के समक्ष शून्य अंक, दो संकेतकों के समक्ष एक अंक और चार संकेतकों के समक्ष चार अंक प्राप्त किए ।

  जिन संकेतकों के लिए अंक दिए गए थे, वे विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन को इंगित करते हैं लेकिन उल्लेखनीय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (2016 में) और जेएनवीयू, जोधपुर (2011 में) ने पूर्व में ही नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त कर लिया था तो भी दोनों विश्वविद्यालयों ने प्रत्यायन प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक सूचना संधारित नहीं की । इस कारण, अधिकांश संकेतकों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका । नियमित रूप से प्रत्यायन से संबंधित सूचना अद्यतन तथा संधारित की जाए यह सुनिश्चित करना विश्वविद्यालयों की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी थी ।

अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय – I

प्रस्तावना

वर्तमान में भारत में वह शिक्षा जो कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्राप्त होती है और कम से कम तीन वर्ष की अवधि की होती है, उच्च शिक्षा के रूप में परिभाषित की जाती है। यह शिक्षा सामान्य, व्यावसायिक, पेशेवर या तकनीकी शिक्षा की प्रकृति की हो सकती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार, वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा सहित शिक्षा की संरचना ***चार्ट 1.1*** में दर्शाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रचलित संरचना में व्यापक सुधार की परिकल्पना करती है। इसमें कहा गया है कि स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10 + 2 संरचना को 3-18 आयु वर्ग को सम्मिलित करते हुए 5 + 3 + 3 + 4 की एक नए शैक्षणिक और पाठ्यक्रम सरंचना में संशोधित किया जाएगा। {बुनियादी/आधारभूत- 5 वर्ष (आयु 3-8 वर्ष आंगनवाड़ी/पूर्व-स्कूल/बालवाटिका तथा कक्षा 1 व 2 में }, {प्रारंभिक- 3 वर्ष (आयु 8-11 वर्ष कक्षा 3 से 5 में)}, {मध्य- 3 वर्ष (आयु 11-14 वर्ष कक्षा 6 से 8 में)}, और {माध्यमिक- 4 वर्ष (आयु 14 -18 वर्ष कक्षा 9 से 12 में)} ।

चार्ट 1.1 : भारत में शिक्षा की संरचना

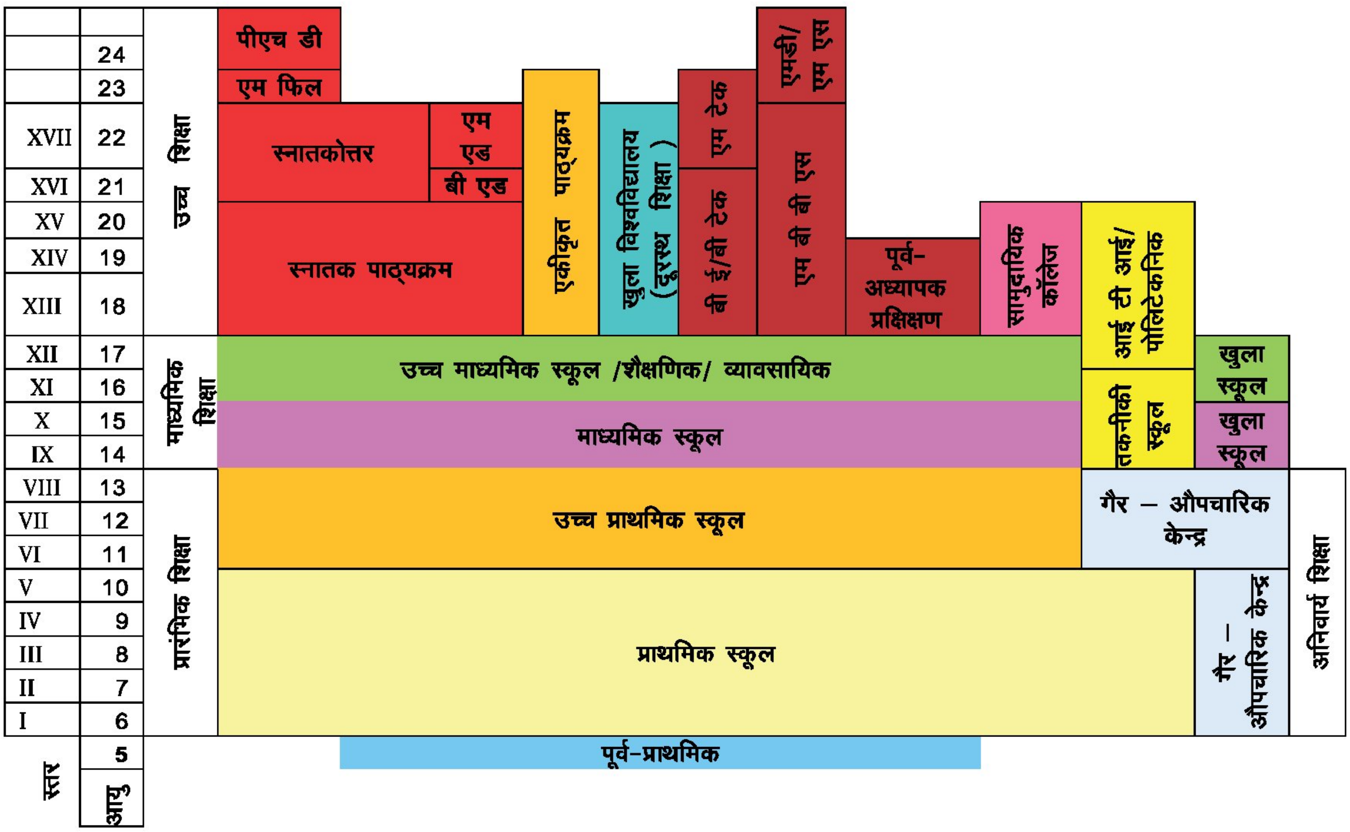

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा दो बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त है। प्रथम निम्न सकल नामांकन अनुपात[2] जो 2017-18 में 25.8 प्रतिशत था। दूसरी बुनियादी समस्या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता है; अर्थात देश में विश्व स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों[3] का अभाव है। इन दोनों पहलुओं पर, राजस्थान के उच्च शिक्षा तंत्र ने कमजोर प्रदर्शन किया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना आगे कुछ पहलुओं को इंगित करती है जिन पर भारतीय उच्च शिक्षा तंत्र का प्रदर्शन अपर्याप्त है। यह निम्नानुसार है :

- उच्च शिक्षा तक पहुंच अभी भी न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम हैं,
- क्षेत्रीय/शहरी/ग्रामीण संतुलन के संदर्भ में संस्थानों का विषम वितरण,
- सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में नामांकन अधिकांशतः परम्परागत विषयों में केंद्रित हैं,
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ अधिकांश विश्वविद्यालयों में किए गए शोध असंतोषजनक हैं,
- बड़ी संख्या में संकाय के पद रिक्त हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 भी वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करती है। इसमें शामिल हैः

- गंभीर रूप से खंडित उच्च शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र,
- विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में सीमित पहुंच,
- योग्यता आधारित कैरियर प्रबंधन तथा संकाय व संस्थागत लीडरों की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र,
- अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोधों पर अपर्याप्त जोर,
- संज्ञानात्मक कौशल के विकास और अधिगम परिणामों पर कम बल,
- विषयों का एक कठोर विभाजन, छात्रों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की और धकेल देना,
- सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता; तथा
- बड़ी संख्या में संबद्धक विश्वविद्यालय, जिनके परिणामस्वरूप स्नातक शिक्षा का निम्न स्तर।

इन मुद्दों के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक रोजगार क्षमता की कमी है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020[4] में पाया गया है कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से स्नातक होने वाले 50 प्रतिशत से

2 सकल नामांकन अनुपात उम्र पर ध्यान दिए बिना, उच्च शिक्षा में एक निश्चित वर्ष में कुल नामांकन है जो कि पात्र आधिकारिक जनसंख्या (18-23 वर्ष) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

3 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2019 की रैंकिंग के अनुसार, प्रथम 300 विश्वविद्यालयों में केवल छह भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान (पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर और खड़गपुर) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु) को स्थान दिया गया। केवल दिल्ली विश्वविद्यालय, पहले 500 सामान्य डिग्री विश्वविद्यालयों में 487 वें स्थान पर है।

4 इंडिया स्किल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से व्हीबोक्स, पीपलस्ट्रॉन्ग एवं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक संयुक्त पहल है।

अधिक छात्र रोजगार योग्य नहीं हैं। साथ ही सामान्य स्ट्रीम के 60 प्रतिशत से अधिक स्नातक छात्र रोजगार योग्य नहीं थे।

वर्तमान में उच्च शिक्षा में मौजूद समस्याओं से छुटकारा पाने के उद्देश्य से, नीतिगत दस्तावेजों जैसे कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना की स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क (2012-17) और भारत सरकार के आउटपुट-आउटकम बजट 2018-19 ने पहुंच, समता, गुणवत्ता और शासन को उच्च शिक्षा के मुख्य क्षेत्रों ***(चार्ट 1.2)*** के रूप में पहचान की है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

चार्ट 1.2 : उच्च शिक्षा में चार मुख्य क्षेत्र

पहुंच	समता	गुणवत्ता	शासन
पर्याप्त संख्या में संस्थानों की उपलब्ता	• उच्च शिक्षा में भागीदारी के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर	• सभी संस्थानों में शिक्षण तथा शोध में सुधार	• पहुंच, समता और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक

1.1 उच्च शिक्षा : राज्य का संक्षिप्त विवरण

- ***उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या तथा सकल नामांकन अनुपात :*** मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा प्रकाशित 'उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट' के अनुसार, वर्ष 2010-11 और 2018-19 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या, महाविद्यालय घनत्व[5], और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के संदर्भ में राजस्थान और समस्त भारत के बीच एक तुलनात्मक विवरण नीचे ***तालिका 1.1*** में दिया गया हैं ।

तालिका 1.1 : उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या और सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	विश्वविद्यालयों की कुल संख्या		महाविद्यालयों की कुल संख्या		महाविद्यालय घनत्व		सकल नामांकन अनुपात		सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य रैंकिंग
	राजस्थान	अखिल भारतीय	राजस्थान	अखिल भारतीय	राजस्थान	अखिल भारतीय	राजस्थान	अखिल भारतीय	
2010-11	43	621	2,435	32,974	29	23	18.2	19.4	20
2018-19	83	993	3,156	39,931	35	28	23.0	26.3	23
वृद्धि	93%	60%	30%	21%	6	5	26%	36%	(-) 3

स्रोत : उच्च शिक्षा की अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट

यह देखा जा सकता है कि 2010-11 और 2018-19 के दौरान यद्यपि राजस्थान में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या तथा महाविद्यालय घनत्व में वृद्धि का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से भी अधिक था, तथापि सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि बहुत कम थी (राजस्थान में 26 प्रतिशत और अखिल भारतीय 36 प्रतिशत)। आगे, उच्च शिक्षा में सकल

5 महाविद्यालय घनत्व = प्रति लाख आबादी पर महाविद्यालयों की संख्या।

नामांकन अनुपात के सन्दर्भ में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राजस्थान की रैंकिंग भी धीरे-धीरे 20 (2010-11) से 23 (2018-19) तक घट गई। ये तथ्य इस ओर इशारा करते है कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि का राज्य में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा।

- ***उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग :*** उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क[6] (एनआईआरएफ) की रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 2019 में देश में शीर्ष 100 रैंक में राजस्थान के केवल दो निजी उच्च शिक्षण संस्थानों[7] को रखा गया था।

- ***उच्च शिक्षण तंत्र में कमजोरी :*** राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत तैयार राजस्थान की राज्य उच्च शिक्षा आयोजना- 2015-22 ने राज्य में उच्च शिक्षा में व्याप्त कई कमजोरियों की पहचान की, जिसमें अवसरंचना के विकास के लिए अपर्याप्त संसाधन, सामाजिक रूप से वंचित जनसंख्या के विशाल वर्ग के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच में कमी, समग्र तथा वर्ग वार सकल नामांकन अनुपात में कमी, कमजोर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त शिक्षण सहायता, छात्रों के लिए व्यवहारिक कौशल और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों की कमी, गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त शिक्षकों की कमी, उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात, उद्योगों के साथ जुडाव का अभाव, उचित प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) और निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली की गैर-मौजूदगी, नैक प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों की अल्प संख्या, पीएचडी शोध प्रकाशन तथा पेटेंट की अल्प संख्या, संस्थागत प्रमुखों का कमजोर नियंत्रण आदि सम्मिलित हैं।

उपरोक्त तथ्यों से सिद्ध होता है कि राजस्थान के उच्च शिक्षा तंत्र का पहुंच, समता, गुणवत्ता और शासन के मामले में प्रदर्शन कमजोर था, राज्य ने भी इन कमियों को स्वीकार किया है। उपरोक्त मुद्दों की जांच करने के लिए, 'राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों' की निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित करने का निर्णय लिया गया।

1.2 उच्च शिक्षा के लिए संगठनात्मक ढांचा

उच्च शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) में शामिल है। तदनुसार, इसकी योजना, कार्यान्वयन और नियमन की जिम्मेदारियों का निर्वहन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा साझे रूप से किया जाता है।

भारत में उच्च शिक्षा के प्रबंधन में शामिल विभिन्न केंद्रीय, राज्य और विश्वविद्यालय प्राधिकारिओं की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों पर संक्षेप में चर्चा नीचे की गई है :

6 एनआईआरएफ को एमएचआरडी द्वारा अनुमोदित और सितंबर 2015 में स्थापित किया गया था। यह देशभर के संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है।

7 बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी (39 वीं रैंक) और बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली (87 वीं रैंक)।

1.2.1 केन्द्रीय स्तर पर

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जुलाई 2020 में परिवर्तित नाम शिक्षा मंत्रालय) नीति और योजना दोनों के संदर्भ में उच्च शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी अवसरंचना के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। एक नियोजित विकास प्रक्रिया के तहत, यह विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों के माध्यम से उच्च शिक्षा में पहुंच और गुणात्मक सुधार के विस्तार की देखभाल करता है। यह राज्य के मौजूदा राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों के समग्र गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत धन प्रदान करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जो कि धन राशि प्रदान करने, समन्वय स्थापित करने, मानकों के निर्धारण और संधारण के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा पर नियंत्रण करता है और निगरानी रखता है ।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक), यूजीसी की एक स्वायत्तशाषी संस्था है जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करती है। यह शैक्षिक प्रक्रियाओं और परिणामों, पाठ्यक्रम कवरेज, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं, संकाय, शोध, बुनियादी ढ़ांचे, अधिगम संसाधनों आदि के संदर्भ में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता के मानकों का मूल्यांकन करती है।

1.2.2 राज्य स्तर पर

राजस्थान में, शासन सचिव की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग, राज्य में उच्च शिक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार से संबंधित समग्र कार्य के लिए उत्तरदायी है। वह राजकीय महाविद्यालयों के प्रशासनिक, शैक्षिक और वित्तीय कार्यों को नियंत्रित करता है और निजी महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है।

रूसा के तहत, राज्य में उच्च शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर, उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा परिषद उत्तरदायी है। रूसा के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निदेशक, रूसा उत्तरदायी है।

1.2.3 विश्वविद्यालय स्तर पर

संबद्ध महाविद्यालयों में बुनियादी अवसरंचना, योग्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और छात्रों को डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय राजकीय और निजी महाविद्यालयों को संबद्ध करता है। महत्वपूर्ण रूप से, विश्वविद्यालय के पास विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम की परिकल्पना करने, उन्हें समय-समय पर

संशोधित/अद्यतन करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि इन कार्यक्रमों के परिणामों को इसके शासी निकायों द्वारा परिभाषित किया जाए ।

कुलपति जो कि विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होता है, सीनेट, सिंडिकेट और शैक्षणिक परिषद् का पदेन सभापति होता है. सिंडिकेट मुख्य कार्यकारी निकाय है जो कि अध्यादेशों को बनाने, संशोधन करने और रद्द करने के लिए उत्तरदायी है और यह शैक्षणिक के साथ-साथ गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्त करता है और उनके कर्त्तव्यों, परिलब्धियों और सेवाओं की शर्तें परिभाषित करता है।

1.3 उच्च शिक्षा के परिणामों के मापदडों की पहचान करना

उच्च शिक्षा के परिणामों (आउटकमस) की पहचान और उनका मापन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुख्य हितधारकों- छात्रों, समाज और सरकार द्वारा अपेक्षित परिणामों को समझने के लिए लेखापरीक्षा ने नीति निर्माताओं (एमएचआरडी), प्रत्यायन एजेंसियों (राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद), नियामक संस्थाएं (यूजीसी), विशेषज्ञों[8] और शिक्षाविदों, आदि के साथ व्यापक परस्पर विचार-विमर्श किया। उनके द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर, लेखापरीक्षा ने उच्च शिक्षा के व्यापक परिणामों और उनको मापने के संबंधित मापदंड तय किए । यह सामने आया कि छात्र उच्च शिक्षा के प्राथमिक परिणाम के रूप में **'रोजगार क्षमता और उच्च अध्ययन'** की इच्छा रखते हैं, और समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा **'शोध के माध्यम से नए ज्ञान के निर्माण में योगदान दे'** और **'प्रभावी शिक्षण/अधिगम की प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रसार'** करें। सरकार का लक्ष्य **'उच्च शिक्षा का उच्च गुणवत्तापूर्ण एक ऐसा तंत्र बनाना है जिस तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच आसानी से हो'**। यह भी सामने आया कि इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक संस्थाओं के शासन की ठोस और मजबूत संरचना सर्वोपरि थी। इसलिए, लेखा परीक्षा ने **'सुशासन के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों'** की पहचान की और उनका मूल्यांकन किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी महसूस किया कि उच्च शिक्षा के परिणामों की उपलब्धि एक प्रभावी उच्च शिक्षा तंत्र की स्थापना और प्रबंधन में आवश्यक कई इनपुट और आउटपुट पर निर्भर करती है। परिणामों, उनके संबंधित इनपुट व आउटपुट और उनके बीच का संबंध ***चार्ट 1.3*** में दर्शाया गया है। चिन्हित किए परिणामों के संबंध में उच्च शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, **26 प्रमुख परिणाम संकेतकों** के साथ-साथ **इनपुट-आउटपुट संकेतकों** ***(परिशिष्ट-1.1)*** को भी तैयार किया गया।

8 श्री वेद प्रकाश (पूर्व अध्यक्ष, यूजीसी), प्रो. दिनेश सिंह (पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय), श्री अजय शाह और सुश्री इला पटनायक (राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के प्रोफेसर), श्री रमेश के. अरोड़ा (पूर्व प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय), श्री सी एस राजन (पूर्व मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार), श्री आशुतोष ए टी पेडणेकर (तत्कालीन विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार) और श्री राजीव करंदीकर (निदेशक, चेन्नई गणितीय संस्थान)

चार्ट 1.3 : उच्च शिक्षा के परिणामों तथा उनसे संबंधित इनपुटस व आउटपुटस के बीच संबंध का आरेखीय निरूपण

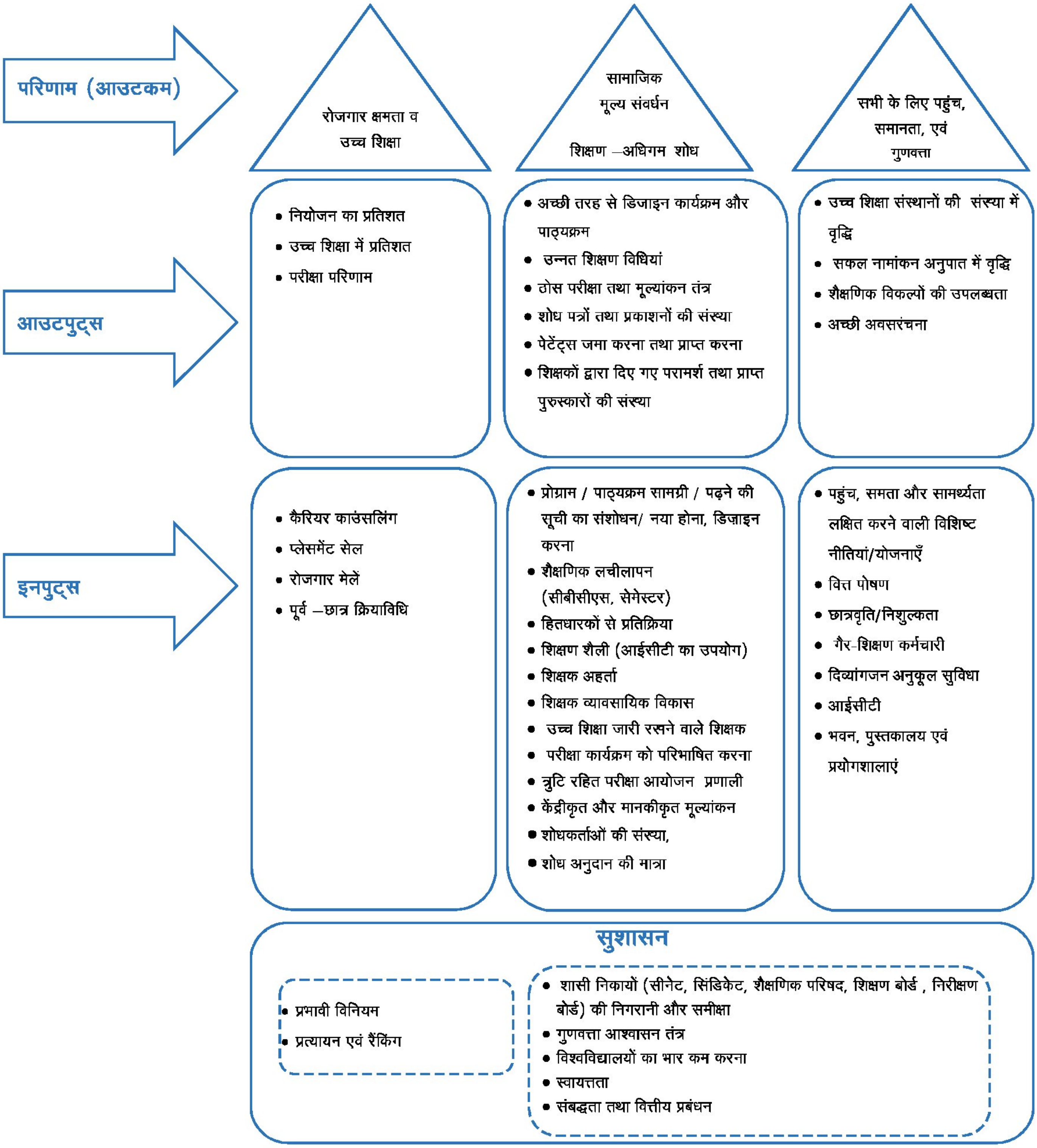

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

'राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों' की निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या :

(i) उच्च शिक्षा तंत्र उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की रोजगार क्षमता और उच्च अध्ययन के प्रगमन में वृद्धि को बढावा देता है;

(ii) उच्च शिक्षा तंत्र ने प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्ता के शोध के माध्यम से समाज में योगदान दिया;

(iii) सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित की गई, और

(iv) उच्च शिक्षा तंत्र का शासन और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

यह निष्पादन लेखा परीक्षा निम्नलिखित दस्तावेजों से प्राप्त मानदंडों के आधार पर की गई थी :

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी 'उच्च शिक्षा की समावेशी और गुणात्मक विस्तार' प्रतिवेदन।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा जारी दिशानिर्देश और नियमावली।
- नैक द्वारा जारी आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ नियमावली।
- रूसा के तहत बनाई गई राज्य उच्च शिक्षा आयोजना (2015-22)।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा विभाग/आयुक्त, कॉलेज शिक्षा आदि द्वारा जारी किए गए परिपत्र/आदेश।
- चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की गई हैण्ड बुक, परिपत्र और दिशानिर्देश।
- चयनित विश्वविद्यालयों के निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- चयनित विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्धति

1.6.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

'उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट' 2018-19 के अनुसार, राजस्थान में कुल 83 विश्वविद्यालय[9] एवं 3,156 महाविद्यालय थे। 23 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय थे, जिनमें से 10 विश्वविद्यालय सामान्य शिक्षा (विज्ञान/कला/वाणिज्य) प्रदान कर रहे थे।

9 83 विश्वविद्यालयों में से 23 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 45 राज्य निजी विश्वविद्यालय, आठ मानित निजी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के पांच संस्थान, एक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 2014-15 से 2018-19 की लेखापरीक्षा अवधि के लिए सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान संपादित की गई थी। लेखापरीक्षा में राज्य के विश्वविद्यालयों, संघटक और संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र प्रगमन, पहुंच, समता, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शासन जैसे पहलुओं की जाँच शामिल थी। सामान्य स्ट्रीम (विज्ञान/कला/वाणिज्य) में शिक्षा प्रदान करने वाले 10 राज्य विश्वविद्यालयों में से तीन[10] (30 प्रतिशत) सरल यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा चुने गए थे। पांच में से तीन संघटक महाविद्यालयों (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से दो और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर से एक) और इन तीन चयनित विश्वविद्यालयों से संबद्ध 602 राजकीय/ निजी महाविद्यालयों में से 60 (10 प्रतिशत) सरल यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा चुने गए थे। संबद्ध महाविद्यालयों की उचित लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए, राजकीय संबद्ध महाविद्यालयों और निजी संबद्ध महाविद्यालयों में से 30 महाविद्यालय नीचे दी गई ***तालिका 1.2*** के विवरण अनुसार चुने गए थे।

तालिका 1.2 : चयनित संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या

	कुल संबद्ध महाविद्यालय	चयनित संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या		
		कुल महाविद्यालय	राजकीय महाविद्यालय	निजी महाविद्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	310	31	15	16
जेएनवीयू, जोधपुर	195	19	10	9
जीजीटीयू, बांसवाड़ा	97	10	5	5
कुल	602	60	30	30

इसके अलावा, सचिव, उच्च शिक्षा और आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के अनुरोध पर, छह अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों (प्रत्येक तीन चयनित विश्वविद्यालयों में से दो) की नमूना जांच भी की गई थी। इस प्रकार, कुल 66 महाविद्यालयों (36 राजकीय महाविद्यालयों और 30 निजी महाविद्यालयों) की नमूना जांच की गई थी (चयनित महाविद्यालयों के नाम ***परिशिष्ट 1.2*** के भाग के रूप में उपलब्ध हैं)। इसके अतिरिक्त, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के अभिलेखों की भी जांच की गई।

1.6.2 लेखापरीक्षा पद्धति

उच्च शिक्षा के परिणामों को प्राप्त करने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षा संपादित की गई थी। ना तो भारत सरकार और ना ही राजस्थान सरकार ने ऐसे परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। उच्च शिक्षा के परिणामों के मूल्यांकन और माप के लिए परिभाषित मानदंडों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा में नीतिगत दस्तावेजों, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों, नैक मूल्यांकन संकेतकों, उच्च शिक्षा विशेषज्ञों के इनपुट और

10 दो विश्वविद्यालय (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर) को छः पुराने विश्वविद्यालयों में से चुने गए थे जो या तो नैक से प्रत्यायन प्राप्त थे या प्रत्यायन के लिए आवेदन किया था और एक विश्वविद्यालय (गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (जीजीटीयू), बांसवाड़ा) को चार अन्य नए विश्वविद्यालयों में से चुना गया था।

राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के सुझावों के आधार पर स्वयं के मानदंड विकसित करने पड़े ।

लेखापरीक्षा ने नैक द्वारा विश्वविद्यालयों को ग्रेड देने के लिए अपनी प्रत्यायन प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली अंक प्रणाली के आधार पर मात्रात्मक सदृश (प्रॉक्सी) मानदंड विकसित किए हैं। नैक अंक प्रणाली के तहत, उच्च शिक्षण संस्थान को प्रत्येक मूल्यांकन मानदंड के लिए अंक (0 से 4 तक) प्रदान किए जाते है । अंतिम ग्रेड देने के लिए भारिता के आधार पर संचयी औसत की गणना की जाती है (जो ए++, ए +, ए , बी ++, बी+, बी, सी, डी में से एक हो सकती है)। गोपनीयता के कारणों से, नैक ने एक विशेष मानदंड पर उच्च शिक्षण संस्थान के प्रदर्शन और तदनुसार नैक द्वारा उसके लिए प्रदान किए गए अंक के बीच सहसंबंध का खुलासा नहीं किया था। हालाँकि, 2017-18 के दौरान नैक ग्रेडिंग प्रणाली के तहत ए++, ए +, ए , बी++, बी +, बी, सी ग्रेड पाने वाले 22 विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के विश्लेषण के आधार पर, लेखापरीक्षा ने प्रत्येक मानदंड के लिए अंकों और प्रदर्शन के बीच एक सहसंबंध विकसित किया ***(परिशिष्ट 1.3)*** । इस सहसंबंध को तब चुने गए विश्वविद्यालयों तथा प्रत्येक चुने हुए संकेतक के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सदृश मानदंडों के रूप में इस्तेमाल किया गया । सितम्बर 2019 में आयोजित परिचयात्मक बैठक के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयों के प्रमुखों के साथ सदृश मानदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा इनको विस्तार से स्पष्ट किया गया ।

कार्यस्थलों के भौतिक निरीक्षण के माध्यम से लेखापरीक्षा संपादित की गई थी तथा प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां, विचार-विमर्श पत्रों और कार्यस्थलों की तस्वीरों के माध्यम से साक्ष्य एकत्र किए गए थे। शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए, छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण के माध्यम से 2,280[11] छात्रों के फीडबैक भी प्राप्त किए गए थे । महत्वपूर्ण सर्वेक्षण नतीजों पर इस प्रतिवेदन के संबंधित अनुच्छेदों में प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ चर्चा की गई है । हालाँकि छात्र सर्वेक्षण के सम्पूर्ण नतीजे ***परिशिष्ट 5.3*** में दिए गए है । सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार और तीनों चयनित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई थी(सितंबर 2019), जिसमें इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा पद्धति एवं सदृश मानदंडों सहित लेखापरीक्षा मानदंडों पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों, प्रतिक्रियाओं और मुद्दों का समाधान करने के लिए चयनित विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों[12] के साथ जून और जुलाई 2020 में निर्गम बैठक (एक्जिट कॉन्फ्रेंस) आयोजित की गई थी । सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के साथ एक्जिट कॉन्फ्रेंस तीन बार निर्धारित होने के बावजूद भी आयोजित नहीं की जा सकी। हालांकि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया था (अगस्त 2020)।

11 प्रत्येक चयनित महाविद्यालयों के 30 छात्रों का (स्नातक कोर्स के द्वितीय/ तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर कोर्स के अंतिम वर्ष के छात्रों की समान संख्या) और विश्वविद्यालयों के प्रत्येक चयनित विभागों से स्नातकोत्तर कोर्स के अंतिम वर्ष के 15 छात्रों का छात्र सर्वेक्षण किया गया था। संबंधित महाविद्यालयों / विभाग के निरीक्षण की तारीख पर उपलब्ध छात्रों में से यादृच्छिक ढंग से छात्रों का चयन किया गया था ।

12 जीजीटीयू, बांसवाड़ा के कुलपति और जेएनवीयू, जोधपुर व आयुक्तालय (कॉलेज शिक्षा) राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों तथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के वित्तीय सलाहकार ।

जेएनवीयू, जोधपुर ने अवगत (अक्टूबर 2020) कराया कि चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जुलाई 2020 में लागू कर दिया गया है, इस प्रतिवेदन में उठाए गए लेखापरीक्षा आपत्तियों को विश्वविद्यालय द्वारा जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अपने जवाब में तथ्य स्वीकार किए (जनवरी 2021) तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

1.7 आभार

लेखापरीक्षा इस निष्पादन लेखा परीक्षा के संपादन में उच्च शिक्षा विभाग; आयुक्त कॉलेज शिक्षा; राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर; जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा के कुलपतियों व संबंधित अधिकारियों तथा चयनित राजकीय महाविद्यालयों और निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।

1.8 प्रतिवेदन की सरंचना

इस प्रतिवेदन की संरचना इस प्रकार की गई है कि यह उच्च शिक्षा के वांछित परिणामों के संदर्भ में राजस्थान सरकार के प्रदर्शन, और इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट और आउटपुट प्रदान करने की दिशा में किए गए प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है। इन परिणामों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती हैं कि सरकार के हस्तक्षेप कितना यथेष्ट और प्रभावी तरीके से नियोजित एवं कार्यान्वित किए जाते हैं। इसलिए, अनेक इनपुट जैसे कि वित्तपोषण और मानव संसाधन, और आउटपुट जैसे कि शोध और पूंजीगत व्यय, जिन्होंने इन परिणामों को सीधे प्रभावित किया था, का भी आकलन किया गया और उन पर टिप्पणी की गई।

चिन्हित किए गए प्रत्येक परिणाम और संबंधित सरकारी हस्तक्षेपों के बारे में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी चार अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई हैं। 'रोजगार क्षमता' और 'उच्च शिक्षा' के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय II में, 'प्रभावी शिक्षण/ अधिगम प्रक्रिया और उच्च गुणवत्ता पूर्ण शोध' के संबंध में अध्याय III में, 'उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच' के संबंध में अध्याय IV में और 'शासन एवं प्रबंधन' के संबंध में अध्ययन V में सम्मिलित किए गए हैं।

अध्याय-II

रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का प्रगमन

अध्याय – II

रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का प्रगमन

इस अध्याय में उच्च शिक्षा के छात्रों से संबंधित परिणामों (आउटकमस) पर चर्चा की गई है, जो छात्रों के रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन में बढ़ोतरी करते हैं। लेखापरीक्षा ने रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्र प्रगमन की वृद्धि के योगदानकारी कारकों और संस्थागत नवाचारों का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य के संदर्भ में किया।

लेखा परीक्षा उद्देश्य 1 : क्या उच्च शिक्षा तंत्र उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की रोजगार क्षमता और उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन में वृद्धि को बढ़ावा देता है

छात्र प्रगमन और इसके प्रति योगदान करने वाले विभिन्न कारकों के बीच संबंध को निम्नलिखित निरूपण के माध्यम से समझा जा सकता है :

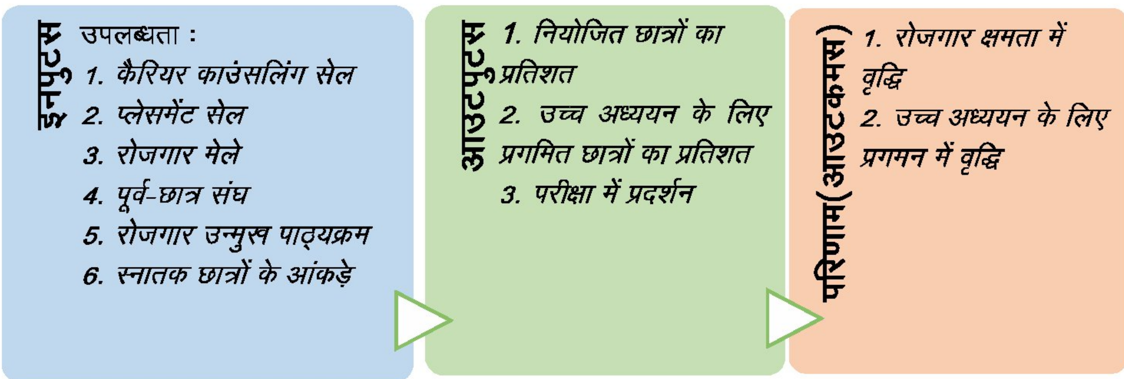

छात्र प्रगमन शिक्षा की गुणवत्ता के अलावा कैरियर काउंसलिंग सेल, प्लेसमेंट सेल, पूर्व-छात्र संघों, रोजगार मेलों और स्नातक छात्रों के आंकड़ों के उचित रखरखाव सहित कई सुविधा सेवा तंत्रों के अस्तित्व और प्रभावी कार्य पद्धति पर सीधे निर्भर करता है। प्लेसमेंट व कैरियर काउंसलिंग सेल और पूर्व-छात्र संघ उद्योगों के साथ जुडाव स्थापित करने और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी ढंग से उभरते हुए व्यावसायिक पैटर्न के संदर्भ में वास्तविकताओं और रोजगार विविधताओं के समक्ष रोजगार के अवसर तलाशनें में उचित मार्गदर्शन के साथ छात्रों की मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम के पहलुओं जैसे कि रोजगार केंद्रित कोर्स, इंटर्नशिप और फील्ड प्रोजेक्ट आदि के माध्यम से भी रोजगार क्षमता में वृद्धि की जाती है।

अनुच्छेद 2.1.1.1 (ii), एवं 2.1.2.2 (i) और 2.1.2.3 के सम्बन्ध में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर ने अपने सभी विभागों के लिए समेकित और पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की। सम्पूर्ण सूचना की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा ने संबंधित विश्वविद्यालयों के चयनित 11 विभागों[13] से ऐसी सूचना एकत्र की।

13 रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र एवं व्यवसायिक सांख्यिकी, व्यवसायिक प्रशासन, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र।

2.1 रोजगार क्षमता

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन उस कौशल, ज्ञान और दक्षताओं की उपस्थिति को जो कि किसी कर्मचारी के रोजगार को सुरक्षित रखने और बनाए रखने, कार्य में प्रगति और परिवर्तन के साथ सामना करने की क्षमता में वृद्धि करते हैं, रोजगार क्षमता के रूप में परिभाषित करता है। कोई व्यक्ति रोजगार के लिए सबसे अधिक योग्य तब होता है जब उनके पास व्यापक शिक्षा और प्रशिक्षण एवं सामूहिक कार्य क्षमता, समस्या समाधान, सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और संचार तथा भाषा कौशल सहित बुनियादी एवं सुवाहय उच्च स्तरीय कौशल होता हैं।

रोजगार क्षमता में सामान्य कौशल महत्वपूर्ण हैं क्योंकि श्रम बाजार तीव्र प्रतिस्पर्धी है, और नियोक्ता ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो कि लचीले होते हैं और विभिन्न वातावरणों में विभिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता रखते हैं।

इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020[14] के अनुसार 2014-20 की अवधि के दौरान, अखिल भारतीय स्तर पर, बीएससी, बीए एवं बी कॉम स्नातक कार्यक्रमों ने औसतन 37.47 प्रतिशत, 32.34 प्रतिशत और 31.86 प्रतिशत रोजगार योग्य स्नातक तैयार किए। इसके विपरीत, सामान्य स्ट्रीम के 60 प्रतिशत से अधिक स्नातक रोजगार योग्य नहीं थे। यह सामान्य स्ट्रीम में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एक उच्च स्तरीय रोजगार सुविधा सेवा तंत्र की स्थापना के लिए मजबूत औचित्य है।

2.1.1 रोजगार सुविधा सेवा तंत्र का अस्तित्व और प्रभावी कार्य

उच्च शिक्षण संस्थानों में प्लेसमेंट सेल, कैरियर काउंसलिंग सेल और पूर्व-छात्रसंघ जैसे रोजगार सुविधा सेवा तंत्र का अस्तित्व दो कारणों से जरूरी है। प्रथम वे रोजगार के इच्छुक लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ा कर उन्हें सही क्षेत्रों की पहचान करने, अपने कार्य कौशल को बेहतर करने और नियोक्ताओं द्वारा स्वीकार किये जाने में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर, वे प्रशिक्षित मानव संसाधन के विशाल समूह तक पहुंचने के लिए संभावित नियोक्ताओं को एक मंच भी प्रदान करते हैं।

14 इंडिया स्किल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से व्हीवोक्स, पीपल स्ट्रॉन्ग एवं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक संयुक्त पहल है। यह रिपोर्ट भारत के 28 राज्यों और नौ केंद्र शासित प्रदेशों के 3500 शैक्षणिक संस्थानों के 3,00,000 उम्मीदवारों, तथा नौ उद्योग क्षेत्रों में फैले 150 से अधिक कॉर्पोरेट्स के मूल्यांकन का एक संयोजन है। यह रिपोर्ट 2014 से जारी होने वाली वार्षिक संस्करण का सातवां संस्करण है।

चार्ट 2.1: रोजगार सुविधा सेवा तंत्र

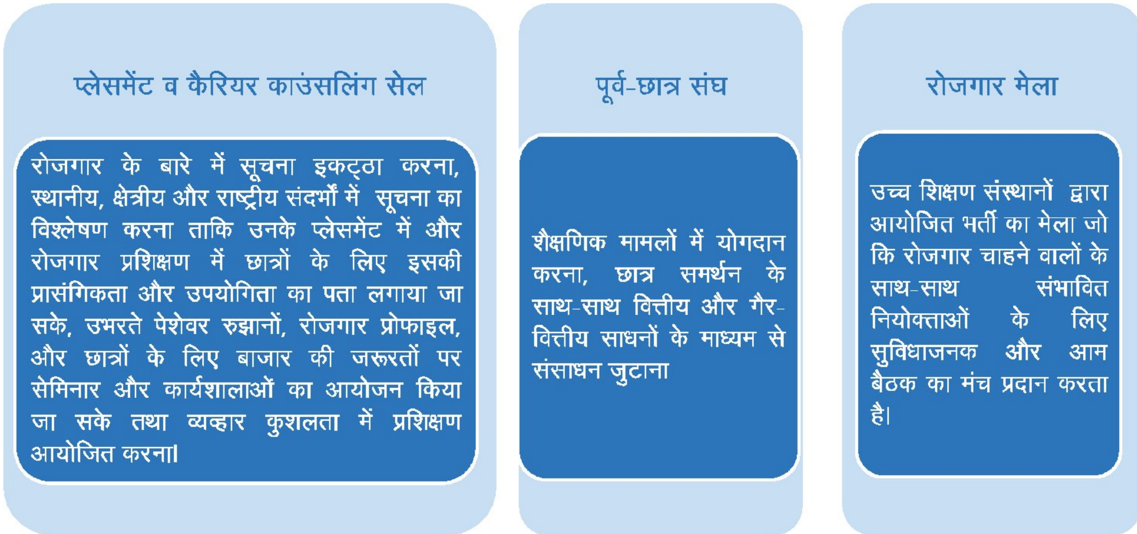

बाजार की माँगों और व्यक्तिगत अपेक्षाओं के बारे में दृष्टिकोण के अंतराल को ऐसे तंत्र के प्रभावी प्रचालन के माध्यम से कम किया जा सकता है।

रोजगार सुविधा सेवा तंत्रों के संबंध में नमूना-जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों की लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बिन्दुओं को प्रकट किया :

2.1.1.1 नमूना-जांच किए गए विश्वविद्यालयों में :

(i) ***प्लेसमेंट सेल*** : राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर; जीजीटीयू, बांसवाड़ा तथा जेएनवीयू, जोधपुर और उनके चयनित संघटक महाविद्यालयों ने 2014-19 के दौरान सामान्य स्ट्रीम (विज्ञान, कला और वाणिज्य) के लिए प्लेसमेंट सेल का गठन नहीं किया। ऐसा इस तथ्य के बावजूद भी था कि यूजीसी ने जेएनवीयू, जोधपुर से विश्वविद्यालय परिसर में काउंसलिंग व प्लेसमेंट सेल स्थापित करने और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने का अनुरोध (दिसम्बर 2014) किया था।

(ii) ***कैरियर काउंसलिंग सेल तथा पूर्व-छात्र संघ***

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और दो चयनित संघटक महाविद्यालयों में, छात्रों को शैक्षणिक और भविष्य के कैरियर विकल्पों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कैरियर काउंसलिंग सेल के स्थान पर एक छात्र सलाहकार परिषद् स्थापित (अक्टूबर 2016) किया था। छात्र सलाहकार परिषद् के निदेशक ने लेखापरीक्षा को बताया कि वर्ष 2016-19 के दौरान 4,930 छात्रों को भविष्य के कैरियर विकल्पों[15] से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया गया था।

  इस प्रकार, छात्र सलाहकार परिषद् ने अपने को केवल कैरियर कोर्स से संबंधित सूचना प्रदान करने तक ही सीमित रखा। इसने विभिन्न संस्थानों में रोजगार अवसर, संभावित

---

15 उपलब्ध कैरियर कोर्स, भारत और विदेशों के भीतर संस्थानों द्वारा प्रदान करने वाले कैरियर कोर्स, उपलब्ध छात्रवृत्ति आदि ।

पदस्थापन के अवसरों से संबंधित सूचना प्रदान नहीं किया। साथ ही इसने छात्रों के प्लेसमेंट तथा रोजगार के प्रशिक्षण के लिए उनकी प्रांसगिकता और उपयोगिता का पता लगाने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संदर्भों में सूचनाओं का आकलन नहीं किया, जैसा कि यूजीसी के दिशा निर्देशों में अपेक्षित था।

विश्वविद्यालय के दो संघटक महाविद्यालयों में से केवल एक संघटक महाविद्यालय (महारानी महाविद्यालय) और दो विभागों (प्राणी विज्ञान और भौतिक विज्ञान) में पूर्व-छात्र संघ गठित किए गए थे । यद्यपि पूर्व-छात्र संघ की वर्ष 2014-19 के दौरान नौ बैठकें आयोजित की गई थीं, लेकिन प्लेसमेंट और कैरियर मार्गदर्शन इन पूर्व-छात्र संघ बैठकों की कार्य-सूची का हिस्सा नहीं थे ।

- जेएनवीयू, जोधपुर और एक संघटक महाविद्यालय ने ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के अनुसरण में एक कैरियर काउंसलिंग सेल की स्थापना (जनवरी 2010) की थी, लेकिन निधियों की अनुपलब्धता के कारण यह मार्च 2017 से निष्क्रिय हो गया ।

  वर्ष 2014-19 के दौरान ना तो जेएनवीयू, जोधपुर में और ना ही उसके किसी संघटक महाविद्यालय में पूर्व-छात्र संघ का गठन किया गया था।
- जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2014-19 के दौरान कैरियर काउंसलिंग सेल और पूर्व-छात्र संघ गठित नहीं किए।

(iii) रोजगार मेला: राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और उसके दो संघटक महाविद्यालयों ने वर्ष 2014-19 के दौरान केवल एक रोजगार मेले का आयोजन किया (वर्ष 2016 में), जिसमें 57 कम्पनियों/ नियोक्ताओं ने भाग लिया । भाग लेने वाले 4,000 छात्रों में से 449 को रोजगार मिला। अपने संघटक महाविद्यालय सहित जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2014-19 के दौरान कोई रोजगार मेला आयोजित नहीं किया ।

जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने रोजगार सुविधा सेवा तंत्र के बारे में तथ्यों को स्वीकार किया (जून 2020)। जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने आगे अवगत कराया कि, एक नव स्थापित (2012) विश्वविद्यालय होने के कारण, उसे कई अवसंरचनात्मक और संसाधनों की कमियों जैसे कि स्वयं के भवन का अभाव, शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी आदि का सामना करना पड़ा। अतः वह कैरियर काउंसलिंग सेल, और पूर्व-छात्र संघ की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दे सकी । राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया (जनवरी 2021) और अवगत कराया कि प्लेसमेंट सेल के गठन तथा विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों के सभी विभागों में कैरियर काउंसिल सेल व पूर्व-छात्र संघों की स्थापना के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे ।

2.1.1.2 नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में :

राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप आयुक्त, कॉलेज शिक्षा ने सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को अपने महाविद्यालय में प्लेसमेंट सेल का गठन करने हेतु निर्देश दिए (सितंबर 2014) थे। नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में प्लेसमेंट सैल और अन्य रोजगार सुविधा सेवा तंत्र के अस्तित्व से संबंधित स्थिति ***चार्ट 2.2*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.2: नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में रोजगार सुविधा सेवा तंत्र का अस्तित्व

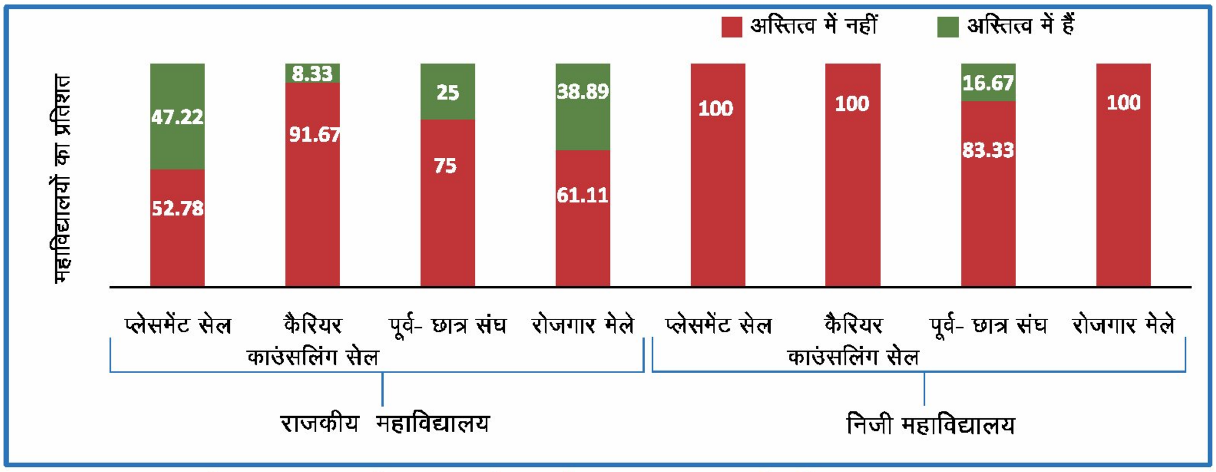

स्रोत : नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना

चार्ट 2.2 स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अधिकांश नमूना जांच किए गए निजी महाविद्यालयों ने अपने-अपने परिसरों में बुनियादी रोजगार सुविधा सेवा तंत्रों का गठन नहीं किया था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए 38.89 प्रतिशत राजकीय महाविद्यालयों ने 2014-19 के दौरान 55 रोजगार मेलों[16] का आयोजन किया जिसमें 114 छात्रों को रोजगार दिया गया।

उत्तम कार्यप्रणाली : गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा; राजकीय महाविद्यालय, जयपुर और राजकीय बालिका महाविद्यालय, लालसोट ने 2014-19 के दौरान प्रति वर्ष रोजगार मेलों का आयोजन किया।

2.1.1.3 छात्र सर्वेक्षण के नतीजे : छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण का प्रश्न कि *"क्या आप रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी संस्था के प्लेसमेंट सेल द्वारा की गई पहलों से संतुष्ट हैं?"* के उत्तर में नमूना जांच किए गए 17 राजकीय महाविद्यालयों जहाँ प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया था, के 501 छात्रों में से लगभग 48 प्रतिशत छात्रों ने प्लेसमेंट सेल की कार्यप्रणाली को लेकर असंतुष्टि / आंशिक संतुष्टि जाहिर की थी।

इसी तरह, छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण के प्रश्न कि *"क्या आप रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अपने संस्थान के कैरियर काउंसलिंग सेल द्वारा की गई पहलों से संतुष्ट हैं?"* के उत्तर में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और नमूना जांच किए गए तीन राजकीय महाविद्यालयों जहाँ छात्र सलाहकार परिषद्/कैरियर काउंसलिंग सेल का गठन किया गया था, के 358 छात्रों में से लगभग 50 प्रतिशत छात्रों ने इन पहलों को लेकर असंतुष्टि/आंशिक संतुष्टि जाहिर की थी।

इस प्रकार, रोजगार अवसरों को बढ़ाने और रोजगार की संभावनाओं को सुधारनें हेतु पहल करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने में उच्च शिक्षण संस्थानों की विफलता के कारण छात्र उनके

---

16 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुरः नौ महाविद्यालयों में 49 रोजगार मेलों में 91 छात्रों को रोजगार मिला, जीजीटीयू, बांसवाड़ाः दो महाविद्यालयों में छः रोजगार मेलों में 23 छात्रों को रोजगार मिला, जिसमें 13 संभाव्य नियोक्ताओं ने भाग लिया।

पेशेवर क्षितिज को व्यापक बनाने और सार्थक कैरियर हासिल करने की संभावनाओं को बढ़ावा देने वाली इन बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए।

2.1.2 रोजगार क्षमता में वृद्धि

इंडिया स्किल रिपोर्ट बताती है कि नियोक्ता सकारात्मक रुख, अनुकूलन क्षमता, अधिगम क्षमता और पारस्परिक कौशल रखने वाले रोज़गार इच्छुकों को वरीयता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को यदि रोजगारोन्मुखी गतिविधियां जैसे कि रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यकर्मों, फील्ड प्रोजेक्ट्स/ इंटर्नशिप में भाग लेने का अवसर दिया जाए तो उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से यदि रोजगार केंद्रित कोर्स छात्रों को उपलब्ध कराए जाते हैं तो रोजगार प्राप्ति की संभावनाओं में और अधिक सुधार होता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक एवं शैक्षिक वचनबद्धता[17] है। यह पारस्परिकता के विचार तथा ज्ञान और विशेषज्ञता की सहभागिता को आगे बढ़ाता है। ***चार्ट 2.3*** में रोजगार वृद्धि में सम्मिलित विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है।

आगे, राज्य उच्च शिक्षा आयोजना (2015-22) भी स्नातकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उद्योग के साथ संस्थागत जुड़ाव के निर्माण की परिकल्पना करती है। इसके अनुरूप, राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ने सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को उनके संबंधित महाविद्यालयों में 2017 और 2018 में आयोजित किए जाने वाले उद्यमिता और रोजगार मेलों में निकट स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को आमंत्रित करने के निर्देश (अक्टूबर 2017 और जनवरी 2018) दिए थे।

चार्ट 2.3: रोजगार वृद्धि उन्मुख पहलु

रोजगार वृद्धि के कार्यक्रम

- संभावित कर्मचारियों के पास मौजूद कौशल और संभावित नियोक्ताओं द्वारा अपेक्षित क्षमताओं जैसे कि व्यव्हार कुशलता/ संचार कौशल, अंग्रेजी भाषा बोलना व लिखना आदि के बीच के अंतर को ख़त्म करना।

फील्ड प्रोजेक्ट / इंटर्नशिप

- फील्ड प्रोजेक्ट में सर्वेक्षण करना और निर्दिष्ट सामग्री से संबंधित नामित समुदायों या क्षेत्रों से आकड़े एकत्र करना शामिल है। इंटर्नशिप ऐसी गतिविधियां हैं जिनके कुछ क्रेडिट होते हैं और एक निर्धारित संरक्षक के मार्गदर्शन में एक संगठन में काम करना सम्मिलित करती हैं।

औद्योगिक-शैक्षिक जुड़ाव

- शिक्षकों द्वारा उद्योगों को परामर्श देना और उनके शोध एवं विकास गतिविधियों में सहायता । उद्योगों द्वारा छात्रों के प्लेसमेंट/इंटर्नशिप और उनके कौशल विकास और रोजगार में विश्वविद्यालयों की सहायता करने वाले उद्योग।

रोजगारोन्मुखी कोर्स

- कोर्स जिनका पाठ्यक्रम प्रासंगिक है और रोजगार बाजार की गतिशीलता के अनुरूप है।

---

17 विश्वविद्यालय- औद्योगिक अंतर समन्वय केंद्रों की स्थापना के लिए यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार ।

2.1.2.1 रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का संकेतकों पर आधारित मूल्यांकन

लेखापरीक्षा ने नैक बेंचमार्क के आधार पर चार परिणाम संकेतकों के माध्यम से रोजगार क्षमता पर केन्द्रित कोर्स/ नए कोर्सों की संख्या, फील्ड प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या और कार्यात्मक एमओयू की संख्या के सन्दर्भ में नमूना जांच किए गए तीन विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का आकलन किया। यह सूचना नीचे ***तालिका 2.1*** में दी गई हैं (संकेतकों का विवरण *परिशिष्ट 1.1* में क्रम संख्या 1 से 3 तथा 10 पर दिया गया है)। इन संकेतकों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई हैं ।

तालिका 2.1: संकेतकों के संबंध में नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

क्र. सं.	परिणाम संकेतक	अधिकतम चार अंकों के लिए नैक बेंचमार्क	नैक बेंचमार्क के संबंध में नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन (प्राप्त[18] अंक)				
			राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर		जेएनवीयू, जोधपुर		जीजीटीयू, बांसवाड़ा
			विश्वविद्यालय स्तर	चयनित 11 विभाग	विश्वविद्यालय स्तर	चयनित 11 विभाग	
1.	2014-19 के दौरान रोजगार पर केन्द्रित कोर्सों का औसत प्रतिशत	50 % और अधिक	टिप्पणी नहीं की जा सकी	2	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	0
2.	2014-19 के दौरान रोजगार पर केन्द्रित पेश किए गए नए कोर्सों का प्रतिशत	10 % और अधिक	टिप्पणी नहीं की जा सकी	-	0	-	4
3.	2018-19 के दौरान फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप में भाग लेने वाले छात्रों का प्रतिशत	10 % और अधिक	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	0
4	उद्योग और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ निष्पादित एमओयू की संख्या	30 और अधिक	0	-	0	-	0

2.1.2.2 रोजगार वृद्धि कार्यक्रम, फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप तथा उद्योग- शैक्षिक जुड़ाव

नमूना जांच किए गए तीन विश्वविद्यालयों और 66 महाविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

(i) नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में :

- ***रोजगार क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम और फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप:*** नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों एवं संघटक महाविद्यालयों में से किसी ने भी 2014-19 के दौरान रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम एवं इंटर्नशिप का आयोजन नहीं किया । तथापि, जेएनवीयू, जोधपुर ने यूजीसी वित्त पोषित कोचिंग योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

18 लेखापरीक्षा द्वारा चयनित संकेतकों पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन के अनुसार अंक आवंटित किए गए हैं और इसकी तुलना नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्कोरिंग पैटर्न (परिशिष्ट 1.3) का विश्लेषण करके प्राप्त बेंचमार्क के साथ की गई है।

दो प्रकार की कोचिंग कक्षाएं[19] आयोजित की थीं। यद्यपि इन कक्षाओं में 227 छात्र सम्मिलित हुए, लेकिन विश्वविद्यालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं/नेट में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आकड़े संधारित नहीं किए थें । राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि रोजगार वृद्धि कार्यक्रमों के संबंध में छात्रों के हित में कार्रवाई की जाएगी। फील्ड प्रोजेक्ट के संबंध में, यह बताया गया कि यह उन पाठ्यक्रमों में किए गए थे जहां आवश्यकता होती है। हालांकि, विश्वविद्यालय ने सामान्य स्ट्रीम के उन पाठ्यक्रमों का ब्योरा नहीं दिया, जिसमें 2014-19 के दौरान फील्ड प्रोजेक्ट किए गए थे ।

- ***औद्योगिक-शैक्षिक जुड़ाव :*** यद्यपि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा और सामाजिक विज्ञान तथा वन शोध के बारे में छात्रों के अध्ययन और शोध गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों[20] के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने एक एमओयू (2011 में) तथा जेएनवीयू, जोधपुर ने दो एमओयू निष्पादित किए, तथापि, नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों ने उद्योगों के साथ कोई भी एमओयू नहीं किया।

(ii) नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में :

- नमूना जांच किए गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में से, किसी ने भी फील्ड प्रोजेक्ट/ इंटर्नशिप की शुरुआत नहीं की तथा उद्योग अथवा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के साथ एमओयू निष्पादित नहीं किए । आगे, जीजीटीयू, बांसवाड़ा से संबद्ध केवल हरिदेव जोशी राजकीय बालिका महाविद्यालय, बांसवाड़ा ने वर्ष 2014-19 के दौरान कंप्यूटर सीखने तथा अंग्रेजी बोलने का एक रोजगार वृद्धि कार्यक्रम आयोजित किया (2017-18)।
- नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में से किसी ने भी वर्ष 2014-19 के दौरान रोजगार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का आयोजन, फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप की शुरुआत, राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के साथ एवं उद्योगों के साथ एमओयू निष्पादित नहीं किए ।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि नमूना जांच किए गए 99 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों ने, रोजगार वृद्धि कार्यक्रम आयोजित नहीं किए और जहां भी ये आयोजित किए गए, वहां कोई भी सूचना जो उनकी प्रभावशीलता को समझने में मदद करती, संधारित नहीं की गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों को शैक्षिक रूप से प्रशिक्षित होने के बावजूद, उनके व्यावहारिक कौशल को प्रखर बनाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं कराए गए थे और वे वास्तविक विश्व कार्य वातावरण से परिचित होने से वंचित रहे।

2.1.2.3 रोजगार क्षमता/उद्यमिता/ कौशल विकास पर केंद्रित कोर्स

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी

---

19 प्रतियोगी परीक्षाओं यथा द्वितीय श्रेणी शिक्षक, शिक्षक पात्रता पूर्व परीक्षा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा, आदि में उपस्थित होने और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट)/राज्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए ।

20 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, नई दिल्ली के साथ और जेएनवीयू, जोधपुर ने शुष्क वन अनुसंधान संस्थान और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ एमओयू निष्पादित किए ।

रिपोर्ट के अनुच्छेद 4.3 के अनुसार, सिलेबस को रोजगार बाजार की गतिशीलता के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

चूंकि विशिष्ट मापदंड जो कि रोजगार क्षमता पर केन्द्रित एक कोर्स को रेखांकित करता है स्पष्ट नहीं हैं तथा इस संबंध में उच्च शिक्षण संस्थानों ने उनके द्वारा चुने गए मापदंडों के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी थी, इसलिए इस भाग में लेखापरीक्षा टिप्पणियां संबंधित नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित है। इस प्रकार, एक विश्वविद्यालय ने एक कोर्स विशेष को रोजगार क्षमता पर केंद्रित कोर्स[21] के हिस्से के रूप में सम्मिलित किया था, जबकि दूसरे विश्वविद्यालय ने उसी कोर्स को बाहर रखा। 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए तीन विश्वविद्यालयों में रोजगार क्षमता/ उद्यमिता / कौशल विकास पर केंद्रित कोर्सों की स्थिति ***चार्ट 2.4*** में नीचे दी गई है।

चार्ट 2.4 : रोजगार क्षमता / उद्यमिता/ कौशल विकास पर केन्द्रित कोर्स

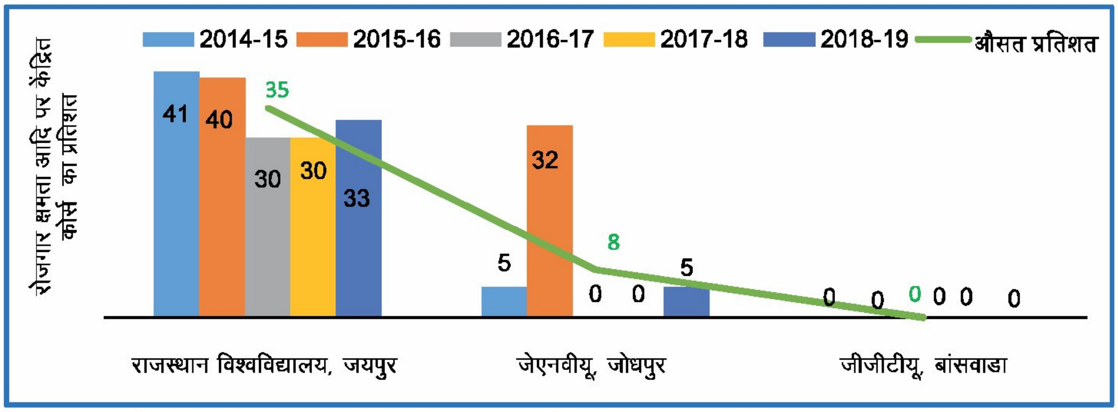

स्रोतः संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना

चार्ट 2.4 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों में, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में रोजगार क्षमता पर केंद्रित कोर्सों की संख्या में कमी हुई है। चिंताजनक बात है कि, 2014-19 के दौरान, जीजीटीयू, बांसवाड़ा में चलाए जा रहे कोर्सों में से कोई भी कोर्स रोजगार क्षमता/उद्यमिता/ कौशल विकास पर केंद्रित नहीं है।

जेएनवीयू, जोधपुर ने तथ्यों को स्वीकार (जून 2020) कर लिया। जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने अवगत कराया (जून 2020) कि एमबीए, पीजीडी (योग), डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और एमए इन एजुकेशन कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किए जा रहे हैं जो कि छात्रों को अधिक रोजगारपरक बनाते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि इस संबंध में भविष्य में और अधिक जोर दिया जाएगा।

तथ्य यह है कि सामान्य स्ट्रीम की शिक्षा में कोई भी कोर्स रोजगार क्षमता पर केंद्रित नहीं है।

---

21 उदाहरण के लिए, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने सूचित किया कि एमकॉम (एबीएसटी), एमकॉम (सीएमए), एमएससी (भौतिक विज्ञान) रोजगार क्षमता पर केंद्रित है, जबकि जेएनवीयू, जोधपुर ने कहा कि ये कोर्स रोजगार क्षमता पर केंद्रित नहीं हैं।

- आगे, नमूना जांच किए गए 66 महाविद्यालयों में 2014-19 के दौरान चल रहें कोर्सों में से कोई भी कोर्स रोजगार क्षमता /उद्यमिता /कौशल विकास पर केन्द्रित नहीं था।

2.1.2.4 नए कोर्स प्रारंभ करना

नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2014-19 के दौरान क्रमशः दो नए कोर्स और एक नए कोर्स प्रारम्भ किए गए थे और ये सभी कोर्स रोजगार क्षमता पर केंद्रित थे। हालांकि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने उसी अवधि के दौरान पांच नए कोर्स प्रारम्भ किए, लेकिन उन्होंने यह अवगत नहीं कराया कि इनमें से कितने कोर्स रोजगार क्षमता पर केंद्रित थे।

जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2018-19 से प्रबंधक मंडल[22] की मंजूरी के बिना विज्ञान संकाय {एमएससी (गणित)} में एक नया कोर्स शुरू किया और कला संकाय के तीन कोर्स बंद कर दिए। पूछताछ करने पर, विश्वविद्यालय ने अवगत कराया (जनवरी 2020) कि प्रशासनिक कारण से कोर्स शुरू और बंद किए गए थे । राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि विश्वविद्यालय द्वारा संसाधनों की कमी के कारण नए कोर्स शुरू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस संबंध में भविष्य में और अधिक जोर दिया जाएगा।

2.1.3 उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों के परिणामों का संकेतकों पर आधारित मूल्यांकन

नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा रोजगार क्षमता में वृद्धि और उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन में प्रदर्शन का आकलन रोजगार नियोजन, उच्च अध्ययन में प्रगमन और प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। नैक बेंचमार्क के आधार पर इन मापदंडों का मूल्यांकन निम्नलिखित तीन संकेतकों के माध्यम से किया गया है- *2018-19 के दौरान उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन करने वाले छात्रों का प्रतिशत, 2014-19 के दौरान राज्य/ राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्रतिशत तथा 2014-19 के दौरान निवर्तमान छात्रों के प्लेसमेंट का औसत प्रतिशत* (***परिशिष्ट 1.1*** का क्रम संख्या 4,5 एवं 11)।

2.1.3.1 नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में :

- ***छात्रों के जॉब प्लेसमेंट की स्थिति :*** छात्रों के जॉब प्लेसमेंट से तात्पर्य संस्थान द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के माध्यम से छात्र द्वारा अपने कार्यक्रम को पूरा करने से पहले रोजगार प्राप्त करना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किए गए सभी तीन विश्वविद्यालयों और चयनित संघटक महाविद्यालयों ने 2014-19 के दौरान कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार पाने वाले छात्रों के आंकडें संघारित नहीं किए।

- ***उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन :*** जो छात्र उच्च अध्ययन में प्रगमन की इच्छा रखते है उनके लिए स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट आदि का अध्ययन भी कैरियर का एक विकल्प है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी नमूना जांच किए गए तीन विश्वविद्यालयों ने अपने कैंपस

---

22 यह विश्वविद्यालय का शीर्ष कार्यकारी निकाय है।

के साथ-साथ संघटक महाविद्यालयों से 2018-19 के दौरान उच्च अध्ययन करने वाले निवर्तमान छात्रों के आंकडें संघारित नहीं किए ।

- ***प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना :*** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित प्रतियोगी परिक्षाएं छात्र प्रगमन के लिए अच्छे अवसर प्रदान करती हैं । स्नातक छात्रों को रोजगार के लिए अहर्ता प्राप्त करने या उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन के लिए कई प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं । लेखापरीक्षा ने यह पाया कि नमूना जांच किए गए सभी तीन विश्वविद्यालयों ने उन छात्रों के आंकड़ें संधारित नहीं किए जो 2014-19 के दौरान अपने कैंपस के साथ-साथ चयनित संघटक महाविद्यालयों से राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे।

- हालांकि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (2016 में) और जेएनवीयू जोधपुर ने (2011 में) पूर्व में ही नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त कर लिया था, तो भी दोनों विश्वविद्यालयों ने रोजगार और उच्च अध्ययन के लिए छात्र प्रगमन के संबंध में आंकड़े संघारित नहीं किए। यह सुनिश्चित करना आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की ज़िम्मेदारी थी कि प्रत्यायन के लिए प्रासंगिक सूचनाएं नियमित रूप से संधारित तथा अद्यतन की जाए । इस प्रकार, यह इन विश्वविद्यालयों में आईक्यूएसी की कार्य पद्धति में विफलता को इंगित करता है जिसकी **अध्याय-V में चर्चा** की गई है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि समय-समय पर रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे और संबंधित विभागों और महाविद्यालयों को रोजगार नियोजन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के आंकडें संधारण करने के संबंध में निर्देश जारी किए जाएंगे।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा आवश्यक आंकडें संघारित नहीं किए जाने के कारण, नमूना जांच किए गए सभी विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन करने वाले छात्रों, राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों और कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार प्राप्त छात्रों के संबंध में विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का आकलन तथा उस पर टिप्पणी नहीं कर सकी । अतः इन विश्वविद्यालयों में रोजगार क्षमता तथा उच्च शिक्षा के लिए प्रगमन में वृद्धि का आकलन नहीं किया जा सका ।

2.1.3.2 नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में :

- हालांकि, नमूना जांच किए गए 36 में से 11 (30.56 प्रतिशत) राजकीय महाविद्यालयों में प्लेसमेंट की सूचना संधारित करने की प्रणाली पाई गई थी, लेकिन इनमें से केवल चार महाविद्यालय[23] ही 2014-19 के दौरान औसतन 0.13 प्रतिशत (85,044 छात्रों में से 114) छात्रों को रोजगार देने में सक्षम हुए ।

---

23 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुरः दो राजकीय महाविद्यालय (58,750 छात्रों में से 91 को रोजगार दिया गया था) और जीजीटीयू, बांसवाड़ाः दो राजकीय महाविद्यालय (26,294 छात्रों में से 23 को रोजगार दिया गया था) ।

आगे, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (आठवीं विधानसभा सत्र के एक प्रश्न संख्या 2840 के उत्तर में) की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2014-18 की अवधि के दौरान 52 राजकीय महाविद्यालयों में आयोजित कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से कुल 2,652 छात्रों को रोजगार मिला। इन 52 राजकीय महाविद्यालयों में से 11 की नमूना जांच इस निष्पादन लेखापरीक्षा में की गई और नौ महाविद्यालयों[24] के सम्बन्ध में आंकड़ों में महत्वपूर्ण विसंगतियां देखी गईं। आयुक्तालय ने प्रतिवेदित किया की इन नौ महाविद्यालयों में 582 छात्रों को प्लेसमेंट मिला था जबकि इन महाविद्यालयों ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि केवल 45 छात्रों को रोजगार मिला था (विवरण ***परिशिष्ट 2.1*** में दिया गया है)।

- नमूना जांच किए गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में से चार महाविद्यालयों [25] में 2014-19 के दौरान राज्य /राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में 156 छात्र उत्तीर्ण हुए। आगे, इन चार राजकीय महाविद्यालयों में, परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या उपलब्ध नहीं थी। इस तरह की सूचना के अभाव में, उत्तीर्ण हुए छात्रों के प्रतिशत की गणना नहीं की जा सकी।

- नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में से किसी ने भी छात्रों के प्लेसमेंट, उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन और 2014-19 के दौरान राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों के संबंध में आंकडें संधारित नहीं किए।

2.2 परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन

एक उच्च शिक्षण संस्थान में शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन में परिलक्षित होती है। इस तरह का प्रदर्शन अधिगम परिणामों की ऐसी विशेष क्षमताएं है, जिनसे एक कोर्स और/या एक कार्यक्रम के सफल समापन पर एक छात्र को सक्षम होना चाहिए, की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है ।

इस संदर्भ में, नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन ***2018-19 के दौरान उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत (परिशिष्ट 1.1*** का क्रम संख्या 12) के अनुसार किया गया था। लेखापरीक्षा ने नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों के छात्रों के श्रेणी (डिवीज़न) वार नतीजों का भी विश्लेषण किया ।

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में 2018-19 के दौरान विज्ञान, कला और वाणिज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में सम्मिलित सभी छात्रों का प्रदर्शन ***चार्ट 2.5*** में नीचे दिया गया है ।

24 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुरः तीन राजकीय महाविद्यालय (आयुक्तालय द्वारा प्रतिवेदित किए गए प्लेसमेंट की संख्याः 223 और लेखापरीक्षा को संबंधित महाविद्यालयों द्वारा सूचित प्लेसमेंट की संख्याः 30; जेएनवीयू,जोधपुरः चार महाविद्यालय (14 और 0) और जीजीटीयू, बांसवाड़ाः दो महाविद्यालय (345 और 15)।

25 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुरः तीन राजकीय महाविद्यालयों में 141 छात्र उत्तीर्ण हुए और जीजीटीयू, बांसवाड़ाः एक राजकीय महाविद्यालय में 15 छात्र उत्तीर्ण हुए ।

चार्ट 2.5 : 2018-19 के दौरान परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन

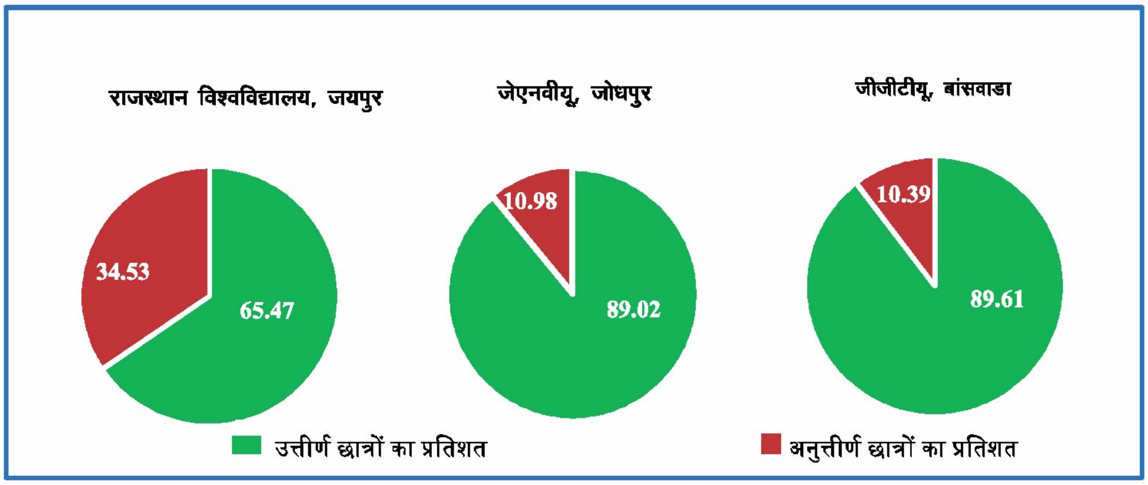

चार्ट 2.5 से यह देखा जा सकता है कि 2018-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और उनके सभी संघटक/संबद्ध महाविद्यालयों (पास प्रतिशत 65.47 के साथ) का प्रदर्शन अन्य दो विश्वविद्यालयों की तुलना में कमतर था, जबकि यह राज्य का सबसे बड़ा और पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय है।

इसके अलावा, सभी तीन विश्वविद्यालयों में, प्रथम श्रेणी/बी+ ग्रेड से ऊपर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अत्यधिक असंतोषजनक थी (16.21 प्रतिशत और 22.44 प्रतिशत के बीच), जिसे आगे ***चार्ट 2.6*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6 : परीक्षाओं में छात्रों का श्रेणी-वार प्रदर्शन

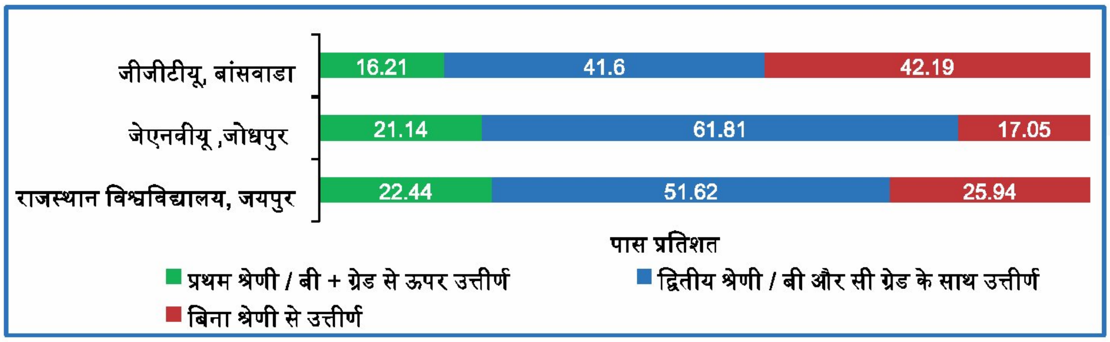

जेएनवीयू, जोधपुर ने बताया कि उन्होंने यूजी और पीजी स्तर के छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षणिक विषयों में अपने शैक्षणिक कौशल और भाषाई दक्षता में सुधार के लिए, और अन्य शैक्षिक कार्यों के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करने और ज्ञान को मजबूत करने के लिए बुनियादी विषयों की तथा विभिन्न विषयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए उपचारात्मक कोचिंग का आयोजन किया। जीजीटीयू, बांसवाडा ने खराब स्कोरिंग वाले छात्रों के लिए कोई उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित नहीं कीं, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने इस विषय मे जानकारी नहीं दी।

- आगे, केवल नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों के कैंपस/संघटक महाविद्यालयों में जो छात्र परीक्षा में उपस्थित हुए थे उनमें, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत

90.12 प्रतिशत, जेएनवीयू, जोधपुर में 93.26 प्रतिशत और जीजीटीयू, बांसवाड़ा में 70.27 प्रतिशत था। नैक द्वारा विश्वविद्यालयों की प्रत्यायन की प्रक्रिया में ***2018-19 के दौरान उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत*** संकेतक के लिए, 90 प्रतिशत या इससे अधिक छात्र उत्तीर्ण होने पर किसी संस्थान को अधिकतम अंक प्रदान किए थे। तदनुसार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर चार अंक (अधिकतम) और जीजीटीयू, बांसवाड़ा एक अंक प्राप्त करने के लिए पात्र थे।

चार्ट 2.7: चुने हुए संकेतक के आधार पर चयनित विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

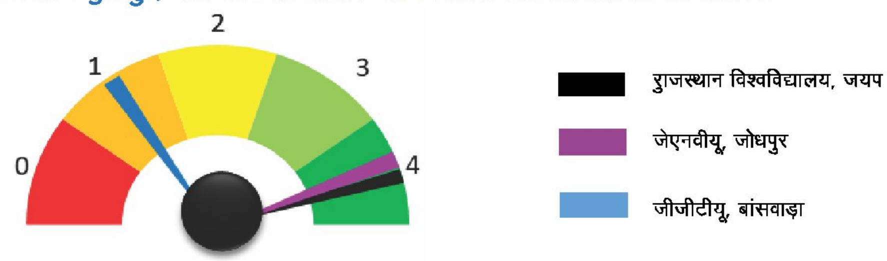

उत्तम कार्यप्रणाली : 2014-19 के दौरान हरिदेव जोशी राजकीय बालिका महाविद्यालय, बांसवाड़ा में विज्ञान स्ट्रीम में प्रति वर्ष 100 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए ।

सारांश एवं सिफारिशें

रोजगार क्षमता एवं उच्च अध्ययन के लिए छात्रों का प्रगमन

राज्य में उच्च शिक्षा तंत्र के सभी स्तरों पर छात्रों का रोजगार व उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन से संबंधित आंकड़े संधारित करने का तंत्र लगभग गैर-मौजूद था। यहां तक कि नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में भी, ऐसे आंकड़े संधारित नहीं किए जा रहे थे । इस प्रकार छात्र सम्बन्धी मुख्य परिणामों जैसे '**रोजगार क्षमता और उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन**' का मूल्यांकन पर्याप्त रूप से नहीं किया जा सका । आगे, निष्क्रिय या गैर-विद्यमान रोजगार सुविधा सेवा तंत्र और रोजगार वृद्धि कार्यक्रमों की कमी के परिणामस्वरूप छात्रों को अच्छा रोजगार पाने और कैरियर विकल्प चुनने के लिए आवश्यक सहायता और सुविधा से वंचित होना पड़ा। हालांकि महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों का कुल अनुपात अधिक था, लेकिन प्रथम श्रेणी/ग्रेड बी+ से ऊपर उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बहुत कम था ।

सिफारिशें :

1. प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को चाहिए कि :

क. वह एक अच्छी तरह से कार्यात्मक प्लेसमेंट सेल, कैरियर काउंसलिंग सेल का गठन करें, और स्नातक छात्रों को रोजगार पाने या उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन सुगम बनाने के लिए एक जीवंत पूर्व-छात्र संघ को प्रोत्साहित करें। और

ख. संस्था में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता की वास्तविक और उचित स्थिति का चित्रण करने के लिए संबंधित आंकडें एकत्र करने और संधारित करने का एक मजबूत तंत्र बनाए ।

अध्याय-III

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

अध्याय-III

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता

यह अध्याय शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं और उच्च शिक्षा तंत्र की शोध क्षमताओं के संदर्भ में उच्च शिक्षा परिणामों (आउटकमस) के सामाजिक परिप्रेक्ष्य की चर्चा करता है। लेखापरीक्षा ने उच्च शिक्षण संस्थानों और राजस्थान सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों का निम्न लेखापरीक्षा उद्देश्य के संदर्भ में आकलन किया ।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: क्या उच्च शिक्षा तंत्र ने प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्तापूर्ण शोध के माध्यम से समाज में योगदान दिया

बारहवीं पंचवर्षीय योजना सामान्य स्ट्रीम (कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्गों) में उच्च शिक्षा प्रदान करने में गुणवत्ता पर जोर देती है। इसमें उल्लेख है कि, सामान्य शिक्षा यदि उचित रूप से प्रदान की जाए, तो यह ज्ञान आधारित कैरियर के लिए एक उत्कृष्ट आधार हो सकती है। साथ ही, इण्डिया स्किल रिपोर्ट[26] 2020 के अनुसार, बीएससी, बीए और बीकॉम कार्यक्रमों ने, अखिल भारतीय स्तर पर 2014-20 की अवधि के दौरान अल्प संख्या में रोजगार योग्य स्नातक तैयार किए हैं। इसलिए, सामान्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की ओर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

गुणवत्ता संबंधी परिणामों और योगदानकारी कारकों के साथ उनके सहसंबंध को निम्नलिखित निरूपण से समझा जा सकता है।

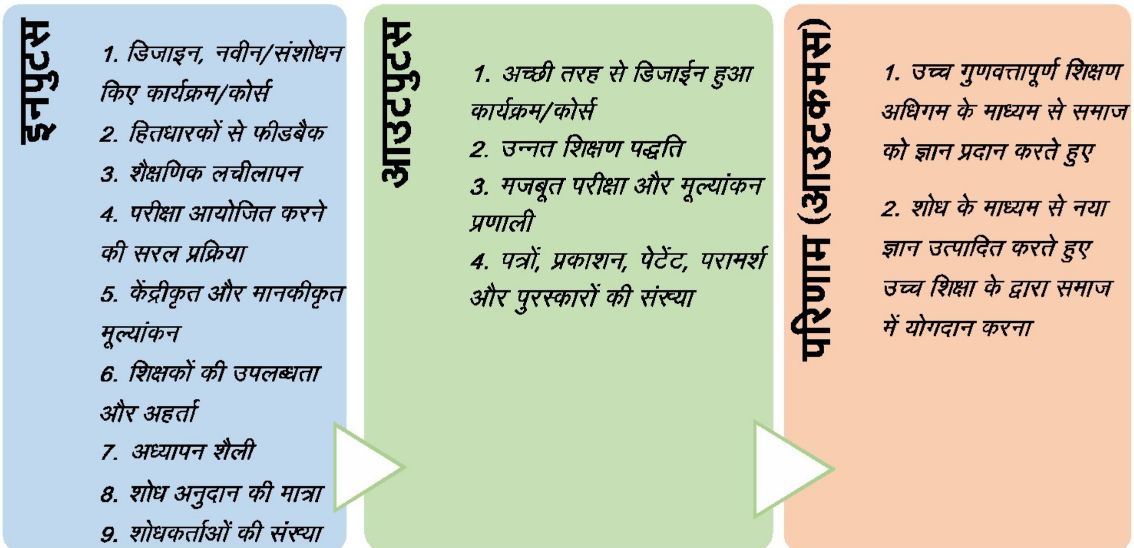

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर ने अनुच्छेद 3.1.1.2 से 3.1.1.4, 3.1.2.2, 3.1.2.3 (द), 3.1.2.5 (ब), 3.2 .1.3 (अ) और (ब) और 3.2.2 (i) में चर्चा किए गए मुद्दों के संबंध में समेकित और पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की। पूर्ण सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा ने संबंधित विश्वविद्यालयों के चयनित 11 विभागों[27] से उक्त सूचना एकत्र की।

---

26 वर्ष 2014-20 के दौरान बीएससी, बीए और बीकॉम स्नातक कार्यक्रमों ने औसतन क्रमशः 37.47 प्रतिशत, 32.34 प्रतिशत और 31.86 प्रतिशत रोजगार योग्य स्नातक तैयार किए।

27 रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र और व्यवसायिक सांख्यिकी, व्यवसायिक प्रशासन, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र ।

प्रभावी पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान करके समाज को योगदान

3.1 प्रभावी पाठ्यक्रम और शिक्षण–अधिगम की प्रक्रिया

3.1.1 प्रभावी पाठ्यक्रम

इस खंड में, पाठ्यक्रम डिजाईन व विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों और संबंधित चार संकेतकों के प्रदर्शन के माध्यम से परिणामों के मूल्यांकन पर चर्चा की गई है। इन संकेतकों का उपयोग नैक द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रक्रिया के दौरान भी किया जाता है।

3.1.1.1 परिणाम संकेतकों के आधार पर विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

लेखापरीक्षा ने नैक बेंचमार्क के आधार पर निम्नलिखित चार परिणाम संकेतकों के माध्यम से प्रभावी पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में नमूना जांच किए गए तीन विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का आकलन किया। जिसकी जानकारी ***तालिका 3.1*** में दी गई है। (संकेतक का विवरण *परिशिष्ट– 1.1* में क्रम सं 6,7,13 और 14 में दिया गया है), इन संकेतकों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

तालिका 3.1 : संकेतकों के संबंध में नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

क्र. सं.	परिणाम संकेतक	अधिकतम चार अंकों के लिए नैक बेंचमार्क	नैक बेंचमार्क के संदर्भ में नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन (प्राप्त अंक[28])				
			राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर		जेएनवीयू, जोधपुर		जीजीटीयू, बांसवाड़ा
			विश्वविद्यालय स्तर	चयनित 11 विभाग	विश्वविद्यालय स्तर	चयनित 11 विभाग	
1.	2014-19 के दौरान कार्यक्रमों में पाठ्यक्रमों के संशोधन का प्रतिशत	50% और ऊपर	टिप्पणी नहीं की जा सकी	4	टिप्पणी नहीं की जा सकी	4	0
2.	2014-19 के दौरान प्रारम्भ किए गए मूल्यवर्धित कोर्सो की संख्या	50% और ऊपर	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	0
3.	2014-19 के दौरान मूल्य वर्धित कोर्सो में नामांकित छात्रों का औसत प्रतिशत	10% और ऊपर	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	0
4.	2018-19 के दौरान विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली वाले कार्यक्रमों का प्रतिशत	50% और ऊपर	0	-	3	-	0

28 लेखापरीक्षा द्वारा चयनित संकेतकों पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन के अनुसार अंक आवंटित किए गए हैं और इसकी तुलना नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्कोरिंग पैटर्न का विश्लेषण करके निकाले गए बेंचमार्क के साथ की गई है जिसका विवरण (परिशिष्ट 1.3) में दिया गया है।

3.1.1.2 पाठ्यक्रम डिजाईन व विकास

विश्वविद्यालयों और स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक पाठ्यक्रम डिजाईन व विकास करना है और उनसे ऐसी अपेक्षा कि जाती है कि इस जिम्मेदारी के निर्वहन में सहयोगी प्रक्रियाएँ, तंत्र और संरचनाएं अस्तिव में हों।

चार्ट 3.1 : पाठ्यक्रम डिजाईन व विकास में सम्मिलित प्रक्रियाएं और कृत्यकारी

पाठ्यक्रम डिज़ाईन व विकास प्रक्रिया	हितधारकों का फीडबैक	अग्रणी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से सन्दर्भ लेना
यह हितधारकों से फीडबैक पर आधारित, विशेषज्ञ समूहों के परामर्श से उचित आवश्यकता-आधारित इनपुट विकसित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों की व्यवसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप लचीलेपन के साथ प्रासंगिक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों का विकास होता है।	हितधारक विषय, वितरण की विधि, मूल्यांकन की आवश्यकता और पाठ्यक्रम जो विशेष व्यवसाय के लिए योग्य हो के लिए सूचनादाता और संचालक होते है। हितधारक स्थानीय आवश्यकताओं और उद्योग की आवश्यकता के राष्ट्रीय और वैश्विक रुझानों के बारे में सुझाव देते हैं।	यह अत्याधुनिक विषयों को शामिल करने के साथ-साथ मौजूदा पाठ्यक्रम में सुधार करने में भी मदद करता है।

पाठ्यक्रम डिजाईन व विकास, हितधारकों से फीडबैक पर आधारित, विशेषज्ञ समूहों से परामर्श के उपरांत आवश्यकता-आधारित उचित इनपुटस विकसित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों की व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति और मुख्य मूल्यों की प्राप्ति के लिए लचीलापन के साथ संबंधित प्रासंगिक उच्च शिक्षा कार्यक्रमों[29] का विकास होता है।

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि:

(i) पाठ्यक्रम डिजाईन व विकास प्रक्रिया

प्रत्येक संस्थान पाठ्यक्रम डिजाईन व विकसित करने तथा इस उद्देश्य के लिए अपनी प्रक्रिया बनाने का प्राधिकार रखता है। नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और संबंधित निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

- ***राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं जेएनवीयू, जोधपुर :*** यह देखा गया कि विश्वविद्यालयों के चयनित 11 विभागों ने कोर्सों के पाठ्यक्रम डिजाईन/संशोधित करते समय निर्धारित प्रक्रियाओं[30] का पालन किया।

---

29 नैक नियमावली के अनुसार, कार्यक्रम छात्रों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत एक से चार वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन है जिसमें प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डीग्री जैसे कि बीए (अर्थशास्त्र), बीएससी (भौतिक विज्ञान) प्रदान की जाती है।

30 **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर** : प्रत्येक विषय की बोर्ड ऑफ़ स्टेडीज, शैक्षणिक परिषद को पाठ्यक्रम/सिलेबस की अनुशंषा करता है। शैक्षणिक परिषद, विश्वविद्यालय सिंडिकेट के अनुमोदन से अध्ययन के कोर्स एवं पाठ्यक्रम के विनियम को सृजित, संशोधित और निरस्त करती है।

- हालांकि, जेएनवीयू, जोधपुर में स्थानीय/राष्ट्रीय/वैश्विक विकास की आवश्कताओं को शामिल करने के किए गए प्रयासों के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए तथा इसलिए लेखापरीक्षा में दावे की सत्यता स्थापित नहीं की जा सकी।
- ***जीजीटीयू, बांसवाड़ा :*** विश्वविद्यालय ने *2012* में अपनी स्थापना से 2018-19 तक, अपने स्तर पर, किसी भी कार्यक्रम/कोर्स को डिजाईन/संशोधित नहीं किया। उन्होंने मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कार्यक्रमों/कोर्सों के पाठ्यक्रम को अपनाया।

(ii) पाठ्यक्रम विषय-वस्तु को संशोधित करने के लिए हितधारकों से फीडबैक :

पाठ्यक्रम के डिजाईन/संशोधन करने के दौरान छात्रों, शिक्षकों, भावी नियोक्ताओं, उधोगों से फीडबैक प्राप्त किया जाना चाहिए तथा उन पर विचार करना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाए। इस संबंध में, नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों से संबंधित निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :

- ***राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर :*** बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठकों के कार्यवृतों की समीक्षा में पाया कि 11 विभागों में से किसी भी विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज में उद्योगपतियों, उद्यमियों, छात्रों जैसे हितधारकों का प्रतिनिधित्व नहीं था, यह दर्शाता है कि पाठ्यक्रम डिजाईन/संशोधित करने के लिए उनसे फीडबैक नहीं लिया गया। आगे, नैक द्वारा 2016 में की गई अनुशंषा के उपरांत कि विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज को उद्योग और हितधारकों की मदद से रोजगारोन्मुख/सुगम विषय वस्तु सम्मिलित करते हुए अपने पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करना चाहिए, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने हितधारकों/ उद्योगों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए।

हालांकि, विभागों ने कहा (नवंबर 2019 से जनवरी 2020) कि पाठ्यक्रम डिजाईन/संशोधित करने से पहले छात्रों और शिक्षकों से फीडबैक प्राप्त किए गए थे। चूंकि उनके द्वारा टिप्पणियों के समर्थन में कोई विवरण/रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाए गए थे, अतः लेखापरीक्षा इस दावे को सत्यापित नहीं कर सकी। आगे, विभाग द्वारा अपनाई गई यह प्रक्रिया विशेषज्ञ समूहों के परामर्श से आवश्यकता-आधारित उचित इनपुट विकसित करने की प्रक्रिया के उदेश्य के विपरीत है। अकेले शिक्षकों और छात्रों से फीडबैक लेने की परिपाटी स्थानीय आवश्यकता और उभरते राष्ट्रीय और वैश्विक रुझानों के अनुरूप पाठ्यक्रम विकसित करने/डिजाईन के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने मौजूदा परिपाटी का पुनरीक्षण करना चाहिए तथा विश्वविद्यालय के नियमावली तथा प्राधिकारियों के निर्देशों और प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करने की परिकल्पना के अनुसार एक सशक्त तंत्र की आवश्यकता है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि विश्वविद्यालय अधिनियम में बोर्ड ऑफ़ स्टडीज की बैठकों में उद्योगपतियों, उद्यमियों, छात्रों के प्रतिनिधियों को

जेएनवीयू, जोधपुर : शाखा समिति छात्रों से प्राप्त फीडबैक तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान परिदृश्य के आधार पर शाखा समिति कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के विषय-वस्तु को विभागीय परिषद को मुक्त विचार-विमर्श हेतु प्रस्ताव करती है। विभागीय परिषद अनुपालना में पाठ्यक्रम को संकलित कर कोर्स एवं अध्ययन समिति को प्रस्तुत करती है। सिंडिकेट अंततः पाठ्यक्रम अनुमोदित करती है।

शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं था । तथ्य यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने 2016 में छात्रों, उद्योगों आदि से फीडबैक लेने, पाठ्यक्रम को डिजाईन करने/संशोधित करने के संबंध में नैक की सिफारिशों पर विचार नहीं किया।

- ***जेएनवीयू, जोधपुर :*** चयनित 11 विभागों ने अवगत कराया कि अन्य विश्वविद्यालयों के बाहरी सदस्य, स्थानीय संकाय सदस्य और छात्र संघ के पदाधिकारी भी पाठ्यक्रम में नए सिलेबस/ संशोधित सिलेबस शुरू करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि भावी नियोक्ताओं से इनपुट प्राप्त नहीं किए गए थे।

(iii) अग्रणी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से संदर्भ लेना :

सफल विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन और संशोधित करने के लिए एक कठोर और नियमित प्रक्रिया का पालन करने के लिए जाने जाते हैं। इससे उन्हें विद्यमान पाठ्यक्रम सामग्री में लगातार सुधार करने और संबंधित कार्यक्रम में नए विषयों को जोड़ने में मदद मिलती है। अन्य विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम डिजाईन और संशोधित करते समय इन पाठ्यक्रम का सन्दर्भ लेकर लाभ उठा सकते हैं। इस पहलु की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित बातें सामने आईं :

- ***राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर :*** चयनित 11 विभागों में से छः ने अवगत कराया कि पाठ्यक्रम के लिए अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से संदर्भ लिए गए है, लेकिन इन विभागों के बोर्ड ऑफ़ स्टडीज के कार्यवृत्तों की संवीक्षा में पाया गया कि इस संबंध में कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

- ***जेएनवीयू, जोधपुर :*** विश्वविद्यालय ने अवगत कराया कि पाठ्यक्रमों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पाठ्यक्रम से संदर्भ लिए गए थे। हालांकि, इस तरह के संदर्भ लेने के विवरण शैक्षणिक परिषद तथा 'कोर्स और अध्ययन समिति' की बैठकों के कार्यवृत्तों में उपलब्ध नहीं थे, जिसके कारण दावे की सत्यता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। जेएनवीयू, जोधपुर ने अपने उत्तर में तथ्यों को स्वीकार (जून 2020) कर लिया ।

जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने तथ्यों को स्वीकार (जून 2020) कर लिया और अवगत कराया कि एक नव स्थापित विश्वविद्यालय (वर्ष 2012) होने के कारण, वह पाठ्यक्रम डिजाईन व विकास जैसी गतिविधियों की शुरुआत नहीं कर सका । इस प्रकार विश्वविद्यालय की स्थापना के आठ वर्ष उपरांत भी, इसने किसी भी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम को डिजाईन/संशोधित नहीं किया।

इसलिए, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर ने पाठ्यक्रम डिजाईन व विकास की प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने का दावा किया, लेकिन लेखापरीक्षा स्वयं को यह आश्वस्त नहीं कर सकी कि पाठ्यक्रम सुधार के लिए हितधारकों से महत्वपूर्ण फीडबैक, विशेषज्ञ समूहों से इनपुट और प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भों का उपयोग किया गया था।

3.1.1.3 सिलेबस का संशोधन

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 4.3 के अनुसार पाठ्यक्रम को प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार

संशोधित किया जाना चाहिए और सिलेबस को रोजगार बाजार की गतिशीलता तथा शोध और विकास में प्रगति के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना की संवीक्षा में पाया गया कि :

(i) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय की हैंडबुक के अध्यादेश 61-ए के अनुसार परीक्षा और सिलेबस की योजना में बदलाव की सिफारिश करते हुए बोर्ड ऑफ़ स्टडीज और कोर्स की समितियां परिवर्तनों की अनुशंसा करते समय इनके पूर्ण प्रभाव और औचित्य की भी जानकारी देंगी। यह देखा गया कि :

- चयनित 11 विभागों में, 2014-19 के दौरान 96 प्रतिशत (28 में से 27) कार्यक्रमों के सिलेबस संशोधित किए गए थे। हालांकि, इन 11 विभागों के बोर्ड ऑफ़ स्टडीज की बैठकों के कार्यवृत्तों की संवीक्षा में पाया गया कि संशोधनों और इस तरह के विचार-विमर्श के आधार के बारे में विस्तृत विवरण प्रलेखित नहीं किए गए थे। इसलिए, लेखापरीक्षा को यह आश्वासन नहीं मिला कि क्या वास्तव में कोई बदलाव भी किए गए थे। आगे, सिलेबस को संशोधित करते समय किए गए परिवर्तनों का औचित्य अथवा प्रभाव नहीं बताया गया।

- लेखापरीक्षा ने 2014 से 2019 की अवधि के लिए 20 कोर्सों के सिलेबस की विषय वस्तु की तुलना की, जिसमें बोर्ड ऑफ़ स्टडीज की कार्यवृत्तों के अनुसार, सिलेबस परिवर्तित दर्शाए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि 15 कोर्सों के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किए गए थे और चार में मामूली बदलाव/कुछ शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे (***परिशिष्ट 3.1***)। शेष कोर्सों के सिलेबस[31] को पिछले पांच वर्षों में दो बार परिवर्तित (2016 और 2019 में) करना बताया गया था लेकिन लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये बदलाव 2016 में मामूली भाषागत बदलाव की प्रकृति में थे और वर्ष 2019 में 2014 के सिलेबस को ही फिर से दोहराया गया था। इस प्रकार, सिलेबस में 2014 से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने लेखापरीक्षा आक्षेप का कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं दिया, तदापि अवगत कराया (जनवरी 2021) कि भविष्य में नैक दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों के सिलेबस को संशोधित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(ii) जेएनवीयू, जोधपुर

जेएनवीयू, जोधपुर ने 2014-19 के दौरान 64 प्रतिशत (28 में से 18) कार्यक्रमों के सिलेबस संशोधित किए।

31 बीए भाग -II समाजशास्त्र (पास कोर्स)

उत्तम कार्यप्रणाली : लेखापरीक्षा ने इन 18 कार्यक्रमों के 139 कोर्सों के वर्तमान सिलेबस की तुलना पिछले वर्ष से की और यह देखा गया कि सिलेबस में पर्याप्त संशोधन किए गए थे जो कि सिलेबस के संशोधन के लिए ठोस तंत्र के अस्तित्व और क्रियान्वयन का एक संकेत था।

(iii) जीजीटीयू, बांसवाड़ा

जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने कला, वाणिज्य और विज्ञान स्ट्रीम के स्नातक और स्नातकोत्तर के कार्यक्रमों के लिए मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के सिलेबस अंगीकृत किए और इसने 2012 में इसकी स्थापना के बाद से 2018-19 तक किसी भी कार्यक्रम के सिलेबस को संशोधित नहीं किया। आगे, इस अवधि के दौरान कई ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, जैसे कि 'सेवा व माल कर' का लागू होना लेकिन विश्वविद्यालय ने इस तरह के समसामयिक विषयों को वाणिज्य स्ट्रीम के स्नातक एवं स्नाकोतर के सिलेबस में शामिल करने के लिए कदम नहीं उठाए। जीजीटीयू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों में कार्य करता है जहाँ मुख्यतः आदिवासी आबादी का प्रभुत्व है। हालांकि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 {अनुच्छेद 4.6 (vii)} जो कि इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा के सभी स्तरों में सिलेबस को आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और उनकी असाधारण सृजन प्रतिभा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए डिज़ाईन किया जाएगा, जीजीटीयू, बांसवाड़ा इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कार्यवाही करने में विफल रहा है।

जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने तथ्यों को स्वीकार किया (जून और अगस्त 2020) और अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा बीए, बी कॉम तथा हिंदी व अंग्रेजी अनिवार्य विषयों के सिलेबस शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से अद्यतन किए गए हैं। आगे, छात्रों की श्रेणी तय करते समय अनिवार्य विषयों में प्राप्त अंकों को वैकल्पिक विषयों के साथ जोड़ा जाएगा। सामान्य ज्ञान का एक नया पेपर भी स्नातक के दूसरे वर्ष में अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया गया है । स्नातकोत्तर कार्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम के तीन विषयों के सिलेबस शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से अद्यतन किए गए है।

हालांकि विश्वविद्यालय ने दावा किया कि 2019-20 के बाद से कई विषयों के सिलेबस अद्यतन किए गए हैं, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि सिलेबस में संशोधन क्या हितधारकों से फीडबैक प्राप्त करने के बाद; स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ-साथ परिवर्तनीय राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए और शासी निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित किए गए हैं । आगे, पिछले वर्ष के सिलेबस के साथ अद्यतन सिलेबस की तुलना करने पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी स्नातक कार्यक्रमों के सिलेबस अद्यतन किए गए थे, जबकि पांच स्नातकोत्तर कार्यक्रमों[32] के 48 में से 40 पेपरों के सिलेबस अद्यतन नहीं किए गए थे।

उत्तम कार्यप्रणाली : जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने भाषा और साहित्य के महत्व पर जोर देने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्नपत्रों में प्राप्त अंक योग्यता सूची निर्धारण के लिए शामिल कर दिए। आगे, शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से स्नातक कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में सामान्य ज्ञान पर पेपर अनिवार्य विषय के रूप में शुरू किया ।

32 एमए - अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल; एम कॉम - व्यवसायिक प्रशासन और एबीएसटी

3.1.1.4 मूल्य वर्धित कोर्सों की संख्या और नामांकित छात्र

मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम उन 'हस्तांतरणीय और जीवन कौशल' एवं गतिविधियों को प्रदान करते हैं जो कि अध्ययन के किसी एक विषय के साथ सीधे जुड़े नहीं हो सकते हैं, लेकिन लैंगिक, पर्यावरण और संवहनीयता, मानवीय मूल्यों और व्यवसायिक नैतिकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर छात्रों को संवेदनशील बनाने में योगदान करते हैं। चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सूचना की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः

(i) नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और संघटक महाविद्यालयों में : वर्ष 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए सभी तीनों विश्वविद्यालयों में 'हस्तांतरणीय और जीवन कौशल' प्रदान करने वाले मूल्य वर्धित कोर्स प्रारम्भ नहीं किए गए थे। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि इस संबंध में भविष्य में और अधिक ध्यान दिया जाएगा।

(ii) जांच किए गए राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों में : वर्ष 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 36 में से केवल दो[33] (5.56 प्रतिशत) राजकीय महाविद्यालयों ने 'हस्तांतरणीय और जीवन कौशल' मूल्य वर्धित कोर्स (कौशल विकास, व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम आदि) प्रारंभ किए। इसमें 231 छात्र नामांकित थे। आगे, 30 निजी महाविद्यालयों में से किसी ने भी मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं किए।

3.1.1.5 शैक्षणिक लचीलापन

शैक्षणिक लचीलापन और इसके घटकों को संक्षेप में ***चार्ट 3.2*** में नीचे वर्णित किया गया है :

चार्ट 3.2 : शैक्षणिक लचीलापन और उनके घटक

शैक्षणिक लचीलापनः
पाठ्यक्रम में छात्रों को दिए जाने वाले विकल्प। इसमें विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली और सेमेस्टर सिस्टम आदि को प्रारम्भ कर समाविष्ट किया जा सकता है।

विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस): मुख्य विषयों के अलावा सीखने के अवसर और अतिरिक्त अवसर प्रदान करना। सीबीसीएस छात्रों को अंतरा-शिक्षण, अन्तः शिक्षण कोर्स और निर्धारित मूल, ऐच्छिक/लघु या कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में से कौशल उन्मुख पेपरों को चुनने की अनुमति देता है।

सेमेस्टर प्रणालीः निरंतर सीखने, मूल्यांकन और फीडबैक के लिए छात्रों को एक अवसर। यह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को तेज करता है और सीखने में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता को सक्षम बनाता है।

33 जीजीटीयू, बांसवाड़ा से सम्बद्ध गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से संबद्ध एसपीडीएम राजकीय बालिका महाविद्यालय, कोटपुतली।

(अ) विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) वाले कार्यक्रम

यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में सीबीसीएस के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम तथा सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस को लागू करने की आवश्यकता दोहराई (अप्रैल 2018) और पाठ्यक्रम संशोधित किए । राजस्थान में, राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों के साथ माननीय कुलाधिपति द्वारा आयोजित बैठक (5 मई 2015) में यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से राज्य के विश्वविद्यालयों में सीबीसीएस प्रारंभ करने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।

इस संबंध में, नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सूचना की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

(i) विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा में संचालित किए जा रहे किसी भी कार्यक्रम में सीबीसीएस प्रारंभ नहीं किया गया । जेएनवीयू, जोधपुर और उसके एक संघटक महाविद्यालय में, 2018-19 के दौरान 63 में से केवल 29 कार्यक्रमों (46.03 प्रतिशत) में सीबीसीएस प्रारंभ किया गया था।

सूचित किए जाने पर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (दिसंबर 2019) कि संकाय शिक्षकों की कमी के कारण सीबीसीएस विश्वविद्यालय में प्रारंभ नहीं किया गया था। जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने अवगत कराया (जून और अगस्त 2020) कि 2019-20 के पश्चात् एमएससी में सीबीसीएस प्रारंभ किया गया है।

(ii) राजकीय और निजी महाविद्यालयों के नमूना जांच : नमूना जांच किए गए 36 में से केवल 5[34] राजकीय महाविद्यालयों (13.89 प्रतिशत) में 2018-19 के दौरान 21.62 प्रतिशत कार्यक्रमों में सीबीसीएस प्रारंभ किया गया। वर्ष *2018-19* के दौरान नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालय में से किसी में भी इसे प्रारंभ नहीं किया गया था।

(iii) छात्र सर्वेक्षण के नतीजे : छात्र सर्वेक्षण प्रश्न *"क्या आप अपनी संस्था में सीबीसीएस से अवगत हैं?"* के उत्तर में जेएनवीयू, जोधपुर तथा नमूना जांच किए गए पांच राजकीय महाविद्यालय जहां सीबीसीएस लागू था, के 294 छात्रों में से 66 प्रतिशत छात्र सीबीसीएस के बारे में नहीं जानते थे।

(ब) सेमेस्टर प्रणाली वाले कार्यक्रम

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत "उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार" पर जारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 2.2.3 (ग) के अनुसार शैक्षणिक लचीलेपन के लिए सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत को उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय के रूप में माना गया है।

---

34 जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध ।

यह देखा गया कि नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए प्रारंभ की गई थी और स्नातक कार्यक्रमों के लिए वार्षिक परीक्षा प्रणाली जारी थी। नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में 2018-19 के दौरान प्रारंभ की गई सेमेस्टर प्रणाली की स्थिति ***चार्ट 3.3*** में नीचे दी गई है।

चार्ट 3.3 : नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रारंभ की गई सेमेस्टर प्रणाली की स्थिति

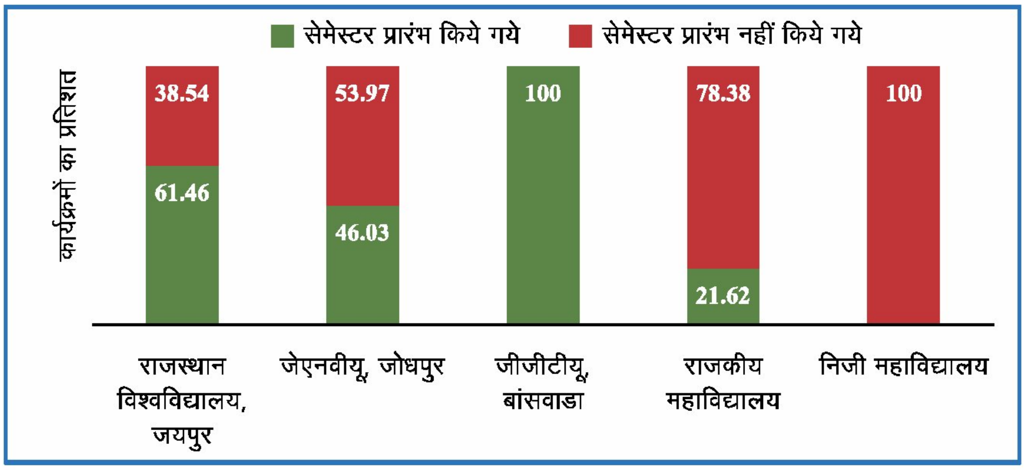

आगे, नमूना जांच किए गए संस्थानों में जहां सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ नहीं की गई थी, वर्ष 2018-19 के दौरान सभी स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए वार्षिक परीक्षा प्रणाली जारी थी। इस प्रकार, नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों के स्नातक कार्यक्रम के सभी छात्र और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के छात्र उस सीमा तक जहां सेमेस्टर प्रणाली प्रारंभ नहीं की गई थी, सेमेस्टर प्रणाली के लाभों से वंचित थे।

3.1.2 प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया

इस खंड में, शिक्षण में सूचना और सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग, संकाय से संबंधित पहलुओं तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की सुदृढ़ परीक्षा और मूल्यांकन प्रणालियों पर चर्चा की गई है। आगे, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित चयनित आठ संकेतकों के परिणामों पर भी चर्चा की गई है।

3.1.2.1 परिणाम संकेतकों पर आधारित विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

लेखापरीक्षा ने नैक बेंचमार्क के आधार पर निम्नलिखित आठ परिणाम संकेतकों के माध्यम से प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के सन्दर्भ में नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का आकलन किया। जिसकी सूचना ***तालिका 3.2*** में दी गई है (संकेतकों का विवरण ***परिशिष्ट-1.1*** के क्रम संख्या 8 एवं 15 से 21 में दिया गया है) इन संकेतकों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

तालिका 3.2 : संकेतकों के संबंध में नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

क्र. सं.	परिणाम संकेतक	अधिकतम चार अंकों के लिए नैक बेंचमार्क	नैक बेंचमार्क के संदर्भ में नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन (प्राप्त अंक[35])				
			राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर		जेएनवीयू, जोधपुर		जीजीटीयू, बांसवाडा
			विश्वविद्यालय स्तर	चयनित 11 विभाग	विश्वविद्यालय स्तर	चयनित 11 विभाग	
1.	2018-19 के दौरान शिक्षण के लिए आईसीटी का उपयोग करने वाले शिक्षक	80% और अधिक	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	1
2.	2018-19 के दौरान आईसीटी - संसाधन युक्त कक्षाओं /संगोष्ठी हॉल का प्रतिशत	80% और अधिक	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	1
3.	2018-19 के दौरान छात्र कंप्यूटर अनुपात	10:1 और इससे कम	टिप्पणी नहीं की जा सकी	2	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	0
4.	2014-19 के दौरान पीएचडी वाले पूर्णकालिक शिक्षकों का औसत प्रतिशत	70% और अधिक	1	-	टिप्पणी नहीं की जा सकी	-	0
5.	2014-19 के दौरान पुरस्कार, मान्यता आदि प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों का प्रतिशत	15% और अधिक	टिप्पणी नहीं की जा सकी	3	टिप्पणी नहीं की जा सकी	4	0
6.	2014-19 के दौरान सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षकों का औसत प्रतिशत	50% और अधिक	0	-	0	-	0
7.	2014-19 के दौरान व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों का औसत प्रतिशत	40% और अधिक	1	-	टिप्पणी नहीं की जा सकी	-	0
8.	वर्ष 2014-19 के दौरान पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदनों का औसत प्रतिशत जिनमें प्राप्तांकों में परिवर्तन हुआ	5% और कम	टिप्पणी नहीं की जा सकी	-	टिप्पणी नहीं की जा सकी	-	टिप्पणी नहीं की जा सकी

3.1.2.2 शिक्षण में आईसीटी का उपयोग तथा आईसीटी संबंधित अवसरंचना की उपलब्धता

भारत सरकार का आईसीटी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को संयोजकता प्रदान करने, छात्रों और शिक्षकों को कम लागत और सस्ती-कंप्यूटिंग डिवाइस तक पहुंच प्रदान करने, और देश में सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण ई-पाठ्य सामग्री मुफ्त प्रदान करने के रूप में तीन-आधारभूत सिद्धांतों को निर्धारित करता है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज का अनुच्छेद 21.265 स्मार्ट कक्षा प्रदान करने और मेटा

35 लेखापरीक्षा द्वारा चयनित संकेतकों पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन के अनुसार अंक आवंटित किए गए हैं और इसकी तुलना नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्कोरिंग पैटर्न का विश्लेषण करके निकाले गए बेंचमार्क के साथ की गई है जिसका विवरण (परिशिष्ट 1.3) में दिया गया है।

विश्वविद्यालयों[36] और संबद्ध विश्वविद्यालयों को जोड़ने वाली इंटरेक्टिव वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के साथ कक्षाओं की स्थापना करके उच्च शिक्षा में आईसीटी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है। राज्य सरकार स्मार्ट कक्षों की स्थापना के लिए राजकीय महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। आगे, नैक नियमावली में उल्लेखित है कि शैक्षिक विकास में तकनीकी प्रगति और नवाचार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा किए जाने हैं, ताकि शैक्षणिक विकास के साथ-साथ प्रशासन पर भी प्रभाव दिखाई दे। उच्च शिक्षण संस्थानों में आईसीटी का प्रभावी उपयोग, संसाधन साझाकरण और नेटवर्किंग के लिए आईसीटी का उपयोग करने के साथ-साथ आईसीटी-सक्षम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए परिसर समुदाय को आईसीटी साक्षरता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

2018-19 के दौरान नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में आईसीटी का उपयोग करने वाले शिक्षकों की संख्या, आईसीटी संसाधन युक्त कक्षाओं की संख्या और छात्र कम्प्यूटर अनुपात की स्थिति ***तालिका 3.3*** में नीचे दी गई हैं।

तालिका 3.3: 2018-19 के दौरान शिक्षण के लिए आईसीटी का उपयोग करने वाले शिक्षक

उच्च शिक्षण संस्थान के नाम	आईसीटी का उपयोग करने वाले शिक्षक		आईसीटी संसाधन युक्त कक्षा		छात्र कम्प्यूटर अनुपात		
	शिक्षकों की कुल संख्या	आईसीटी उपयोग करने वाले शिक्षकों की संख्या	कक्षाओं की कुल संख्या	आईसीटी संसाधन युक्त कक्षाओं की संख्या	कुल नामांकित छात्रों की संख्या	कार्यरत कम्प्यूटरों की संख्या	छात्र कम्प्यूटर अनुपात
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	544	149 (27.39%)	153	19(12.41%)	10,654	451	24:1
जेएनवीयू, जोधपुर	140	62 (44.29%)	51	3(5.88%)	999	0	-
जीजीटीयू, बांसवाडा	09*	1 (11.11%)	10	1(10%)	51	0	-
राजकीय महाविद्यालय[37]	766	166 (21.67%)	684	58(8.48%)	78,919	564	140:1
निजी महाविद्यालय[38]	457	136 (29.76%)	461	89(19.31%)	11,482	502	23:1

स्रोत: संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना **सभी अंशकालिक शिक्षक थे*

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि :

- 2018-19 के दौरान नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल 5.88 प्रतिशत से 19.31 प्रतिशत तक कक्षाएं/सेमीनार हॉल आईसीटी संसाधन युक्त थे, जिसमें 11.11 प्रतिशत से 44.29 प्रतिशत तक शिक्षकों ने आईसीटी शिक्षण विधियों का उपयोग किया।

36 मेटा विश्वविद्यालय एक छात्र को डिग्री के दौरान विभिन्न संस्थानों के संकाय, पुस्तकालय और प्रयोगशाला तक पहुंच से लाभान्वित होने की अनुमति देता है।

37 हालांकि आईसीटी संसाधन युक्त कक्षाएं 24 राजकीय महाविद्यालयों में उपलब्ध थीं लेकिन केवल 20 महाविद्यालयों के शिक्षकों ने आईसीटी शिक्षण विधियों का उपयोग किया।

38 हालांकि आईसीटी संसाधन युक्त कक्षाएं 17 निजी महाविद्यालयों में उपलब्ध थीं लेकिन केवल 14 महाविद्यालयों के शिक्षकों ने आईसीटी शिक्षण विधियों का उपयोग किया।

- इन नमूना जांच किए गए उच्च्य शिक्षण संस्थानों में 2018-19 के दौरान, जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा जहां छात्रों के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं थे, के अतिरिक्त छात्र कम्प्यूटर अनुपात 23:1 से 140:1 तक था।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि इस बारें में सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(i) ***छात्र सर्वेक्षण के नतीजे :*** सर्वेक्षण प्रश्न "*आईसीटी आधारित शिक्षण (पीपीटी/वीडियो आदि) पर आपके संस्थान में प्रयुक्त की गई शिक्षण विधियों/तकनीकों पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करें?*" के उत्तर में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जेएनवीयू, जोधपुर और नमूना जांच किए गए 34 महाविद्यालयों जहां शिक्षकों ने आईसीटी उपकरणों का उपयोग किया, के 1,445 छात्रों में से लगभग 55 प्रतिशत छात्र या तो असंतुष्ट थे या केवल आंशिक रूप से संतुष्ट थे।

3.1.2.3 शिक्षक वर्ग की उपलब्धता और गुणवत्ता

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत "उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार" पर जारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 7.1.2 में अवगत कराया गया है कि योग्य शिक्षकों के अभाव के साथ शिक्षकों की पूरे क्षेत्र में गतिशीलता की कमी भारतीय उच्च शिक्षा तंत्र के विकास में एक प्रमुख बाधा है।

नैक नियमावली के अनुसार, शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षकों की अहर्ता, शिक्षकों के गुण, व्यावसायिक विकास और शिक्षण क्षमता की मान्यता आदि पहलू शिक्षक/ संकाय की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं।

(अ) शिक्षकों की उपलब्धता

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना के उद्देश्य 4 का लक्ष्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। रूसा के अन्तर्गत, यदि राज्य के द्वारा स्वीकृति सभी रिक्त पदों को भरा जाएं तो, निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात[39] 20: 1 को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों के अतिरिक्त पदों के लिए धनराशि का दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्थान उच्च शिक्षा आयोजना (2015-22) के अनुसार, राज्य सरकार ने सामान्य, संस्कृत और तकनीकी शिक्षा के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सभी स्वीकृत पदों को भरकर छात्र शिक्षक अनुपात का लक्ष्य 20:1 निर्धारित किया था।

(क) राजकीय महाविद्यालयों में राज्य स्तर पर शिक्षण स्टाफ की उपलब्धता

वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य स्तर पर राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत संख्या तथा रिक्त पदों की संख्या एवं छात्रों का नामांकन की स्थिति ***तालिका 3.4*** में नीचे दी गई है।

39 छात्र-शिक्षक अनुपात, संस्थान में नामांकित छात्रों की संख्या को संस्थान में शिक्षकों की संख्या से विभाजित संख्या है।

तालिका 3.4: राज्य स्तर पर राजकीय महाविद्यालयों की शिक्षण स्टाफ की उपलब्धता

वर्ष	राजकीय महाविद्यालयों में नामांकन	शिक्षकों की उपलब्धता			छात्र शिक्षक अनुपात	
		स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद	कार्यरत शिक्षकों की संख्या के सन्दर्भ में	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या के सन्दर्भ में
2014-15	3,48,438	5,723	4,362	1,361 (23.78)	80:01	61:01
2015-16	3,64,818	5,875	4,201	1,674 (28.49)	87:01	62:01
2016-17	3,72,870	5,957	3,880	2,077 (34.87)	96:01	62:01
2017-18	3,74,949	6,295	3,907	2,388 (37.93)	96:01	60:01
2018-19	3,95,346	6,637	4,640	1,997 (30.09)	85:01	60:01
औसत	**3,71,284**	**6,097**	**4,198**	**1,899 (31.15)**	**88:01**	**61:01**

स्रोतः आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदान की गई सूचना और उच्च शिक्षा विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार

यह देखा जा सकता है किः

- राज्य स्तर पर, 2014-19 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या के संबंध में, छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित मानदंड 20:1 के विपरीत 60:1 और 62:1 के मध्य विस्तारित था।

- आगे, राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों को उनकी स्वीकृत संख्या तक नियुक्त नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 2014-19 के दौरान शिक्षकों के औसतन 31.15 प्रतिशत पद रिक्त (23.78 प्रतिशत और 37.93 प्रतिशत के मध्य विस्तारित) पड़े थे। जिसकी परिणिति राज्य स्तर पर प्रतिकूल औसत छात्र-शिक्षक अनुपात 88:1 (80: 1 और 96: 1 के मध्य विस्तारित) में हुई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 920 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नवंबर 2020 में विज्ञापन प्रकाशित कर दिया था।

(ख) नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2018-19 के दौरान छात्र शिक्षक अनुपात

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों और निजी महाविद्यालयों में 2018-19 के दौरान, में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम में कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम में छात्र शिक्षक अनुपात की स्थिति क्रमशः ***चार्ट 3.4, 3.5*** और ***3.6*** में दर्शाई गई है। यह देखा जा सकता हैः

(i) नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में:

चार्ट 3.4: विश्वविद्यालयों का छात्र शिक्षक अनुपात

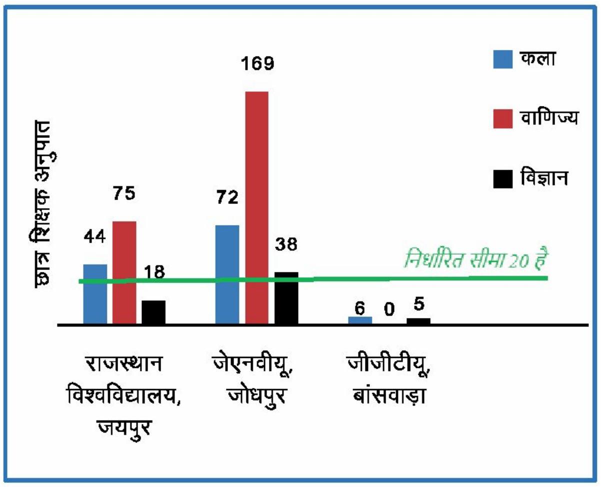

- 2018-19 में जेएनवीयू, जोधपुर में सभी संकायों और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में कला व वाणिज्य संकायों में छात्र शिक्षक अनुपात 20: 1 की निर्धारित सीमा से अधिक था।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

- जीजीटीयू, बांसवाड़ा में हालांकि छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित सीमा में था, लेकिन 2018-19 के दौरान विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक नियुक्त नहीं थे। नियमित रूप से योग्य शिक्षण स्टाफ की कमी का छात्रों को प्रदान की जा रही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव प्रतिकूल पड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि 2018-19 में अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए 37 छात्रों में से कोई भी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं हुआ और केवल 12 (32 प्रतिशत) छात्र द्वितीय श्रेणी के साथ उत्तीर्ण हुए।

राज्य सरकार ने 2012 के दौरान शिक्षण स्टाफ के 30 पद स्वीकृत किए थे; लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती नियमों को नहीं बनाए जाने के कारण, वह अक्टूबर 2020 तक नियमित शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति नहीं कर सका। जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने तथ्यों को स्वीकार किया।

(ii) नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में:

चार्ट 3.5: राजकीय महाविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात

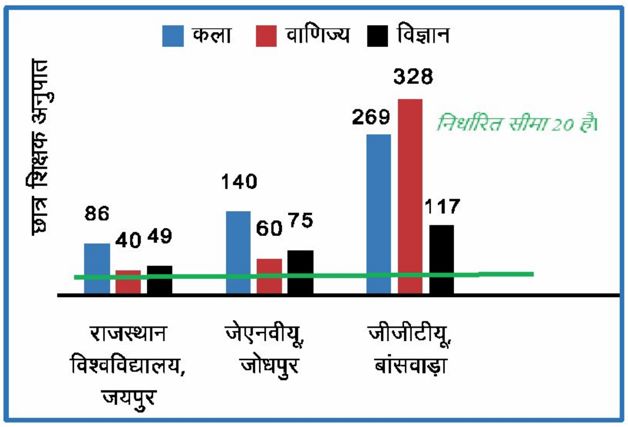

चार्ट 3.6: निजी महाविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात

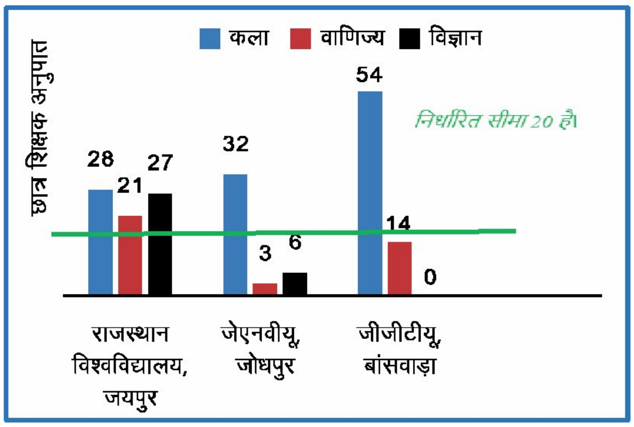

- ***चार्ट 3.5*** दर्शाता है कि 2018-19 के दौरान, नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालयों के सभी तीनों संकायों में विशेष रूप से जीजीटीयू, बांसवाड़ा से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक था। आगे, यह भी देखा गया कि जीजीटीयू, बांसवाड़ा से संबद्ध तीन राजकीय महाविद्यालयों[40] में हालांकि 2015-19 के दौरान 528 छात्र विभिन्न कक्षाओं में नामांकित थे लेकिन 2018-19 के दौरान कोई भी शिक्षक उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार, ***चार्ट 3.6*** दर्शाता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से संबद्ध नमूना जांच किए गए निजी महाविद्यालयों में सभी संकायों में और जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा, दोनों से संबद्ध नमूना जांच किए गए निजी महाविद्यालयों में कला संकाय में छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक था।

जैसा कि अध्याय-II के अनुच्छेद 2.2 में पूर्व में ही चर्चा की जा चुकी है, 2018-19 के दौरान एक चौथाई से भी कम छात्र प्रथम श्रेणी/बी+ ग्रेड से ऊपर उत्तीर्ण हुए, यह तथ्य अपर्याप्त शिक्षकों के कारण शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव का संकेत है। चूंकि शिक्षक उच्च्व शिक्षण संस्थान में निर्देश प्रदान करने का प्राथमिक माध्यम हैं, इसलिए उनकी कमी ने छात्रों के विकास को बाधित किया होगा तथा उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि को भी अवरुद्ध किया होगा जिससें भविष्य में उनकी सफलता पर एक प्रश्नचिन्ह लग गया है।

(ब) न्यूनतम निर्धारित अहर्ता वाले शिक्षकों की उपलब्धता

यूजीसी (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों का संबद्धता) विनियमन, 2009 का अनुच्छेद 3.4.4 यह निर्धारित करता है कि शिक्षण स्टाफ के पदों की संख्या, शिक्षण स्टाफ की अहर्ता और उनकी नियुक्ति/पदोन्नति प्रक्रिया यूजीसी द्वारा निर्धारित की जाएगी और सेवाओं की शर्तें विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/यूजीसी की विधियों/अध्यादेश/विनियमन के अनुसार होगी।

इस संदर्भ में, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हैंडबुक और जेएनवीयू, जोधपुर द्वारा जारी अध्यादेश (सितंबर 2011), शिक्षकों की न्यूनतम अहर्ता के रूप में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण निर्धारित करते हैं।

नमूना जांच किए गए उच्च्व शिक्षण संस्थानों में 2018-19 के दौरान न्यूनतम अहर्ता रखने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों की स्थिति ***चार्ट 3.7*** में नीचे दर्शाई गई है

40 हरिदेव जोशी राजकीय बालिका महाविद्यालय, बांसवाड़ाः 2015-16 के बाद से कॉमर्स छात्रों के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था; भोगी लाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुरः वर्ष 2018-19 में कॉमर्स छात्रों के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था। एमबीडी राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़ः 2018-19 में विज्ञान स्ट्रीम के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं था।

चार्ट 3.7: न्यूनतम योग्यता रखने वाले पूर्णकालिक शिक्षक

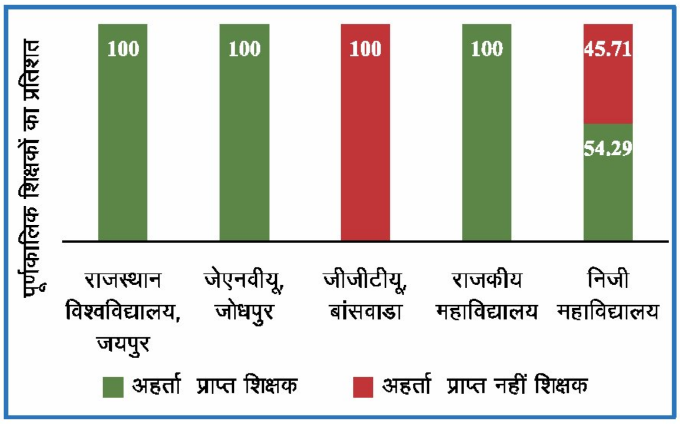

यह देखा जा सकता है कि जीजीटीयू, बांसवाड़ा में कोई पूर्णकालिक शिक्षक तैनात नहीं था तथा नमूना जांच किए गए निजी कॉलेजों में 45.71 प्रतिशत शिक्षकों[41] के पास निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अहर्ता नहीं थी। आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा ने अवगत (अगस्त 2020) कराया कि जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध नौ चयनित निजी महाविद्यालयों में तैनात शिक्षकों की अहर्ता की जांच की जा रही है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि संबद्ध महाविद्यालयों को निर्धारित अहर्ता वाले शिक्षकों कि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

इस प्रकार, निजी महाविद्यालयों द्वारा आवश्यक न्यूनतम अहर्ता के संबंध में यूजीसी के मानक की अनुपालना नहीं की गई। इससे न केवल इन महाविद्यालयों में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण की प्रक्रिया के बारे में विश्वविद्यालयों की कर्मठता पर भी सवाल उठता है।

(स) पीएचडी वाले पूर्णकालिक शिक्षक

चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सूचना की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(i) विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय : 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और दो चयनित संघटक महाविद्यालयों में औसतन 47 प्रतिशत (43 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक विस्तारित) पूर्णकालिक शिक्षक पीएचडी पूर्ण कर चुके थे। हालांकि, जेएनवीयू, जोधपुर ने 2014-17 के दौरान इस तरह के आंकड़े संधारित संधारण नहीं किए, 2017-19 के दौरान इस विश्वविद्यालय और एक संघटक महाविद्यालय में औसतन 91 प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षक पीएचडी पूर्ण कर चुके थे। 2014-19 के दौरान जीजीटीयू, बांसवाड़ा में कोई पूर्णकालिक शिक्षक पदस्थापित नहीं था।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय और निजी महाविद्यालय:

- जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध केवल 12 राजकीय महाविद्यालयों ने 2014-19 की संपूर्ण अवधि के लिए विवरण प्रदान किया, जिसके अनुसार औसतन 67.48 प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षक पीएचडी पूर्ण कर चुके थे। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जीजीटीयू,

---

41 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से संबद्ध नमूना जांच किए गए 16 में से 12 निजी महाविधालयों में 41 प्रतिशत शिक्षक; जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध नौ में से दो निजी महाविधालयों में 44 प्रतिशत शिक्षक और जीजीटीयू, बांसवाड़ा से संबद्ध सभी पांच निजी महाविधालयों में 73 प्रतिशत शिक्षक।

बांसवाड़ा से संबद्ध नमूना जांच किए गए शेष 24 महाविद्यालयों ने मात्र वर्ष 2018-19 के लिए ऐसी सूचना उपलब्ध कराई थी, जिसने दर्शाया कि 65.39 प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षक पीएचडी पूर्ण कर चुके थे।

- इसी प्रकार, जेएनवीयू, जोधपुर से केवल संबद्ध नौ निजी महाविद्यालयों ने वर्ष 2014-19 की पूरी अवधि के लिए विवरण उपलब्ध कराया, जिसके अनुसार औसतन 40.68 प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षक पीएचडी पूर्ण कर चुके थे। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा से संबंद्ध शेष 21 महाविद्यालयों द्वारा केवल वर्ष 2018-19 की ऐसी सूचना उपलब्ध कराई जिसने दर्शाया कि 30.45 प्रतिशत पूर्णकालिक शिक्षक पीएचडी पूर्ण कर चुके थे।

(द) पुरस्कार, मान्यता, फेलोशिप प्राप्त पूर्णकालिक शिक्षक

शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रेरणा महत्वपूर्ण है। चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ।

(i) विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय : 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के चयनित 11 विभागों तथा दो संघटक महाविद्यालयों में केवल 14 प्रतिशत (औसत 234 शिक्षकों में से 32) पूर्णकालिक शिक्षकों और जेएनवीयू, जोधपुर के चयनित 11 विभागों और एक संघटक महाविद्यालय में 16 प्रतिशत (औसत 154 शिक्षकों में से 25) पूर्णकालिक शिक्षकों ने राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पुरस्कार, मान्यता, फेलोशिप प्राप्त की थी।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय और निजी महाविद्यालय : 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में से केवल एक महाविद्यालय[42] में एक पूर्णकालिक शिक्षक को राज्य सरकार से पुरस्कार मिला। 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में किसी भी पूर्णकालिक शिक्षक ने राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी, मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पुरस्कार, मान्यता, फैलोशिप प्राप्त नहीं की थी।

इस प्रकार, नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों में बहुत कम शिक्षकों के कार्य को पुरस्कार, मान्यता आदि के माध्यम से अभिस्वीकृत करना इस तथ्य को इंगित करता है कि जिस वातावरण में शिक्षकों द्वारा कार्य किया जाता है, वह उच्च स्तर की शिक्षा देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं कर रहा था।

(य) सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए शिक्षकों को वित्तीय सहायता

चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः

---

42 जीजीटीयू, बांसवाडा से संबद्ध

(i) ***विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय :*** 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों और तीनों संघटक महाविद्यालयों में किसी भी शिक्षक को व्यवसायिक संस्थाओं की सदस्यता शुल्क और सम्मेलनों/ कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की थी।

(ii) ***नमूना जांच किए गए राजकीय और निजी महाविद्यालय :*** लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में से राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध 29 महाविद्यालयों ने इस तरह की जानकारी संधारित नहीं की, जबकि जीजीटीयू, बांसवाड़ा से संबद्ध शेष सात महाविद्यालयों के किसी भी शिक्षक को सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई। वर्ष 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में किसी भी शिक्षक को इस तरह का वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

इस प्रकार, इस संदर्भ में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में से किसी ने भी शिक्षकों को सम्मेलन/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके शिक्षकों के निरंतर व्यवसायिक विकास की दिशा में प्रयास नहीं किए।

3.1.2.4 शिक्षकों को व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत "उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार" पर जारी रिपोर्ट का अनुच्छेद 7.1.3 अवगत कराता है कि शिक्षक विकास के प्रयासों में प्रवेश स्तर के उन्मुखीकरण, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण और अधिगम, शोध और नवाचार, सामाजिक सरोकार के साथ सम्बद्धता और नेतृत्व विकास के जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। अनुकूल शिक्षक विकास कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर विकसित किए जा सकते हैं।

आगे, नैक नियमावली के अनुसार, शिक्षकों को सीखने और स्वयं को नवीनतम विकास के साथ तालमेल रखने, अपने कार्य में निरन्तर सुधार करने तथा व्यक्तिगत और संस्थागत उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए पहल करने की आवश्यकता है।

(अ) राज्य स्तरीय स्थिति

चार्ट 3.8: प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों का प्रतिशत

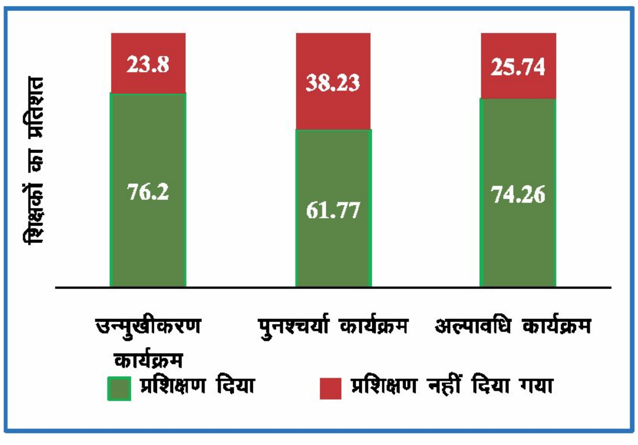

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राज्य में राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम, पुनश्चर्या कोर्स तथा अल्पावधि कोर्स जैसे व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करता है। यह देखा गया कि वर्ष 2014-19 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों के 2,640 शिक्षकों के लक्ष्यों के विपरीत 1,789 शिक्षक

(67.77 प्रतिशत) व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में शामिल हुए। 2014-19 के दौरान इस तरह के कार्यक्रम में प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों की कार्यक्रम वार स्थिति ***चार्ट 3.8*** में दर्शाई गई है।

(ब) नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थान स्तर पर

चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सूचना की संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआः

(i) विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय :

- 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और दो संघटक महाविद्यालयों में प्रति वर्ष औसतन 14 प्रतिशत शिक्षक (524 शिक्षकों में से 75) व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में शामिल हुए। जीजीटीयू, बांसवाड़ा में कोई नियमित शिक्षक नियुक्त नहीं था, इसलिए, कोई भी शिक्षक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ।

- जेएनवीयू, जोधपुर ने व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों के समेकित आंकड़े संधारित नहीं किए। नतीजतन, लेखापरीक्षा को चयनित 11 विभागों और एक संघटक महाविद्यालय से ऐसी सूचना एकत्र करनी पड़ी। सूचना से पता चला कि 2014-19 के दौरान औसतन केवल तीन प्रतिशत शिक्षक इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सन्दर्भ में राज्य सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में अवगत कराया (अगस्त 2020) कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिभागियों की संख्या पर प्रतिबंध के कारण कम शिक्षकों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया जबकि इन कार्यक्रम में शिक्षकों की अनुपस्थिति अन्य कारणों से थी ।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय और निजी महाविद्यालय :

वर्ष 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए 36 में से 29 राजकीय महाविद्यालयों में प्रति वर्ष औसतन 6.17 प्रतिशत शिक्षक (664 में से 41) व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में शामिल हुए।

वर्ष 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में से दो महाविद्यालयों में प्रति वर्ष औसतन 13.27 प्रतिशत शिक्षक (309 में से 41) व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में शामिल हुए।

3.1.2.5 सुदृढ़ परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली

एक उच्च शिक्षण संस्थान की परीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता परीक्षाएं संचालित करने में नियमितता, प्रश्नों की गुणवत्ता और वास्तव में वह कार्यक्रमों के विशिष्ट परिणामों और कोर्स के परिणामों आदि का मूल्यांकन कैसे करती है, पर निर्भर करती है। उच्च गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन प्रणाली छात्रों की क्षमता बढ़ाने में योगदान करती है।

(अ) प्रश्न पत्रों को बनाने की प्रक्रिया :

यद्यपि मांगने पर भी नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी प्रश्नपत्रों के सेटर और परीक्षकों के चयन का विवरण उपलब्ध नहीं कराया था। जिसके अभाव में लेखापरीक्षा यह

सत्यापित नहीं कर सका कि प्रश्नपत्र बनाने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित मानदंडों/ प्रक्रियाओं[43] का पालन किया गया था।

जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने तथ्यों को स्वीकार किया। जेएनवीयू, जोधपुर ने अवगत कराया (जून 2020) कि प्रति वर्ष कक्षावार, विषयवार और पेपरवार पेपर सेटर और परीक्षकों की नियुक्ति विभाग परिषद द्वारा अनुमोदित परीक्षकों के एक पैनल से तथा शैक्षणिक परिषद द्वारा अगस्त 1983 में अनुमोदित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एक परीक्षा समिति द्वारा की जाती हैं। हालांकि, विश्वविद्यालय ने पिछले वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए पेपर सेटर और परीक्षकों के विवरण उपलब्ध नहीं कराए, जिसके कारण लेखापरीक्षा विश्वविद्यालय के कथन को सत्यापित नहीं कर सकी। जैसा कि नीचे **अनुच्छेद 3.1.2.5 (र)(ख)** के चर्चा की गई है, 2017-19 के दौरान पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले औसतन 96 प्रतिशत छात्रों के प्राप्तांक बदल गए थे इसने परीक्षकों की नियुक्तियों और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में परिचालनात्मक और निगरानी की अपर्याप्तता को इंगित किया।

(ब) परीक्षाओं में प्रश्नों की गुणवत्ता

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रमुख नीतिगत दस्तावेजों ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए परीक्षा सुधारों को समग्र शैक्षणिक सुधारों के प्रमुख पहलुओं में से एक माना है। वर्तमान में उच्च शिक्षा तंत्र में प्रचिलित परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली जिसका प्रश्न और समनुदेशन एक हिस्सा है, छात्र की समग्र क्षमता का आकलन करने के बजाय मुख्य रूप से रटने की प्रवृति को बढ़ावा देती है।

उच्च शिक्षा विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के माध्यम से, लेखापरीक्षा ने पिछले वर्षों के प्रश्नों की कम पुनरावृत्ति सहित गुणवत्तापूर्ण परीक्षा पत्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषता को चिन्हित किया। इन पहलुओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है। :

- ***वर्तमान वर्ष में दोहराए गए पिछले वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्न***

इस बात का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से कि परीक्षा के प्रश्न पत्र किस सीमा तक रटने की प्रवृति को प्रोत्साहित कर रहे है, लेखापरीक्षा ने 2019 के स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों[44] के

43 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा में क्रमशः प्रश्नपत्रों के सेटर का चयन प्रत्येक बोर्ड ऑफ़ स्टडीज के अन्तर्गत गठित शिक्षकों के एक पैनल से और बोर्ड ऑफ़ स्टडीज के एक संयोजक, कुलपति द्वारा नामित एक सदस्य और संबंधित कार्यक्रम के डीन / शिक्षक से मिलकर बनी समिति से किए जाते है जेएनवीयू जोधपुर में, शैक्षणिक परिषद (अगस्त 1983) के निर्णय के अनुसार, 50 प्रतिशत से अधिक पेपर सेटर और परीक्षक जोधपुर में आवासित नहीं होने चाहिए और स्नातक परीक्षाओं के लिए 100 प्रतिशत पेपर सेटर और परीक्षक राजस्थान में जोधपुर से 1000 किमी से अधिक दूरी पर आवासित नहीं होने चाहिए। स्नातकोत्तर / स्नातक कार्यक्रमों के लिए पेपर सेटर का शिक्षण अनुभव 7/5 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।

44 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में 11 विभाग चयनित किए गए।

अंतिम वर्ष की परीक्षा के प्रश्न पत्रों की तुलना की और उन प्रश्नों को चिन्हित किया, जो पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों में पूछे गए थे (जीजीटीयू, बांसवाड़ा के प्रकरण में केवल पिछले दो वर्ष)।

लेखापरीक्षा ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में सात चयनित विभागों के सात विषयों के उपलब्ध पिछले वर्षों के 10 प्रश्न पत्रों[45] एवं जेएनवीयू, जोधपुर में 10 चयनित विभागों के 10 विषयों के उपलब्ध पिछले वर्षों के 14 प्रश्न पत्रों की तुलना 2019 के प्रश्न-पत्रों के साथ की थी। तुलना में प्राप्त नतीजे संक्षेप में ***तालिका 3.5*** में नीचे दिए गए है।

तालिका 3.5 : 2019 के प्रश्न पत्रों में दोहराए गए प्रश्न जो कि पिछले वर्षो के प्रश्न पत्रों में शामिल किए गए हैं

विश्वविद्यालय का नाम	विषयों की संख्या जिनके प्रश्नपत्रों की तुलना की गई है	जांचे गए प्रश्न पत्रों की संख्या	इन प्रश्न पत्रों में 2019 में शामिल कुल प्रश्नों की संख्या	वर्ष 2019 में दोहराए गए प्रश्नों की संख्या जो पिछले वर्षो के प्रश्न पत्रों में शामिल किए गए हैं (प्रतिशत में)	वर्ष 2019 में दोहराए गए प्रश्नों की संख्या जो कि पिछले तीन वर्षो के प्रश्न पत्रों में शामिल किए गए हैं (प्रतिशत में)
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	7	10	224	98 (43.75%)	53 (23.66%)
जेएनवीयू, जोधपुर	10	14	350	111 (31.71%)	64 (18.29%)
जीजीटीयू, बांसवाडा	9	67	1,804	231 (12.80%)	-

आगे, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में चार बार तक दोहराए गए प्रश्नों की प्रतिशतता (98 प्रश्नों में से) और जेएनवीयू, जोधपुर में छह बार तक दोहराए गए प्रश्नों की प्रतिशतता (111 प्रश्नों में से) नीचे ***चार्ट 3.9*** में दर्शाई गई है :

चार्ट 3.9: पुनरावृत्ति की आवृत्ति के आधार पर दोहराए गए प्रश्नों का सापेक्षिक हिस्सा

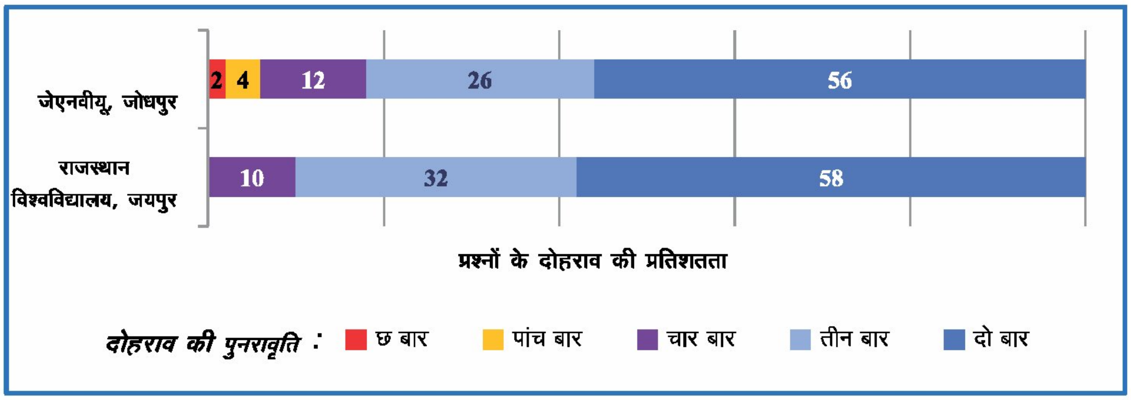

यह देखा जा सकता है कि एक बड़ी संख्या में प्रश्नों को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (42 प्रतिशत) तथा जेएनवीयू, जोधपुर (44 प्रतिशत) में तीन से छः बार दोहराया गया था। आगे,

45 लेखापरीक्षा ने चयनित 11 विभागों के पिछले वर्षों के सामान्यतः उपलब्ध प्रश्नपत्र बैंक (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के लिए 6 वर्ष एवं जेएनवीयू, जोधपुर के लिए 10 वर्ष) स्थानीय बाजार से एकत्रित किए क्योंकि वे संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में 46 प्रतिशत प्रश्न केवल समाजशास्त्र , रसायन विज्ञान तथा प्राणी शास्त्र में दोहराए गए थे और जेएनवीयू, जोधपुर में 43 प्रतिशत प्रश्न केवल समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र में दोहराए गए थे । दिलचस्प बात यह है कि जीजीटीयू, बांसवाड़ा में 2019 के छः प्रश्नपत्रों में सात प्रश्न उसी प्रश्नपत्र में दो बार पूछे गए थे। जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया ।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि वर्तमान वर्ष के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए सिलेबस एवं गत वर्षों के प्रश्न पत्रों की प्रतियां शिक्षकों को भेजी जाती है । शिक्षकों को इसके अनुसार प्रश्न पत्र तैयार करने होते हैं प्रश्नों के दोहराव से बचने के प्रयास किए गए थे । विश्वविद्यालय ने केवल प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण दिया था। इसने प्रश्नों के दोहराव से बचने के लिए की जाने वाली सुधारात्मक कार्यवाही का कोई विवरण नही दिया ।

इस प्रकार, प्रश्नों का दोहराव तथा उन्नत पद्धतियों का उपयोग नहीं करना इस बात का संकेत है कि अभी भी रटने की प्रवृति पर ही प्रमुखता से ध्यान केन्द्रित है।

(स) परीक्षा विंग/अनुभाग के स्वचालन (कंप्यूटीकरण) की स्थिति

परीक्षा विंग के स्वचालन की स्थिति के बारे में नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना की संवीक्षा से पता चला है कि जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा में परीक्षा से संबंधित सभी कार्य जैसे परीक्षा फॉर्म प्राप्त करना, परीक्षा फॉर्म में सुधार करना, प्रवेश पत्र जारी करना, परीक्षा के नतीजों की घोषणा करना, अंक-तालिका जारी करना, पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना और उसके नतीजों की घोषणा करना पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत हैं।

हालांकि, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने सूचित किया कि परीक्षा विंग आंशिक रूप से ही स्वचालित है। प्रश्न पत्र भेजने, अंकतालिका / डिग्री जारी करना, परीक्षकों को भुगतान और परीक्षा प्रपत्रों के सत्यापन जैसी गतिविधियाँ गैर-स्वचालित साधन के माध्यम से किए जा रहे थे।

(द) परीक्षा के नतीजों की घोषणा में देरी

परीक्षा के नतीजे समय पर घोषित करना बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से स्नातक छात्रों के लिए क्योंकि अध्ययन के बाद के बहुत से अवसर जैसे कि रोजगार, आगे के अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षाओं में नामांकन आदि परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता हैं। घोषणा में कोई भी देरी ऐसे छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है ।

माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों की हुई बैठक (05 मई 2015) में यह निर्णय लिया गया कि सभी नियमित परीक्षाओं के नतीजे प्रत्येक वर्ष की 07 जुलाई तक घोषित किए जाएं और पुनर्मूल्यांकन के नतीजे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तिथि के एक महीने में घोषित किए जाएं। आगे, राजस्थान विश्वविद्यालय की हैंड बुक के संशोधित अध्यादेश 157-ए ने भी दोहराया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तिथि से 30 दिनों में पुनर्मूल्यांकन के नतीजे घोषित किए जाने चाहिए।

नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि :

(i) **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर** : यद्यपि विश्वविद्यालय ने परीक्षा के नतीजों की घोषणा की तारीखों की कोई वार्षिक समय-सारणी तैयार नहीं की, लेकिन यह दावा किया कि परीक्षा के नतीजे 2014-19 के दौरान बिना किसी देरी के घोषित किए गए थे। हालांकि, विश्वविद्यालय की वेबसाइट से देखा गया था कि स्नातकोत्तर परीक्षा के नतीजे वर्ष 2016-19 के दौरान प्रत्येक वर्ष जुलाई माह से दो से चार महीने की देरी के साथ घोषित[46] किए गए थे।

आगे, विश्वविद्यालय द्वारा 2017-19 के दौरान पुनर्मूल्यांकन के नतीजे आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के बाद 27 दिन से 116 दिनों की देरी[47] के साथ तक घोषित किए गए (विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है)।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि कुछ प्रकरणों में अपरिहार्य कारणों से नतीजे घोषित करने में देरी हुई तथा ऐसी देरी से बचने के प्रयास किए जाएंगे।

(ii) **जेएनवीयू, जोधपुर**: विश्वविद्यालय ने हर वर्ष परीक्षाओं की तिथियों और नतीजों की घोषणा का उल्लेख करते हुए एक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया, इसने 2014-19 के दौरान स्नातक परीक्षा के नतीजे, नियत तिथियों से छः दिन से लेकर 34 दिनों की देरी[48] के साथ घोषित किए है।

(iii) **जीजीटीयू, बांसवाड़ा**: विश्वविद्यालय ने 2017-19 के दौरान परीक्षाओं के नतीजे परीक्षा सूची में निर्धारित[49] तिथियों की समय सीमा में घोषित किए।

(य) परीक्षाओं में उपस्थिति के लिए छात्र उपस्थिति मानदंड

राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों की हुई बैठक (5 मई 2015) में यह निर्णय लिया गया कि 75 प्रतिशत उपस्थिति मानदंडों की पालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।

नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ :

(i) **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर** : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हैंड बुक पार्ट- II (वॉल्यूम- II) ने भी दोहराया गया कि परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक विषय (सैद्धातिक और व्यावहारिक) में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।

---

46 स्नाकोत्तर कार्यक्रम 2016 की परीक्षा के नतीजे नवंबर 2016 तक घोषित, 2017 के नतीजे अक्टूबर 2017 तक, 2018 के नतीजे सितंबर 2018 तक और 2019 के नतीजे सितंबर 2019 तक घोषित किए थे।

47 पुनर्मूल्यांकन के नतीजों की घोषणा में देरी की गणना परीक्षा नतीजे घोषित करने की तिथि से 15 दिन के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए 30 दिन अनुमत्य कर गणना की गई है।

48 वर्ष 2014-15 में 30.06.2015 की निर्धारित तारीख से छः दिनों की देरी के साथ, 2015-16 में 30.06.2016 से 15 दिनों की देरी से, 2016-17 में 10.06.2017 से 24 दिनों की देरी से, 2017-18 में 25.05.2018 से 34 दिन की देरी से और 2018-19 में 25.05.2019 से 29 दिनों की देरी से नतीजे घोषित किए गए।

49 वर्ष 2017-18 के दौरान नतीजे घोषणा की संभावित तिथि 10 मई से 31 जुलाई 2018 के विपरीत 01 मई से 20 जुलाई 2018 के दौरान घोषित किए गए थे एवं वर्ष 2018-19 के दौरान नतीजे 1 मई से 30 जून 2019 तक घोषणा की संभावित तिथियों के विपरीत 01 मई से 27 जून 2019 के बीच घोषित किए गए थे।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विभागों (चयनित कक्षाएं) और इसके दो संघटक महाविद्यालयों में 2017-20 की अवधि के लिए नामांकित 1,477 छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1,477 छात्रों में से केवल 26 छात्र (1.76 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत कक्षाओं में उपस्थित हुए थे, जिसका विवरण ***तालिका 3.6*** में दिया गया है।

तालिका 3.6 : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में छात्रों की संख्या जो न्यूनतम निर्धारित कक्षाओं में उपस्थित नहीं हुए थे

वर्ष	आयोजित कक्षाएं	परीक्षा के लिए न्यूनतम आवश्यकता (75 प्रतिशत उपस्थिति)	छात्रों की संख्या जिनकी उपस्थिति की जांच की गई थी	छात्रों की संख्या जो न्यूनतम कक्षाओं में शामिल नहीं हुए थे
2017-18	921	683	609	588 (96.55%)
2018-19	861	642	693	690 (99.57%)
2019-20	227	170	175	173 (98.86%)
कुल	**2,009**	**1,495**	**1,477**	**1,451 (98.24%)**

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य थी तथा इन मानदंडों की पालना की जा रही थी। यदि किसी विभाग द्वारा इस संबंध में कोई सूचना दी जाती है तो उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। हालांकि विश्वविद्यालय ने यह सूचित नहीं किया कि क्या ये 1,477 छात्र परीक्षा में प्रविष्ट हुए थे अथवा नहीं।

(ii) **जेएनवीयू, जोधपुर** : जेएनवीयू, जोधपुर के हैंड बुक के अध्यादेश 78-ए के अनुसार, कला, शिक्षा और सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के संकायों में सभी नियमित छात्रों को उनके प्रवेश की तिथि से व्याख्यान और टयूटोरियल के साथ-साथ प्रायोगिक और सत्रीय आयोजनों में से कम से कम 70 प्रतिशत में उपस्थित होना चाहिए।

उपस्थिति मानदंडों के अनुपालन का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने विश्वविद्यालय को उपस्थिति रजिस्टर उपलब्ध करने का अनुरोध किया। वर्ष 2017-18 के लिए एमए (हिंदी) सेमेस्टर- III की उपस्थिति रजिस्टर की जांच (विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई) से पता चला कि सभी 48 छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक थी।

(iii) **जीजीटीयू, बांसवाड़ा** : विश्वविद्यालय ने सूचित किया कि सभी छात्र परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम 75 प्रतिशत मानदंडों को पूरा कर रहे थे।

(र) मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया :

एक परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन उन छात्रों के अनुरोध पर उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः जांच को संदर्भित करता है, जो यह मानते हैं कि उन्हें प्राप्त नतीजे उनकी अपनी उम्मीदों के अनुरूप नहीं आए है।

(क) केंद्रीकृत मूल्यांकन मानदंडः

राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों की हुई बैठक (5 मई 2015) में यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी और कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर सभी राज्य विश्वविद्यालयों में केंद्रीकृत

मूल्यांकन पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। आगे, मूल्यांकन के लिए प्रत्येक शिक्षक को अधिकतम 50 उत्तर पुस्तिकाएं (अधिकतम 5 घंटे की ड्यूटी) दी जानी चाहिए।

इस संबंध में यह देखा गया कि :

पर्याप्त परीक्षकों की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में केवल स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए केंद्रीकृत मूल्यांकन किया जा रहा है। जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने केंद्रीकृत मूल्यांकन पद्धति को नहीं अपनाया और मूल्यांकन के लिए गैर-केंद्रीकृत तरीके से परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षकों तक पहुंचाई जा रही थीं।

(ख) उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हैंड बुक के अनुसार, विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन जितनें सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों की परीक्षा में एक उम्मीदवार वास्तव में शामिल हुआ, के 25 प्रतिशत से अधिक में अनुमत्य नहीं होगा। आगे, संबद्ध निजी महाविद्यालयों के अनुरोध पर, पुनर्मूल्यांकन किए जाने वाले प्रश्नपत्रों की संख्या केवल 2017 के लिए 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत तक शिथिल की गई थी।

जेएनवीयू, जोधपुर में, नियमों के अनुसार, सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के 50 प्रतिशत से अधिक की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन अनुमत्य नहीं है, वह भी इस शर्त के साथ कि जहां कुल प्रश्न पत्रों की संख्या छह है वहां अधिकतम तीन प्रश्न पत्रों में और जहां प्रश्न पत्रों की कुल संख्या छह से अधिक है वहां अधिकतम चार प्रश्न पत्रों में पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है।

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2016-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं जेएनवीयू, जोधपुर में और 2017-19 के दौरान जीजीटीयू, बांसवाड़ा में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में विवरण ***तालिका 3.7*** में नीचे दिए गए है।

तालिका 3.7: उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति

विश्वविद्यालय का नाम	कार्यक्रम का प्रकार	परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या			पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या			पुनर्मूल्यांकन के पश्चात जिन छात्रों के प्राप्तांकों में परिवर्तन हुआ			छात्र जिनके नतीजे परिवर्तित हुए (अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण)		
		2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	स्नातक	4,48,789	5,36,319	4,39,133	46,475	94,058	63,855	12,885	22,973	15,294	7,174	12,705	8,927
	स्नातकोतर	उ. न.	1,36,017	1,08,510	उ. न.	13,615	8,525	उ. न.	4,007	2,508	उ. न.	669	458
	कुल	**4,48,789**	**6,72,336**	**5,47,643**	**46,475 (10%)**	**1, 07,673 (16%)**	**72,380 (13%)**	**12,885 (28%)**	**26,980 (25%)**	**17,802 (25%)**	**7174 (15%)**	**13,374 (12%)**	**9,385 (13%)**
जेएनवीयू, जोधपुर	स्नातक	128129	128943	125957	16926	17088	20145	16091	16406	19258	उ. न.	उ. न.	उ. न.
	स्नातकोतर	17601	12768	12429	2329	1409	1794	2184	1345	1766	उ. न.	उ. न.	उ. न.
	कुल	**1,45,730**	**1,41,711**	**1,38,386**	**19,255 (13%)**	**18,497 (13%)**	**21,939 (16%)**	**18,275 (95%)**	**17,751 (96%)**	**21,024 (96%)**	उ. न.	उ. न.	उ. न.
जीजीटीयू, बांसवाडा	स्नातक	-	33,205	61935	-	998	3142	-	641	2064	-	161	249
	स्नातकोतर	-	4,110	6654	-	404	487	-	333	370	-	41	18
	कुल	-	**37,315**	**68,589**	-	**1,402 (4%)**	**3,629 (5%)**	-	**974 (69%)**	**2,434 (67%)**		**202 (21%)**	**267 (11%)**

स्रोतः संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार उ. न.- उपलब्ध नहीं

यह देखा जा सकता है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों में से राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में औसतन 26 प्रतिशत छात्रों (25 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक विस्तारित), जेएनवीयू, जोधपुर में औसतन 96 प्रतिशत छात्रों (95 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक विस्तारित) और जीजीटीयू, बांसवाड़ा में औसतन 68 प्रतिशत छात्रों (67 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक विस्तारित) के प्राप्तांक पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तित हुए।

इस प्रकार, पुनर्मूल्यांकन के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं में परिवर्तन का उच्च प्रतिशत, विशेष रूप से जब नतीजा अनुत्तीर्ण से उत्तीर्ण हो जाता है, यह दर्शाता है कि नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों विशेष रूप से जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा में मूल्यांकन प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी नहीं हैं और संपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली को सुधारने की आवश्यकता है।

छात्र सर्वेक्षण के नतीजे : छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण का प्रश्न *"क्या आप अपने संस्थान में पुनःनिर्धारण/ पुनर्मूल्यांकन कार्यप्रणाली के संदर्भ में परीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया से संतुष्ट हैं?"* के उत्तर में 27 प्रतिशत छात्रों ने अवगत कराया कि वे असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट थे और 73 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि वे अत्यधिक संतुष्ट/संतुष्ट थे।

3.2 प्रभावी शोध के परिणामस्वरूप नवीन ज्ञान का समाज को योगदान

महाविद्यालयों में शोध क्षमताओं[50] को सचेत रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। नवीन शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण सहित शोध करने के लिए महाविद्यालयों और उनके शिक्षकों को प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान की जानी चाहिए। कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के सहयोग से बहु-विषयक मिशन मोड शोध और नवाचार कार्यक्रमों को विकसित किया जाना चाहिए जो समाज को सभी स्तरों पर सीधे लाभान्वित करें और आर्थिक विकास में योगदान करें।

इस खंड में, नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध परियोजनाओं और विस्तार गतिविधियों से संबंधित पहलुओं के लेखापरीक्षा निष्कर्षों और परिणामों पर चर्चा की गई है। आगे, चयनित चार संकेतकों (तीन शोध गतिविधियों से संबंधित और एक विस्तार गतिविधियों से संबंधित) के नतीजों पर भी चर्चा की गई है। इन संकेतकों को उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन व प्रत्यायन प्रक्रिया के दौरान नैक द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रमुख संकेतकों से लिया गया है।

3.2.1 शोध गतिविधियों से संबंधित मुद्दें

3.2.1.1 परिणाम संकेतकों के आधार पर विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

लेखापरीक्षा ने नैक बेंचमार्क के आधार पर नमूना जांच किए गए तीन विश्वविद्यालयों का प्रभावी शोध गतिविधियों में प्रदर्शन का आकलन निम्नलिखित तीन परिणाम संकेतकों के माध्यम से किया। जानकारी ***सारणी 3.8*** में नीचे दी गई है। (संकेतकों का विवरण ***परिशिष्ट-1.1*** में क्रम संख्या 22 से 24 तक दिया गया है), इन संकेतकों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

---

50 बारहवी पंचवर्षीय योजना के तहत "उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार" पर जारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार।

तालिका 3.8: संकेतकों के संबंध में नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

क्र. सं.	परिणाम संकेतक	अधिकतम चार अंक प्राप्त करने के लिए नैक बेंचमार्क	नैक बेंचमार्क के संदर्भ में नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन (प्राप्त[51] अंक)				
			राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर		जेएनवीयू, जोधपुर		जीजीटीयू, बांसवाडा
			विश्वविद्यालय स्तर	चयनित 11 विभाग	विश्वविद्यालय स्तर	चयनित 11 विभाग	
1.	**2014-19 के दौरान संस्था को प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या**	20 और अधिक	0	लागू नहीं	0	लागू नहीं	0
2.	**2014-19 के दौरान यूजीसी वेबसाइट पर अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रति शिक्षक शोध पत्रों की संख्या**	10 और अधिक	टिप्पणी नहीं की जा सकी	1	टिप्पणी नहीं की जा सकी	1	0
3.	**2014-19 के दौरान उन्नत अध्ययन/ शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या**	40% और अधिक	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	टिप्पणी नहीं की जा सकी	0	0

3.2.1.2 नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध अनुदान की मात्रा, शुरू की गई शोध परियोजनाएं और प्रदान किए गए पेटेंट

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 7.1 और 7.1.19 (ए) में अवगत कराया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध गतिविधियों के लिए समुचित धन और पहल करने/योजनाओं को विकसित करने की आवश्यकता है।

यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोधकर्ताओं का प्रमुख आधार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बने हुए हैं और नैक मैन्युअल भी परिकल्पना करता है कि शिक्षकों को समाजोपयोगी शोध परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम बनाने की जिम्मेदारी संस्थानों की है ।

नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की गई सूचना से प्रकट हुआ कि वे विभिन्न परियोजनाओं के तहत केवल सरकारी स्रोतों जैसे कि यूजीसी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और राजस्थान सरकार आदि से शोध अनुदान प्राप्त करते है। वर्ष 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकारी स्रोतों से प्राप्त शोध अनुदान, शुरू किए गए शोध कार्य एवं शोध परिणामों की स्थिति ***तालिका 3.9*** में नीचे दी गई हैं :

51 लेखापरीक्षा द्वारा चयनित संकेतकों पर विश्वविद्यालय के प्रदर्शन के अनुसार अंक आवंटित किए गए हैं और इसकी तुलना नैक द्वारा प्रत्यानन प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्कोरिंग पैटर्न का विश्लेषण करके निकाले गए बेंचमार्क के साथ की गई है जिसका विवरण (परिशिष्ट 1.3) में दिया गया है।

तालिका 3.9 : सरकारी स्त्रोतों से प्राप्त शोध अनुदान और शोध परिणामों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

उच्च शिक्षण संस्थान का नाम	सरकारी स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान	अनुदान का उपयोग	प्रारंभ किए गए शोध परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण शोध परियोजनाओं की संख्या	प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या	विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए परामर्श की संख्या
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	96.98	84.34 (86.97%)	87	34	0	0
जेएनवीयू, जोधपुर	1.23	0.77 (62.60%)	14	0	0	0
जीजीटीयू, बांसवाड़ा	0	0	0	0	0	0
राजकीय महाविद्यालय (36 में से 10)	0.60	0.34 (56.67%)	14	13	0	0
निजी महाविद्यालय (30 में से 1)	0.65	0.37 (56.92%)	25	25	0	0
कुल	99.46	85.82(86.29%)	140	72	0	0

स्रोतः संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सूचना

यह देखा जा सकता है कि :

- जेएनवीयू, जोधपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में शोध गतिविधियों को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया गया क्योंकि जेएनवीयू, जोधपुर में 14 शोध परियोजनाओं में से कोई भी पूरी नहीं हुईं और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में मात्र 39 प्रतिशत शोध परियोजनाएं पूरी हुई। आगे, यह भी देखा गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में 87 शोध परियोजनाओं को शुरू करने के लिए राशि ₹184.05 करोड़ का कुल अनुदान अनुमोदित हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानों का उपयोग नहीं करने/ अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण वह केवल ₹ 96.98 करोड़ का अनुदान प्राप्त कर सके। इस प्रकार, विश्वविद्यालय न केवल प्राप्त अनुदान का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रहा, बल्कि शेष अनुदान ₹ 87.07 करोड़ से भी वंचित रहा। कुछ दृष्टांतों के विवरण जिसमें पूर्ण अनुदानों का उपयोग नहीं हुआ था, **अनुच्छेद 3.2.1.5 (स)** में चर्चा की गई है।

- आगे, हालांकि 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में 51 प्रतिशत परियोजनाएं पूरी हुईं, इन संस्थानों को कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया गया और इनके द्वारा कोई परामर्श नहीं दिया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया(जनवरी 2021)।

3.2.1.3 उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध के लिए शिक्षकों का योगदान

(अ) प्रति शिक्षक प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क शिक्षण और शोध के बीच तालमेल का निर्माण करके दोनों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हुए उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता लाना चाहता है। शोध

कुशाग्रता किसी संस्थान की एक ऐसी उभरती हुई विशेषता है, जो स्पष्ट पुरुस्कार जैसे कि डॉक्टरल, पोस्ट-डॉक्टरल, प्रोजेक्ट आविष्कार और खोज, प्राप्त पेटेंटों की संख्या और शोध प्रकाशनों की संख्या के साथ विभिन्न शोध आउटपुट के रूप में परिलक्षित होती है।

आगे, नैक एक संस्था की प्रत्यायन प्रक्रिया के दौरान यूजीसी द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रति शिक्षक शोध पत्रों की संख्या और संपादित संस्करणों/पुस्तकों में प्रकाशित किए गए प्रति शिक्षक अध्यायों की संख्या के लिए अंक आवंटित करता है।

वर्ष 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी द्वारा अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या और संपादित संस्करणों/पुस्तकों में प्रकाशित अध्यायों तथा पुस्तकों की संख्या का विवरण ***सारणी 3.10*** में नीचे दिया गया है :

तालिका 3.10: प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या और संपादित संस्करणों/पुस्तकों में प्रकाशित अध्यायों और पुस्तकों की संख्या

उच्च शिक्षण संस्थान का नाम	2014-19 के दौरान पूर्णकालिक शिक्षकों की औसत संख्या	शिक्षकों की संख्या, जिन्हें 2014-19 के दौरान शोध के लिए प्रारंभिक राशि दी गई थी	वर्ष 2014-19 के दौरान यूजीसी अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्रों की संख्या		राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रकाशित पत्र, तथा सम्पादित संस्करणों में अध्याय एवं पुस्तकें/ प्रकाशित अध्याय एवं पुस्तकें	
			कुल प्रकाशित पत्रों की संख्या	प्रति शिक्षक प्रकाशित पत्रों की संख्या	सम्पादित संस्करण में/प्रकाशित कुल पुस्तकों एवं अध्याय की संख्या	प्रति शिक्षक सम्पादित संस्करणों में/प्रकाशित पुस्तकों में अध्याय की संख्या
1	2	3	4	5 (कॉ.4/ कॉ. 2)	6	7 (कॉ. 6/कॉ. 2)
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	234	0	806	3.44	298	1.27
जेएनवीयू, जोधपुर	154	0	417	2.71	30	0.19
जीजीटीयू, बांसवाडा	0	0	0	0	0	0
राजकीय महाविद्यालय	665	30	255	0.38	474	0.71
निजी महाविद्यालय	309	0	0	0	0	0

स्रोतः संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना

यह देखा जा सकता है कि :

- वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जेएनवीयू, जोधपुर और नमूना जांच किए गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में यूजीसी अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रति शिक्षक औसतन 0.38 से 3.44 पेपर प्रकाशित किए गए और संपादित संस्करणों / पुस्तकों और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रति शिक्षक 0.71 से 1.27 पुस्तकें और अध्याय प्रकाशित किए गए। सभी 30 नमूना जांच किए गए निजी महाविद्यालयों में यूजीसी अधिसूचित पत्रिकाओं में कोई शोध पत्र प्रकाशित नहीं किया गया था, कोई भी पुस्तक और अध्याय संपादित संस्करणों/पुस्तकों में प्रकाशित नहीं किए गए थे एवं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सभाओं में भी कोई पत्र प्रकाशित नहीं किया गया था।
- नमूना जांच किए गए सभी विश्वविद्यालयों के किसी भी शिक्षक को कोई प्रारंभिक राशि प्रदान नहीं की थी, जबकि यह नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालयों के केवल 30 शिक्षकों को प्रदान की गई थी।

(ब) अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या

(i) विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय : वर्ष 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में पदस्थापित 388 पूर्णकालिक शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक उन्नत अध्ययन/शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित नहीं किया गया।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय एवं निजी महाविद्यालय : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध नमूना जांच किए गए 29 राजकीय महाविद्यालयों में से किसी भी राजकीय महाविद्यालय द्वारा इस तरह की सूचना का संधारण नहीं किया था, जबकि वर्ष 2014-19 के दौरान जीजीटीयू, बांसवाड़ा से संबद्ध नमूना जांच किए गए सात राजकीय महाविद्यालयों में पदस्थापित किसी भी शिक्षक को उन्नत अध्ययन/शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय फैलोशिप से सम्मानित नहीं किया गया। आगे, 2014-19 के दौरान नमूना जांच किये गए 30 निजी महाविद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों में से किसी शिक्षक को उन्नत अध्ययन/शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित नहीं किया गया था।

3.2.1.4 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में पीएचडी छात्रों के थीसिस के मूल्यांकन/परीक्षण में देरी

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की हैंड बुक के संशोधित अध्यादेश 124 (10.15) के अनुसार, पीएचडी थीसिस की पूरी प्रक्रिया थीसिस जमा करने की तारीख से छः महीने की अवधि में पूरी हो जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2007 से 2019 के बीच पीएचडी छात्रों द्वारा प्रस्तुत 72 थीसिस मार्च 2019 तक परीक्षकों के पास मूल्यांकन/परीक्षण के लिए लंबित थी, इनमें से 11 थीसिस मूल्यांकन/परीक्षण के लिए पांच से अधिक वर्षों से लंबित थी, 18 थीसिस तीन से पांच वर्ष के लिए और 43 थीसिस एक से पांच वर्ष से लंबित थी। लंबित रहने के कारणों में मुख्य रूप से पर्यवेक्षकों द्वारा मौखिक परीक्षण के लिए तिथि तय नहीं करना (40 मामलें), पैनल नहीं भेजना (नौ मामलें) तथा पर्यवेक्षकों द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजना (चार मामलें) आदि शामिल थे। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार कार्यवाही के प्रयास किए जाएंगे।

इस तरह की देरी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की एक गंभीर प्रणालीगत समस्या की ओर इशारा करती है जो न केवल सभी भागीदारों के शोध प्रयासों को कम करती है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण रूप से, इन शैक्षणिक प्रयासों में भागीदार छात्रों की प्रगति को रोकती है।

3.2.1.5 शोध परियोजनाओं से संबंधित अन्य निष्कर्ष

(अ) जीजीटीयू, बांसवाड़ा में शोध पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में न्यूनतम मानकों की पालना का अभाव

यूजीसी के मानकों (मई 2016) के अनुसार, एक शोध पर्यवेक्षक के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नियमित प्रोफेसर और जिसके कम से कम पांच शोध प्रकाशित हुए हों अथवा संदर्भित पत्रिकाओं में न्यूनतम दो शोध प्रकाशित करवाने वाला संबंधित

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पीएचडी डिग्री धारी एसोसिएट/सहायक प्रोफेसर होना चाहिए। बाह्य शिक्षक को शोध पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। आगे, शोध प्रस्ताव की समीक्षा करने और शोध विषयों को अन्तिम रूप देने और शोध की अध्ययन योजना व कार्यप्रणाली को विकसित करने में शोध छात्रों का मार्गदर्शन करने, समय-समय पर समीक्षा करने और शोधकार्य की प्रगति में सहायता के लिए विश्वविद्यालय में एक शोध सलाहकार समिति या एक समकक्ष संस्था होनी चाहिए।

जीजीटीयू, बांसवाड़ा के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2018-19 में 72 शोध पर्यवेक्षकों के निर्देशन में 230 शोध छात्रों को पंजीकृत किया। इन 72 शोध पर्यवेक्षकों में से 30 (41.67 प्रतिशत) सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी संस्थानों से नियुक्त किए गए थे। वे विश्वविद्यालय/इसके संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों के नियमित शिक्षक नहीं थे। हालांकि शेष 42 शोध पर्यवेक्षक राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों में से नियुक्त किए गए थे, संदर्भित पत्रिकाओं में उनके शोध प्रकाशनों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण शोध पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उनकी पात्रता यूजीसी मानकों के अनुसार सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

आगे, विश्वविद्यालय ने शोधकार्य की समीक्षा के लिए और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक शोध सलाहकार समिति या किसी अन्य समकक्ष निकाय की स्थापना नहीं की। विश्वविद्यालय प्रत्येक पर्यवेक्षक के तहत शोध छात्र के रिकॉर्ड को संधारण करने में भी विफल रहा। जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

(ब) "स्टार्ट अप शोध परियोजनाएं" पूर्ण होने का अभाव

यूजीसी ने वर्ष 2014-15 में जेएनवीयू, जोधपुर के विज्ञान विभाग में छः नव नियुक्त सहायक प्रोफेसरों को शोध परियोजनाओं के लिए ₹36 लाख का स्टार्ट अप[52] अनुदान स्वीकृत किया। ये शोध परियोजनाएं तीन वर्ष में पूर्ण की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी छः परियोजनाएं उनके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि से 22 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद भी जनवरी 2020 तक पूर्ण नहीं की गई थी। इससे अधिक सभी छः परियोजनाओं के लिए यूजीसी को अनुदान के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि इच्छित उद्देश्यों के लिए कितना अनुदान उपयोग में लाया गया था। आगे, परियोजनाएं पूर्ण नहीं होने के कारण, शोध के इच्छित उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किए जा सके। 'स्टार्ट अप शोध परियोजनाएं' पूर्ण नहीं होने के कारण यद्यपि पूछे गए थे (फरवरी 2020) किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए।

52 औद्योगिक अपशिष्ट में भारी धातुओं की निगरानी और निर्धारण के लिए नोवल विद्युत रसायनिक सेंसर के विकास और सत्यापन पर अध्ययन; राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्र के लसोड़े/गूंदों की सरंचनात्मक विशेषताएं और कृत्रिम परिवेशीय अध्ययन; सीसा आधारित सिलिकेट सामग्री का संश्लेषण और उनके संरचनात्मक, विद्युत, थर्मल और चुंबकीय गुणों का अध्ययन; बाड़मेर जिले के पेयजल से फ्लोराइड और नाइट्रेट का अनुसंधान और उन्मूलन; राजस्थान के चुने हुए खाद्य कद्दुओं की सरंचनात्मक विशेषताएं एवं सूक्ष्म रूपात्मक अध्ययन और कुछ चुने हुए इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रक्रियाओं में सरंचनात्मक-प्रक्रियात्मक सहसंबंध है।

(स) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा शोध अनुदान प्राप्त करने में विफलता

लेखापरीक्षा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में 22 शोध परियोजनाओं की संवीक्षा की जिनको वर्ष 2014-19 के दौरान विभिन्न राजकीय स्रोतों[53] द्वारा ₹ 61.76 करोड़ के शोध अनुदान स्वीकृत किए गए थे। इनमें से स्वीकृति प्राधिकारियों ने विश्वविद्यालय को ₹15.58 करोड़ का प्रारंभिक अनुदान जारी किया और स्वीकृति पत्र के अनुसार आगामी अनुदान प्रारंभिक अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राशि ₹15.58 करोड़ में से, विश्वविद्यालय शोध परियोजनाओं पर केवल ₹11.23 करोड़ का उपयोग कर सका (*परिशिष्ट 3.3*) तथा उसने स्वीकृति प्राधिकारियों को संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए, जिसके कारण आगामी अनुदान जारी नहीं किए गए। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने न केवल राशि ₹46.18 करोड़ के अनुदान प्राप्त करने के अवसर को खो दिया, बल्कि शोध परियोजनाएं भी पूर्ण नहीं हुईं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने इन अनुदानों को प्राप्त नहीं करने के कारण शोध गतिविधियों से वंचित रहे शोध छात्रों की संख्या के बारे में सूचना पूछे जाने पर (अक्टूबर 2020) भी उपलब्ध नहीं कराई।

आगे, एक अन्य प्रकरण में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विश्वविद्यालय को परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाएं कार्यक्रम के तहत उपकरण क्रय के लिए ₹ दो करोड़ जारी किए थे। विश्वविद्यालय 2013-18 की निर्धारित अवधि में आवश्यक उपकरण क्रय नहीं कर सका और उसे राशि ₹ दो करोड़ का पूरा अनुदान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को वापस करना पड़ा। निदेशक, यूजीसी इन्फोनेट केंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने उत्तर दिया कि वेब-पोर्टल का निर्माण नहीं होने और सुविधा प्रबंधन समिति का गठन नहीं होने के कारण उपकरण 2016 तक क्रय नहीं किए जा सके, हालांकि, सितंबर 2017 में सुविधा प्रबंधन समिति के गठन के बाद भी केंद्र ने उपकरण क्रय नहीं किए जाने के विशिष्ट कारणों से अवगत नहीं कराया।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जनवरी 2021) कि भविष्य में स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित समयावधि में करने के प्रयास किए जाएंगे।

3.2.2 उद्योग, समुदाय आदि के सहयोग से विस्तार गतिविधियाँ और छात्र भागीदारी

सामुदायिक मुद्दों, लैंगिक असमानताओं एवं सामाजिक असमानता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना और सामाजिक मूल्यों एवं प्रतिबद्धता का भाव मन में बैठाना स्पष्टतः अधिगम गतिविधियों का एक मूल तत्व है। वे समूह या व्यक्ति जो संस्था की गतिविधियों में रुचि रखते हैं तथा संगठन के कार्यों, निर्णयों, नीतियों, प्रथाओं या लक्ष्यों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, संबद्धता और संपर्क के साथ दोनों को पारस्परिक लाभ पहुंचाते हैं।

एक सहयोगात्मक माहौल में, किस सीमा तक उद्योग से परामर्श किया गया है अथवा प्रायोजन और धन उपलब्ध कराया गया है, इसका आकलन करने के लिए नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा उद्योग, समुदाय और गैर सरकारी संगठनों (एनसीसी/एनएसएस/रेड क्रॉस

---

53 यूजीसी के तहत (यूजीसी - विशेष सहायता कार्यक्रम), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत (विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता और परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं को बढ़ावा देना) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के तहत जीवन विज्ञान के अंतःविषय प्रोग्राम।

आदि) के सहयोग से विस्तार और पहुंच कार्यक्रमों (आउटरीच प्रोग्रामों) के संचालन में किए गए प्रयासों और इन गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की संवीक्षा की गई है।

नमूना जांच किए गए तीन विश्वविद्यालयों और 36 राजकीय महाविद्यालयों द्वारा इस संबंध में प्रदान की गई सूचना की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआः

(i) विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय :

- वर्ष 2018-19 में, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के दो विभागों (रसायन विज्ञान और भूगोल) और एक चयनित संघटक महाविद्यालय में दो विस्तार और पहुंच कार्यक्रम (राष्ट्रीय सेवा योजना[54] और राष्ट्रीय कैडेट कोर[55]) आयोजित किए गए, जिसमें केवल 1.04 प्रतिशत छात्र (10,654 में से 111 छात्र) शामिल हुए।
- जेएनवीयू, जोधपुर और एक संघटक महाविद्यालय ने 2014-19 के दौरान दो विस्तार और पहुंच कार्यक्रम (राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर) आयोजित किए, जिसमें औसतन आठ प्रतिशत छात्रों ने भाग लिया। जेएनवीयू, जोधपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया।
- जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2014-19 के दौरान ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया था।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालय :

जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध नमूना जांच किए गए 12 राजकीय महाविद्यालयों ने उनके द्वारा संचालित विस्तार गतिविधियों की संख्या के बारे में सूचना प्रदान नहीं की। जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से संबद्ध 17 में से नौ राजकीय महाविद्यालयों ने सूचित किया कि 2014-19 के दौरान औसतन 29 विस्तार गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें प्रत्येक वर्ष औसतन 44,488 छात्रों में से 2,188 छात्र शामिल हुए। जबकि वर्ष 2014-19 के दौरान जीजीटीयू, बांसवाड़ा से संबद्ध नमूना जांच किए गए सात महाविद्यालयों में कोई विस्तार गतिविधि आयोजित नहीं की गई थी।

(iii) संकेतकों के माध्यम से मूल्यांकन (परिशिष्ट 1.1 का क्रम संख्या 9) :

नैक अपनी प्रत्यायन और मूल्यांकन प्रक्रिया में विस्तार गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को महत्त्व देता है। इसलिए, नैक बेंचमार्क के अनुसार, जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा अंक प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं थे। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के कारण, लेखापरीक्षा इस संकेतक के संबंध में उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी नहीं कर सकी।

---

54 राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है जो भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। लोकप्रिय रूप से एनएसएस के रूप में जाना जाता है।

55 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) भारत का सैन्य कैडेट कोर है जो विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल हैं।

सारांश और सिफारिशें

सामान्य डिग्री कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों के डिजाईन/संशोधन के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में उद्योगपतियों, उद्यमियों, छात्रों जैसे हितधारकों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के स्पष्ट अधिदेश के उपरांत भी जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2012 में अपनी स्थापना से लेकर 2019 तक किसी भी कार्यक्रम के पाठ्यक्रम/सिलेबस को संशोधित नहीं किया। शिक्षकों द्वारा आईसीटी शिक्षण उपकरणों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। उपयुक्त शिक्षकों की उपलब्धता अपर्याप्त थी क्योंकि राजस्थान सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यक संस्या में भर्ती नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप छात्र शिक्षक अनुपात औसतन 88:1 की ऊंचाई तक पहुंच गया था, जो इसकी निर्धारित सीमा 20:1 से चार गुना से अधिक था। नमूना जांच किए गए 30 निजी सम्बद्ध महाविद्यालयों में से 19 महाविद्यालयों में 45.71 प्रतिशत शिक्षकों ने निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता अहर्ता प्राप्त नहीं की थी। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की दिशा में भी पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए थे। केंद्रीयकृत मूल्यांकन प्रणाली का जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा में पूरी तरह से अभाव था और यह राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आंशिक रूप से विकसित थी। वर्ष 2017-19 के दौरान चिंताजनक रूप से, पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों में से जेएनवीयू, जोधपुर में 96 प्रतिशत छात्रों, जीजीटीयू, बांसवाड़ा में 68 प्रतिशत छात्रों और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में केवल 26 प्रतिशत छात्रों के अंक परिवर्तित हुए। 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में केवल 39 प्रतिशत शोध परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सका। जेएनवीयू, जोधपुर में, शोध अनुदान के 62.60 प्रतिशत का उपयोग करने के बाद भी 14 शोध परियोजनाओं में से कोई भी पूर्ण नहीं की जा सकी। आगे, नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में 72 शोध परियोजनाओं के पूरा होने के उपरांत भी कोई पेटेंट नहीं दिया जा सका। आगे, 2007 से 2019 के दौरान पीएचडी छात्रों द्वारा प्रस्तुत 72 थीसिस राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में मूल्यांकन/परीक्षण के लिए पर्यवेक्षकों के पास लंबित थी।

सिफारिशें

1. *विश्वविद्यालयों को चाहिए कि :*

(अ) उद्योग, स्थानीय/राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकता पर विचार करते हुए समय-समय पर पाठ्यक्रमों को संशोधित/डिजाईन करें ।

(ब) अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सभी कार्यक्रमों में विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने का प्रयास करना चाहिए और टर्म पेपर, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और साप्ताहिक असाइनमेंट के माध्यम से छात्रों के निरंतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके। यह नई शिक्षा नीति के अनुरूप भी होगा जो कि बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है।

(स) उत्तर पुस्तिकाओं की केंद्रीकृत मूल्यांकन प्रणाली प्रारंभ करें जिससे कि संचालनात्मक और अनुश्रवण की अपर्याप्तता से बचा जा सके।

(द) समाज को सार्थक लाभ पहुँचाने के लिए सभी शोध परियोजनाओं को उचित गुणवत्ता के

साथ आयोजित और समयबद्धता से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

2. *उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षा प्रदान करने में तकनीकी प्रगति और नवाचारों के साथ तालमेल रखने के लिए, शिक्षकों को आईसीटी शिक्षण उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।*

3. *विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निजी महाविद्यालयों में नियोजित सभी शिक्षकों के पास नियामक निकायों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता हो। राज्य सरकार निजी महाविद्यालयों में योग्य शिक्षकों की उपलब्धता पर ऑनलाइन निगरानी तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है।*

4. *राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से शिक्षकों के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र शिक्षकों को इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाए।*

अध्याय–IV

उच्च शिक्षा में पहुंच एंव समता

अध्याय – IV

उच्च शिक्षा में पहुंच एवं समता

उच्च शिक्षा में पहुंच एवं समता को व्यापक रूप से किसी भी सरकार के मूल और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के एक ऐसे तंत्र जो समाज के सभी वर्गों के लिए आसानी से सुलभ हो, का निर्माण करना उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण परिणाम (आउटकम) है जिसे सरकार प्राप्त करना चाहती है। उच्च शिक्षा तक पहुंच को किसी क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए शिक्षण संस्थानों की पर्याप्त रूप से उपलब्धता के रूप में परिभाषित किया गया है। समता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों का उच्च शिक्षा में भाग लेने के समान अवसर है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तंत्र जो कि समाज के सभी वर्गों के लिए आसानी से सुलभ हों, के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार और उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य तैयार किया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3 : क्या सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित की गई

समता व पहुंच संबंधी परिणाम और योगदानकारी कारकों के साथ उनके संबंध को नीचे दिए गए निरूपण से समझा जा सकता है।

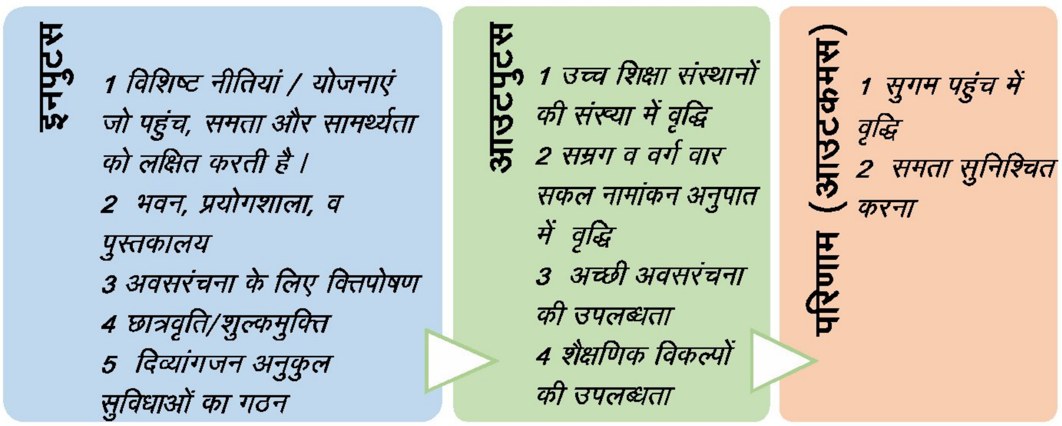

इन परिणामों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के साथ-साथ संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षा में सुगम पहुंच, व्यापक समता और सामर्थ्यता को लक्षित करने वाली विशिष्ट नीतियां व योजनाएं बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इससे भी बढ़कर, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछडे और समाज के वंचित वर्गों के लाभ के लिए छात्रवृत्ति/शुल्कमुक्ति और दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं अवश्य सुनिश्चित की जानी चाहिए। इससे संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थानों की संस्या में एक योजनाबद्ध और न्यायसगंत वृद्धि होगी और यह अधिक नामांकन को प्रोत्साहित करेगा जिससे विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों में सकल नामांकन अनुपात के स्तर में वृद्धि होगी।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर ने अनुच्छेद 4.2.3 (i) एवं 4.3.2.2(i) में सभी विभागों की समग्र व पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। पूर्ण सूचना के अभाव में, लेखापरीक्षा ने संबंधित विश्वविद्यालयों के चयनित 11 विभागों[56] से उक्त सूचनाएं एकत्र की।

4.1 उच्च शिक्षा तक सुगम पहुंच

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में व्यक्त किया गया है कि क्षेत्रीय समता के उदेश्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक तौर पर पूर्व में उपलब्ध अवसरचनाओं के समग्र व बेहतर उपयोग, अवसरचनाओं के उन्नयन व नए संस्थानों के निर्माण के माध्यम से सुगम पहुंच को प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे भी बढ़कर, पिछले कुछ वर्षो में भारत सरकार के आउटपुट – आउटकम फ्रेमवर्क[57] और राजस्थान सरकार के परिणाम बजट[58] में उच्च शिक्षा में पहुंच को बढ़ाने के लिए नये उच्च शिक्षण संस्थानों के निर्माण व विद्यमान उच्च शिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाता रहा है। इस खंड में, उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या, क्षेत्रीय पहुंच, शैक्षणिक विकल्पों की उपलब्धता के सन्दर्भ में राजस्थान में उच्च शिक्षा में सुगम पहुंच और समग्र तथा वर्गवार के सकल नामांकन अनुपात पर चर्चा की गई है।

4.1.1 राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई 'उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण' (एआईएसएचई) रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में 2010-19 के दौरान सभी प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों[59] की संख्या, महाविद्यालय घनत्व (प्रति लाख जनसंख्या पर महाविद्यालय) और प्रति महाविद्यालय औसत नामांकन की संख्या नीचे ***चार्ट 4.1*** में दर्शाई गई है।

चार्ट 4.1 : राजस्थान में उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता

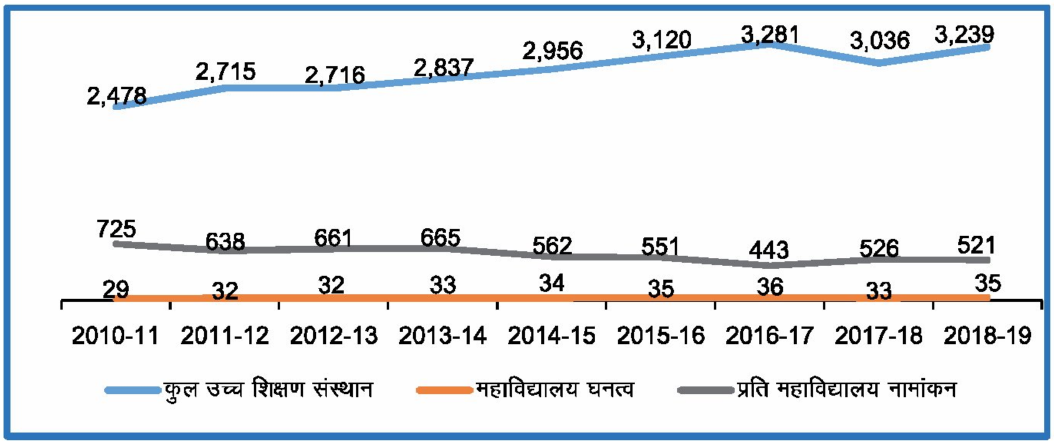

56 रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र एवं व्यवसायिक सांख्यिकी, व्यवसायिक प्रशासन, हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल एवं अर्थशास्त्र।

57 2017-18 के बाद भारत सरकार के आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क की अनुदान संख्या 58 के अंतर्गत।

58 महाविद्यालय भवनों के निर्माण के लिए बजट मद 4202 के अन्तर्गत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

59 राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालय, राज्य के निजी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, राजकीय महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय आदि।

यह देखा जा सकता है कि 2010-11 से 2018-19 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों[60] की संख्या 30.71 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2,478 से 3,239 हो गई और महाविद्यालय घनत्व भी 20.69 प्रतिशत की वृद्धि से 29 से 35 महाविद्यालय प्रति लाख जनसंख्या हो गया।

4.1.1.1 नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए नीतियां

बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी वाले आवासीय क्षेत्रों और बस्तियों की पहचान के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के भौगोलिक मानचित्रण के उपयोग की परिकल्पना की गई।

यह देखा गया कि राजस्थान सरकार की ग्रामीण, शहरी, आदिवासी और असेवित क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालय खोलने की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। सरकार के पास उच्च शिक्षण संस्थानों के भौगोलिक मानचित्रण (मैपिंग) के लिए कोई नीति नहीं है ना ही इसने उच्च शिक्षण सुविधाओं से वंचित बस्तियों की पहचान और तदानुसार राज्य में कुल उच्च शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता का आकलन करने हेतु कोई भौगोलिक मानचित्रण की कार्यवाही की।

4.1.1.2 राजस्थान के शैक्षिक ब्लॉकों में उच्च शिक्षण संस्थानों का वितरण

आयुक्तालय (कॉलेज शिक्षा) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2018-19 तक राजस्थान में 289 शैक्षिक ब्लॉक थे और जिनमें से 12 ब्लॉकों (4.15 प्रतिशत) में न तो कोई राजकीय और न ही निजी महाविद्यालय था, 89 ब्लॉकों (30.80 प्रतिशत) में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं था और 238 ब्लॉकों (82.35 प्रतिशत) में कोई राजकीय बालिका महाविद्यालय नहीं था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि महाविद्यालय रहित ब्लॉकों में नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की नीति दिसम्बर 2019 में बनाई गई थी तथा तदनुसार महाविद्यालय रहित ब्लॉकों में उनकी जनसंख्या, महाविद्यालय खोलने की माँग पर विचार करके और राज्य का सकल नामांकन औसत बढ़ाने हेतु चरणबद्ध तरीके से नए महाविद्यालय खोले जाएंगे।

4.1.2 क्षेत्रीय पहुंच

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) यह विहित करती है कि संस्थानों के वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों (उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी यानी रेगिस्तानी क्षेत्र, और दक्षिणी यानी आदिवासी क्षेत्र) में उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता की तुलना करके राजस्थान में उच्च शिक्षा तक पहुंच की स्थिति का आंकलन किया।

60 विश्वविद्यालयों में 93.02 प्रतिशत और महाविद्यालयों में 29.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.1.2.1. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच

लेखापरीक्षा ने देखा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रवार निजी महाविद्यालयों के वितरण की सूचना ना तो 'एआईएसएचई' रिपोर्ट में और ना ही आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के पास उपलब्ध थी । आगे, यह भी बताया गया कि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के पास सामान्य डिग्री के निजी महाविद्यालयों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रवार वितरण की सम्पूर्ण सूचना भी उपलब्ध नहीं थी। अतः सूचना की सीमित उपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा संवीक्षा 2014-19 के दौरान, सामान्य डिग्री के राजकीय महाविद्यालयों के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रवार वितरण तक ही सीमित थी।

2014-19 के दौरान शहरी/ग्रामीण क्षेत्र वार सामान्य डिग्री के राजकीय महाविद्यालयों का वितरण तथा जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों की अनुमानित जनसँख्या [61] ***तालिका 4.1*** में दी गई है ।

तालिका 4.1 राजकीय महाविद्यालयों का शहरी/ग्रामीण क्षेत्र वार वितरण

वर्ष	सामान्य डिग्री के राजकीय महाविद्यालयों की संख्या			अनुमानित जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार 18-23 वर्ष आयु के व्यक्ति)	
	कुल महाविद्यालय	शहरी क्षेत्र में महाविद्यालय (%)	ग्रामीण क्षेत्र में महाविद्यालय (%)	शहरी क्षेत्र (%)	ग्रामीण क्षेत्र (%)
2014-15	175	74.86	25.14	24.89	75.11
2015-16	180	71.67	28.33	24.57	75.43
2016-17	192	69.79	30.21	23.92	76.08
2017-18	209	66.99	33.01	23.34	76.66
2018-19	237	62.87	37.13	22.80	77.20

स्रोत : आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा प्रदान की गई सूचना और भारत के महापंजीयक व आयुक्त जनगणना के कार्यालय की साईट से डाउनलोड

यह देखा जा सकता है कि राजकीय महाविद्यालयों की संख्या यद्यपि, 2014-15 में 175 से बढ़कर 2018-19 तक 237 हो गई थी किन्तु इन महाविद्यालयों का शहरी/ग्रामीण क्षेत्र वार वितरण इन क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप नहीं था। 2014-19 के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में आयु वर्ग 18-23 वर्ष की 75.11 प्रतिशत से 77.20 प्रतिशत जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु केवल 25.14 प्रतिशत से 37.13 प्रतिशत राजकीय महाविद्यालय ही उपलब्ध थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उच्च शिक्षा की बेहतर पहुंच के लिए महाविद्यालय रहित ब्लॉकों में चरणबद्ध तरीके से राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे।

---

61 भारत के महापंजीयक और आयुक्त जनगणना के कार्यालय, गृह मत्रांलय की साइट से डाउनलोड की गई एकल वर्ष की आयु तालिका (तालिका सी -13) के अनुसार

4.1.2.2 राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच

एक क्षेत्र के भौतिक/भौगोलिक पहलू भी उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच को प्रभावित करतें हैं, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सामान्य स्ट्रीम के राजकीय तथा निजी महाविद्यालयों[62] की क्षेत्रवार उपलब्धता को पूर्वी क्षेत्र (नौ जिले), पश्चिमी क्षेत्र (छ जिले), उत्तरी क्षेत्र (सात जिले) व दक्षिणी क्षेत्र (11 जिले) में बांटे गए हैं। 2014-19 के दौरान राजकीय और निजी महाविद्यालयों की क्षेत्रवार उपलब्धता नीचे ***तालिका 4.2*** में दी गई है :

तालिका 4.2 : महाविद्यालयों की क्षेत्रवार उपलब्धता

भौगोलिक क्षेत्र	राजकीय महाविद्यालयों की संख्या		निजी महाविद्यालयों की संख्या		कुल महाविद्यालयों की संख्या		2018-19 की जनसँख्या लाख में (%)
	2014 – 15 (%)	2018 – 19 (%)	2014 – 15 (%)	2018 – 19 (%)	2014 – 15 (%)	2018 – 19 (%)	
पूर्वी क्षेत्र	61(34.86)	74(31.22)	555(41.05)	612(40.16)	616(40.34)	686(38.96)	30.47 (33.25)
पश्चिमी क्षेत्र	27(15.43)	44(18.57)	94 (6.95)	162(10.63)	121(7.92)	206(11.70)	16.36 (17.86)
उत्तरी क्षेत्र	38(21.71)	48(20.25))	515(38.09)	544(35.69)	553(36.22)	592(33.61)	22.13 (24.15)
दक्षिणी क्षेत्र	49(28.00)	71(29.96)	188(13.91)	206(13.52)	237(15.52)	277(15.73)	22.67(24.74)
कुल	175	237	1352	1524	1527	1761	91.63

स्रोत : आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

यह देखा जा सकता है कि 2014-19 के दौरान सामान्य डिग्री के महाविद्यालयों का प्रतिशत पूर्वी क्षेत्र में 40.34 से 38.96 प्रतिशत तक और उत्तरी क्षेत्र में 36.22 से 33.61 प्रतिशत तक घटा, जबकि यह पश्चिमी क्षेत्र में 7.92 से 11.70 प्रतिशत तक और दक्षिणी क्षेत्र में 15.52 से 15.73 प्रतिशत तक बढ़ा।

आगे, 2018-19 के दौरान, उत्तरी क्षेत्र के 7 जिलों में (22.13 लाख) और दक्षिणी क्षेत्र के 11 जिलों में (22.67 लाख) 18-23 वर्ष की जनसख्या लगभग समान थी, लेकिन उत्तरी क्षेत्र में कुल महाविद्यालयों की संख्या (592 महाविद्यालय) दक्षिणी क्षेत्र के कुल महाविद्यालयों की संख्या (277 महाविद्यालय) के दोगुनी से भी ज्यादा थी। जो यह दर्शाता है कि राज्य में सामान्य डिग्री के महाविद्यालयों का क्षेत्रवार वितरण आनुपातिक नहीं था। राज्य सरकार ने इस बारे में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

4.1.2.3 विभिन्न शैक्षणिक विकल्पों कि उपलब्धता

बारहवीं पंचवर्षीय योजना संस्थानों के वितरण में संकायों के असंतुलन को ठीक करने का समर्थन करती है। उपलब्ध सूचना की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के पास राज्य में

62 **पूर्वी क्षेत्र** में शामिल जिलों के नाम- अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, जयपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक; **पश्चिमी क्षेत्र** - बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली और सिरोही; **उत्तरी क्षेत्र**- बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, नागौर, सीकर और श्री गंगानगर; **दक्षिणी क्षेत्र**- बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर।

स्थित निजी महाविद्यालयों की संकायवार संख्या का विवरण उपलब्ध नहीं था। उक्त आंकड़ों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा ने 2014-19 के दौरान राज्य में स्थित सामान्य डिग्री के केवल राजकीय महाविद्यालयों की संख्या, कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय (स्ट्रीम) में प्रथम वर्ष में सीटों की उपलब्धता तथा नामांकित छात्रों की संख्या का विश्लेषण किया जैसा कि नीचे ***तालिका 4.3*** में दिया गया है :

तालिका 4.3: राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक विकल्पों की उपलब्धता

वर्ष	राजकीय महाविद्यालयों की संख्या	कला संकाय			विज्ञान संकाय			वाणिज्य संकाय		
		महाविद्यालयों की संख्या (%)	उपलब्ध सीट (%)	नामांकन (%)	महाविद्यालयों की संख्या (%)	उपलब्ध सीट (%)	नामांकन (%)	महाविद्यालयों की संख्या (%)	उपलब्ध सीट (%)	नामांकन (%)
2014-15	175	161 (92.00)	64.67	67.05	100 (57.14)	17.69	16.25	108 (61.71)	17.64	16.70
2015-16	180	170 (94.44)	65.02	67.57	100 (55.55)	17.52	17.14	111 (61.66)	17.46	15.29
2016-17	192	182 (94.79)	65.75	67.83	103 (53.64)	16.91	17.80	112 (58.33)	17.34	14.37
2017-18	209	190 (90.90)	64.86	68.42	112 (53.58)	17.95	18.18	114 (54.54)	17.19	13.40
2018-19	237	223 (94.09)	66.22	69.96	115 (48.52)	17.53	17.97	114 (48.10)	16.25	12.07

स्रोतः आयुक्तालय ,कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

इन आंकड़ों पर निम्नलिखित टिप्पणियां की जा सकती हैं :

- विज्ञान और वाणिज्य संकाय वाले महाविद्यालयों की आनुपातिक उपलब्धता लगातार कम हो रही थी जबकि कला संकाय वाले महाविद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही थी।
- विज्ञान और वाणिज्य दोनों संकायों में सीटों की उपलब्धता घटी, जबकि यह कला संकाय में बढ़ी।
- 2014-19 के दौरान कला संकाय में छात्रों का नामांकन विज्ञान और वाणिज्य संकायों में छात्रों के कुल नामांकन से लगभग दोगुना से भी अधिक था।

इस प्रकार, सभी संकायों में आनुपातिक रूप से शैक्षणिक विकल्प उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की विफलता के कारण वर्ष 2014-19 के दौरान संकाय विशेष में नामांकन की प्रवृति को प्रभावित किया जो भावी छात्रों को शैक्षणिक विकल्पों की उपलब्धता में कमी को उजागर करता है।

4.2 सकल नामांकन अनुपात

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात[63] 2011-12 के 15 प्रतिशत से बढाकर 2016-17 तक 21 प्रतिशत व आगे 2020 तक 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य उच्च शिक्षा आयोजना

63 सकल नामांकन अनुपात उम्र पर ध्यान दिए बिना, उच्च शिक्षा में एक निश्चित वर्ष में कुल नामांकन है जो कि पात्र आधिकारिक जनसंख्या (18-23 वर्ष) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

(2015-19) में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2019 तक 26 और वर्ष 2022 तक 32 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि राजस्थान सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से सकल नामांकन अनुपात व सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के नामाकन संबंधी डेटाबेस संधारित नहीं किए गए और वह 'एआईएसएचई' रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों पर निर्भर थी। वर्ष 2010-19 की अवधि के लिए समग्र भारत के समक्ष राजस्थान का सकल नामाकन अनुपात एवं राजस्थान की उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय रैंकिंग नीचे ***चार्ट 4.2*** में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 4.2 : राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य का सकल नामांकन अनुपात

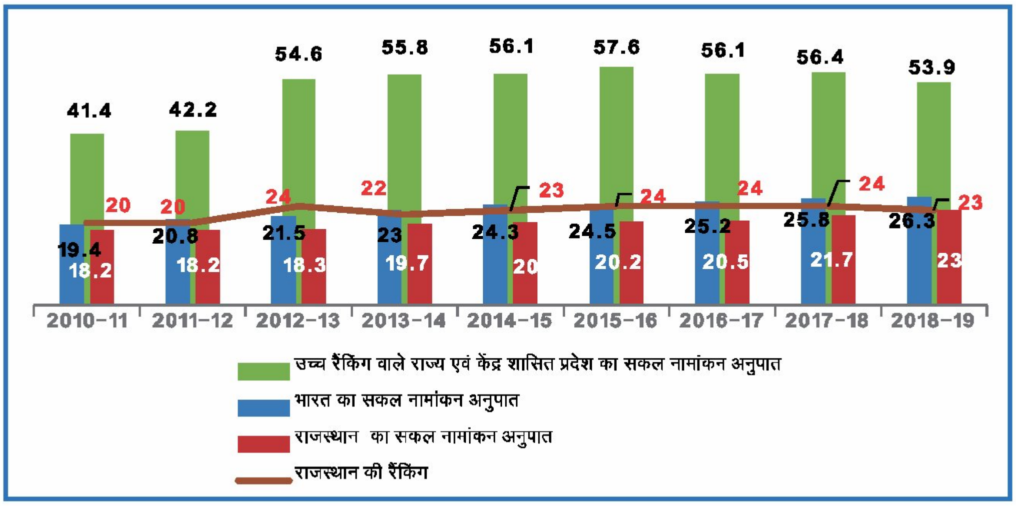

यह देखा जा सकता है कि :

- हालांकि 2010-19 के दौरान राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि की प्रवृति प्रदर्शित हुई लेकिन यह राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से लगातार कम रहा। उल्लेखनीय है कि 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सकल नामांकन अनुपात के संदर्भ में राजस्थान की रैंकिंग 2010-11 में 20वें स्थान से नीचे आकर 2018-19 में 23वें स्थान तक पहुँच गई।

- आगे, 2018-19 की 'एआईएसएचई' रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में सभी 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राजस्थान महाविद्यालयों की संख्या की दृष्टि से चौथे नम्बर पर (3,156 महाविद्यालय) और महाविद्यालय घनत्व[64] (प्रति लाख जनसंख्या पर 35 महाविद्यालय) की दृष्टि से आठवें नम्बर पर है। महाविद्यालयों[65] के जिलेवार विभाजन के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि चार जिलों (12.12 प्रतिशत) में प्रत्येक में 200 से अधिक

---

64 प्रति लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की संख्या।

65 दो जिलों में 10-19 महाविद्यालय, 12 जिलों में 20-49 महाविद्यालय, आठ जिलों में 50-99 महाविद्यालय, सात जिलों में 100-199 महाविद्यालय, तीन जिलों में 200-299 महाविद्यालय, एक जिले में 500-999 महाविद्यालय।

महाविद्यालय हैं जबकि 14 जिलों (42.42 प्रतिशत) में प्रत्येक में 50 से कम महाविद्यालय हैं। इस प्रकार, राजस्थान में महाविद्यालयों की संख्या एवं महाविद्यालय घनत्व अधिक होने के उपरांत भी अपेक्षाकृत कम सकल नामांकन अनुपात को विभिन्न क्षेत्रों/जिलों में महाविद्यालयों की विषम उपलब्धता और कम नामांकन से समझा जा सकता है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि सकल नामांकन अनुपात की गणना आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा नहीं की जाती है, क्योंकि यह केवल सामान्य शिक्षा के लिए उतरदायी है जबकि सकल नामांकन अनुपात की गणना सभी उच्च शिक्षा अर्थात इंजीनियरिंग, मेडिकल, पोलिटेक्निक, सामान्य शिक्षा आदि में नामांकन के लिए की जाती है। आगे, राजस्थान सरकार सकल नामांकन अनुपात आंकड़ों के लिए एमएचआरडी द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित 'एआईएसएचई' रिर्पोट पर निर्भर है। उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि बेहतर नियोजन के लिए, राज्य सरकार को अलग-अलग क्षेत्रवार/जिलेवार सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना चाहिए।

4.2.1 वंचित समूहों का सकल नामांकन अनुपात

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है कि अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) सहित वंचित वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने और उच्च शिक्षा की मुख्यधारा में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के वर्चस्व वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने और समग्र तरीके से विभिन्न समता योजनाओं का समावेश करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण उपाय होगा। आगे, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट के अनुच्छेद संख्या 2.2.2 (अ) के अनुसार, उच्च शिक्षा तक पहुंच में पुरूषों और महिलाओं के बीच के अंतर को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य है।

कमजोर वर्गों के नामांकन में सुधार और ऐसे सुधार के लिए लक्षित उपायों की प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए वर्ग वार सकल नामांकन अनुपात का उपयोग सबसे सामान्य माप है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ओबीसी/अल्पसंख्यकों और दिव्यांग वर्गों के सकल नामांकन अनुपात के संबध में आंकडें ना तो 'एआईएसएचई' रिपोर्ट में उपलब्ध है और ना ही राजस्थान सरकार द्वारा इनको संधारित किया गया है। सम्पूर्ण आंकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा द्वारा 2014-19 की अवधि के लिए समग्र भारत के समक्ष राजस्थान में एससी/ एसटी वर्ग के सकल नामांकन अनुपात और लैंगिक समानता सूचकांक[66] का ही विश्लेषण किया जा सका जिसे ***तालिका 4.4*** में नीचे विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है।

66 इसकी गणना उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकित महिलाओं के सकल नामांकन अनुपात को पुरुषों के सकल नामांकन अनुपात के भागफल के रूप में की जाती है।

तालिका 4.4 : एससी और एसटी वर्ग का सकल नामांकन अनुपात एवं लैंगिक समानता सूचकांक

वर्ष	एससी वर्ग का सकल नामांकन		एसटी वर्ग का सकल नामांकन		लैंगिक समानता सूचकांक	
	अखिल भारतीय	राजस्थान	अखिल भारतीय	राजस्थान	अखिल भारतीय	राजस्थान
2014-15	19.1	14.7	13.7	15.8	0.92	0.82
2015-16	19.9	15.2	14.2	15.2	0.92	0.85
2016-17	21.1	16.1	15.4	17.9	0.94	0.89
2017-18	21.8	17.2	15.9	18.5	0.97	0.91
2018-19	23.0	20.0	17.2	21.3	1.00	1.00

स्रोत : 'एआईएसएचई' रिपोर्ट के अनुसार

- 2014-19 के दौरान यह देखा जा सकता है कि, यद्यपि राजस्थान के एससी वर्ग के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई, लेकिन यह अभी भी सभी वर्षों में अखिल भारतीय औसत से कम था। राजस्थान के एसटी वर्ग के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई और यह सभी वर्षों में अखिल भारतीय औसत से अधिक था जो एक सकारात्मक प्रवत्ति दर्शाता है।
- राजस्थान के सभी वर्गों के लैंगिक समानता सूचकांक में वृद्धि हुई और यह अखिल भारतीय औसत से मेल खाता है। 'एआईएसएचई' रिपोर्ट की संवीक्षा में आगे पाया गया 2014-19 की अवधि के दौरान एससी और एसटी वर्गों का लैंगिक समानता सूचकांक क्रमशः 0.77 से 0.93 और 0.76 से 0.92 तक बढ़ा है ।

उत्तम कार्यप्रणाली : समग्र लैंगिक समानता सूचकांक तथा एससी और एसटी वर्गों के लैंगिक समानता सूचकांक में बढ़ोतरी सुगम पहुंच हेतु राज्य सरकार के प्रयासों के नतीजे हो सकते है जैसे कि छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क की छूट और छात्राओं को 'मेघावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना' और 'देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना' के अंतर्गत दुपहिया वाहन (स्कूटी) वितरण करना ।

4.2.2 वंचित समूहों की सहायता के लिए संस्थागत प्रक्रिया

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट गुणवत्ता में सुधार के संबंध में संस्थागत स्तर के निष्पादन की निगरानी पर जोर देता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने एससी और एसटी वर्गों से संबंधित छात्रों के लिए एससी/एसटी सेल की स्थापना की शुरूआत की थी तथा बारहवी पंचवर्षीय योजना ने सभी प्रतिष्ठित संस्थानों में अल्पसख्यकों सहित सभी वंचित सामाजिक समूहों के छात्रों के प्रवेश, उनके प्रदर्शन, क्षमता विकास के लिए प्रयास आदि पर निगरानी के लिए अनिवार्य रूप से सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ (सीईडीसी[67]) के गठन की परिकल्पना की। सूचना की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

67 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, सीईडीसी को अल्पसंख्यकों सहित वंचित सामाजिक समूहों के छात्रों के प्रवेश, उनके प्रदर्शन, क्षमता निर्माण के प्रयासों, तथा संकाय और प्रशासनिक कर्मचारियों की भर्ती पर निगरानी करनी चाहिए।

(i) नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालय :

- राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर ने एससी/एसटी सेल का गठन किया परन्तु चयनित संघटक महाविद्यालयों ने पृथक से एससी/एसटी सेल का गठन नहीं किया। सीईडीसी का गठन भी विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों में 2014-19 के दौरान नहीं किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा एससी/एसटी सेल द्वारा संचालित गतिविधियों के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया। विश्वविद्यालय ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।
- जेएनवीयू, जोधपुर और चयनित संघटक महाविद्यालय ने एससी/एसटी सेल का गठन किया। इसके द्वारा 2014-18 के दौरान एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के बीच समान अवसरों की उपलब्धता व उनके मौलिक अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रति वर्ष एक संगोष्ठी और दो लघु अवधि के कोर्सों का आयोजन किया। हालांकि, सीईडीसी का गठन नहीं किया गया था।
- जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने विश्वविद्यालय में एससी/एसटी सेल अथवा सीईडीसी का गठन नहीं किया।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालय :

नमूना जांच किए गए 36 में से 23 (63.88 प्रतिशत) राजकीय महाविद्यालयों में एससी/एसटी सेल का गठन पाया गया लेकिन सीईडीसी का गठन नमूना जांच किए गए किसी भी राजकीय महाविद्यालय में नहीं पाया गया।

4.2.3 लैंगिक समता संवर्धन कार्यक्रम और लैंगिक संवेदनशील सुविधाएं

प्रायः महिलाएं हमारे समाज का सबसे बड़ा वंचित वर्ग माना जाता है, सामान्य रूप से महिलाओं का उत्थान और विशेष रूप से उच्च शिक्षा में लैंगिक समता को बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण सरोकार रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा लैंगिक समता संवर्धन कार्यक्रमों (महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीडन और हिंसा, महिलाओं के अधिकारों और अपराधिक न्याय तक पहुंच, महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में कानूनी जागरूकता आदि) के आयोजन के प्रयासों की संख्या और लैंगिक संवेदनशीलता सुविधाओं (सुरक्षा उपाय और बचाव, परामर्श व कॉमन रूम आदि) की उपलब्धता का मूल्याकंन किया गया है। इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि :

(i) नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालय :

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर व दो संघटक महाविद्यालयों ने 2014-19 के दौरान लैंगिक समता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए। संघटक महाविद्यालयों ने सूचित किया कि विशेष रूप से केवल लड़कियों/लड़कों के महाविद्यालय होने के कारण इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। संघटक महाविद्यालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लैंगिक समता और संवेदनशीलता कार्यक्रमों जैसे कि महिलाओं के अधिकार और अपराधिक न्याय तक पहुंच के द्वारा प्रदान की गई जागरूकता एवं जानकारी का उपयोग केवल उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा व्यतीत किए गए समय तक ही सीमित नहीं है।

इन कार्यक्रमों से, समाज में प्रचलित लैंगिक समता के बारे में और सामान्य रूप से समाज में अपनी पारस्परिक बातचीत के माध्यम से कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं, के बारे में छात्रों, लड़के और लड़कियों दोनों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि भविष्य में इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी और लड़कों तथा लड़कियों दोनों को समान महत्व देते हुए लैंगिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किए जाएंगे।

- जेएनवीयू, जोधपुर और संघटक महाविद्यालयों द्वारा 2014-19 के दौरान इस तरह के 30 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 363 छात्र और अध्यापक सम्मिलित हुए। हालाँकि जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2014-19 के दौरान इस तरह के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालयों में : नमूना जांच किए गए 36 में से 20 (55.56 प्रतिशत) राजकीय महाविद्यालयों में 2014-19 के दौरान औसतन 27 लैंगिक समता संवर्धन कार्यक्रम[68] आयोजित किए जिसमें औसतन 3,312 छात्र शामिल हुए।

उत्तम कार्यप्रणाली : गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा ने 2015-19 के दौरान लगातार चार वर्षों तक लैंगिक समता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए।

4.3 सामर्थ्यता

उच्च शिक्षा तक समान और सुगम पहुंच के लिए सामर्थ्यता एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। विनियमित शुल्क संरचना, राजकीय और निजी महाविद्यालयों में तुलनीय शुल्क, आकर्षक छात्र ऋण योजनाएं और छात्रवृत्ति/शुल्कमुक्ति के लिए पर्याप्त अवसर कुछ ऐसे कारक है जो उच्च शिक्षा के व्यय को वहनीयता बनाने में योगदान करते हैं। राजस्थान सरकार तथा नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त सूचनाओं और उत्तरों की संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ।

4.3.1 शुल्क संरचना में एकरूपता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियमन 2009 के अनुसार प्रत्येक छात्र से प्रभारित किए जाने वाले शुल्क संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। आगे, राजस्थान विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय विधान का अनुच्छेद 33 यह विहित करता है कि प्रत्येक महाविद्यालय में प्रभारित शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि यूजीसी विनियमन, 2009 में विशिष्ट प्रावधान होने के उपरांत भी नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों ने अपने संबद्ध निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क

68 बेटी बचाओ बेटी पढाओ, आत्मरक्षा कौशल कार्यक्रम, एनीमिया और कुपोषण कार्यक्रम, यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला, बेटियां अनमोल हैं कार्यक्रम और फैशन डिजाइनिंग की कार्यशाला।

संरचना को अनुमोदित नहीं किया। नमूना जांच किए गए सभी 30 संबद्ध निजी महाविद्यालयों द्वारा शुल्क संरचना का निर्णय अपने स्वयं के स्तर पर किया गया था।

राजस्थान सरकार ने भी निजी महाविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों के लिए एकरूप शुल्क संरचना को निर्धारित नहीं किया था। इस संबंध में पूछे जाने पर आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा सूचित किया गया (नवम्बर 2020) कि राजकीय महाविद्यालयों के लिए एकरूप शुल्क सरंचना तय करने के लिए मानदंडों को अंतिम रूप देने का कार्य अक्टूबर 2020 तक प्रक्रियाधीन था।

(ii) नमूना जांच किए गए 66 संबद्ध राजकीय व निजी महाविद्यालयों द्वारा अवधि 2018-19 में कोर्सवार वार्षिक शुल्क की संवीक्षा से पता चला कि 36 राजकीय व 30 निजी महाविद्यालयों ने स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्स के लिए क्रमशः ₹ 649 से ₹ 5,000 तक एवं ₹5,000 से ₹45,000 तक वार्षिक शुल्क[69] प्रभारित किए। इस प्रकार, शुल्क संरचना की निगरानी के लिए तंत्र की अनुपस्थिति में, निजी महाविद्यालयों ने राजकीय महाविद्यालयों की तुलना में बहुत अधिक शुल्क प्रभारित किए।

जैसा कि ***अनुच्छेद 4.1.1.2 में*** पूर्व में चर्चा की गई है कि 89 ब्लॉकों में राजकीय महाविद्यालय नहीं थे, अतः छात्र महंगे निजी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए या लम्बी दूरी की यात्रा करने के लिए मजबूर हुए होंगे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि निजी महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना का निर्धारण एक नीतिगत निर्णय है और राज्य सरकार ने इस उदेश्य के लिए किसी नियामक निकाय का गठन नहीं किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि विश्वविद्यालय की हैंडबुक के अनुसार, निजी महाविद्यालयों को छात्रों से राजकीय महाविद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का 50 प्रतिशत से अधिक शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और यदि अधिक शुल्क वसूल किया जाना था तो विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी। तथ्य यह है कि हैंडबुक में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद भी राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले महाविद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

4.3.2 छात्रवृत्ति/शुल्कमुक्ति

छात्रवृत्ति/शुल्क्मुक्ति[70] योजनाएं एक सुविधाजनक तंत्र के रूप में, सरकारों द्वारा न केवल मेधावी

---

69 **राजकीय महाविद्यालयों** द्वारा प्रभारित बीए के लिए शुल्क : ₹649 से ₹2,524, बी कॉम : ₹649 से ₹2,524, बीएससी : ₹649 से ₹2,524, एमए : ₹748 से ₹5,000, एम कॉम : ₹748 से ₹2,245 एवं एमएससी : ₹779 से ₹1,156 तथा **निजी महाविद्यालयों** द्वारा प्रभारित बीए के लिए शुल्क : ₹5,000 से ₹40,000, बी कॉम : ₹6,000 से ₹40,000, बीएससी : ₹10,000 से ₹45,000, एमए : ₹7,500 से ₹20,500, एम कॉम : ₹6,000 से ₹20,500 एवं एमएससी : ₹20,000 से ₹43,000 I सभी प्रकार के छात्रों से राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों द्वारा प्रभारित शुल्क पर विचार किया गया I

70 छात्रवृत्ति का आशय, किसी छात्र को उसके अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए योग्यता, आवश्यकता आदि के आधार पर दी जाने वाली धनराशि या अन्य सहायता है। शुल्कमुक्ति का आशय कुल शिक्षा शुल्क का भुगतान प्रायोजक या सहायता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई अवधि के लिए किया जाता है।

छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए अपितु शिक्षा तक पहुंच में समता बढ़ाने के लिए भी व्यापक रूप से उपयोग की जाती रही हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि एससी/एसटी/ ओबीसी/ अल्पसंस्यक की भागीदारी बढ़ाने के लिए एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंस्यकों के छात्रों के लिए सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति और फेलोशिप को बढ़ाया जा सकता है।

4.3.2.1 राज्य स्तर पर

राजस्थान में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं से 2014-19 के दौरान शिक्षण शुल्क नहीं लिया गया था। आगे निदेशक, कॉलेज शिक्षा ने राजकीय महाविद्यालयों को निर्देशित (जून 2011) किया कि शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से दिव्यांग छात्रों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान सरकार द्वारा 2014-19 के दौरान उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (एसजेईडी), जनजाति क्षेत्रीय विकास (टीएडी) और अल्पसंस्यक विभाग के माध्यम से छात्रवृत्ति के रूप में 33.78 लाख छात्रों को राशि ₹ 3,392.79[71] करोड़ प्रदान किए। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए छात्रों द्वारा स्वीकृति जारी करने वाले संबंधित विभाग को आनलाईन आवेदन किया गया और विभाग द्वारा भी छात्रवृत्ति की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई।

पूछे जाने पर भी, प्रत्येक प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्रों की संख्या किसी भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। इस प्रकार, राज्य स्तर पर पात्र छात्र छात्रवृत्ति से किस सीमा तक लाभान्वित हो रहें थें और इस तरह की योजनाओं का उच्च शिक्षा में पहुंच और समता बढ़ाने में यदि कोई सकारात्मक प्रभाव पडा है, तो लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं थी।

4.3.2.2 संस्थागत स्तर पर

चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की संवीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ :

(i) विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालय :

- 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और दो संघटक महाविद्यालयों में सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति के माध्यम से औसतन 27.39 प्रतिशत छात्र तथा शुल्कमुक्ति के माध्यम से औसतन 0.25 प्रतिशत छात्र लाभान्वित हुए।
- जेएनवीयू, जोधपुर और चयनित संघटक महाविद्यालय ने सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृति और शुल्कमुक्ति के माध्यम से लाभान्वित छात्रों की संख्या के बारे में आंकड़े संधारित नहीं किए।

71 उच्च शिक्षा विभागः 4.41 लाख छात्रों को ₹254.68 करोड़, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागः 27.19 लाख छात्रों को, ₹3,034.83 करोड़ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभागः 1.98 लाख छात्रों को ₹90.68 करोड़ और अल्पसंस्यक विभागः 0.23 लाख छात्रों को ₹12.60 करोड़।

- जीजीटीयू, बांसवाड़ा में 2014-19 के दौरान छात्रवृति के माध्यम से औसतन 78.92 प्रतिशत छात्र लाभान्वित हुए।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय एवं निजी महाविद्यालय:

- 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में सरकार के माध्यम से औसतन 40.05 प्रतिशत छात्र (3,37,330 में से 1,35,101) छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित हुए और औसतन 32.99 प्रतिशत छात्र (3,37,330 में से 1,11,297) शुल्कमुक्ति के माध्यम से लाभान्वित हुए।
- 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में औसतन 15.56 प्रतिशत छात्र (57,598 में से 8,960) छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित हुए जबकि उन्हें कोई शुल्कमुक्ति नहीं दी गई।

(iii) संकेतकों के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन:

छात्रवृत्ति और शुल्कमुक्ति के माध्यम से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या के समक्ष नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों के प्रर्दशन का आकलन, एक संकेतक, ***2014-19 के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति और शुल्कमुक्ति से लाभान्वित हुए छात्रों का औसत प्रतिशत (परिशिष्ट 1.1 का क्रमांक 25)*** का मूल्यांकन किया गया था। नैक द्वारा ऐसे संस्थानों को अधिकतम अंक प्रदान किए गए जिनमें औसतन 40 प्रतिशत और उससे अधिक छात्र छात्रवृत्ति और शुल्कमुक्ति के माध्यम से लाभन्वित हुए। इसलिए, नैक बेचमार्क के अनुसारः

- जीजीटीयू, बांसवाडा अधिकतम अंक (चार) प्राप्त करने के लिए पात्र था।
- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने के कारण, लेखापरीक्षा उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी नहीं कर सकी, हालांकि, चयनित 11 विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर इस संकेतक के लिए दो अंक प्राप्त करने के लिए पात्र थी।
- जेएनवीयू, जोधपुर में ऐसे आंकड़ों का संधारण नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा किसी भी स्तर पर इस संकेतक के लिए उनके प्रदर्शन पर टिप्पणी नहीं कर सकी।

चार्ट 4.3 : चिन्हित परिणाम संकेतक के सन्दर्भ में चयनित विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

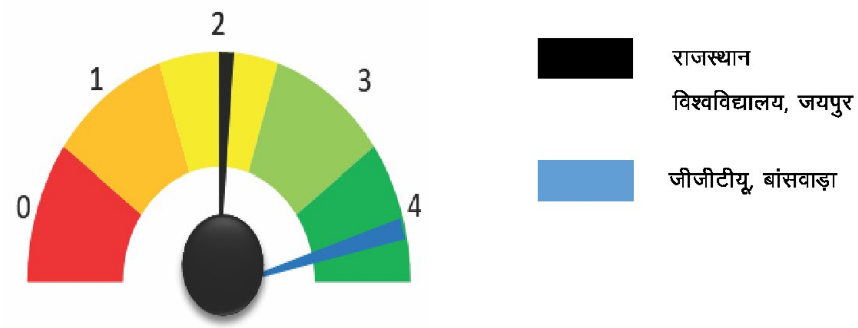

4.4 उचित अवसंरचना

भवन, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं और उपकरण विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अधिगम वातावरण के लिए महत्वपर्ण तत्व है। उच्च गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना बेहतर निर्देशन को सुगम बनाता है, छात्रों की पहुंच व ठहराव दर में सुधार करता है, जो अन्य लाभों के साथ-साथ छात्र अपेक्षित परिणामों में सुधार करता है।

4.4.1 भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि की उपलब्धता

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के लिए भवनों, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि की न्यूनतम आवश्यकता को निर्दिष्ट करने वाले मानदंड न तो उपलबध कराए गए और न ही वे अभिलेखों में पाए गए थे, इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा इस तरह के अवसंरचना की उपलब्धता का मूल्यांकन संबद्ध महाविद्यालयों के लिए यूजीसी (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियमन, 2009 के तहत तय मानदंडों के आधार पर किया गया। यह विनियमन भवनों की आवश्यकता (व्याख्यान/सेमीनार कक्ष न्यूनतम 15 वर्ग फीट प्रति छात्र, पुस्तकालय व प्रयोगशालाएं 20 वर्ग फीट प्रति छात्र), 1,000 पुस्तकों के साथ पुस्तकालय, पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशाला आदि को निर्दिष्ट करता है ।

4.4.1.1 नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालय

(i) ***राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर :*** 2014-19 के दौरान प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन, प्रयोगशालाएं और केन्द्रीय पुस्तकालय में पुस्तकें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थी तथा अच्छी स्थिति में संचालित की जा रही थी।

(ii) ***जेएनवीयू, जोधपुर :*** 2014-19 के दौरान विश्वविद्यालय में पर्याप्त प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन, प्रयोगशाला और केन्द्रीय पुस्तकालय उपलब्ध थे, हालाँकि, पुस्तकालय के लिए स्वीकृत 33 में से 20[72] पद रिक्त थे। विशेष रूप से पुस्तकें क्रय के लिए राशि ₹ 26.43 लाख उपलब्ध होने के उपरांत भी विश्वविद्यालय द्वारा विभागों के लिए आवश्यक 5,069 पुस्तकें क्रय नहीं की गई। पुस्तकालय पूरी तरह स्वचालित नहीं थी और बजट की कमी के कारण पुस्तकों का रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन अपूर्ण और गैर-कार्यात्मक था। 2014-19 के दौरान पुस्तकों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। बरसात के मौसम में पानी की सीलन के कारण पुस्तकालय के कमरे/हाल की छत/दीवारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी जिससे हजारों किताबें नष्ट हो गई। जेएनवीयू, जोधपुर ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार कर लिया ।

(iii) ***जीजीटीयू, बांसवाड़ा :*** विश्वविद्यालय किराए के भवन में संचालित है। स्वयं के भवन का निर्माण कार्य जो कि फरवरी 2019 तक पूर्ण होना था अभी भी प्रगतिरत है। इस कारण

72 पुस्तकालयाध्यक्ष का एक पद, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के तीन पद, वरिष्ठ तकनीकी सहायक के तीन पद, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के दो पद इत्यादि ।

से, विश्वविद्यालय नए कोर्स, केंद्रीयकृत मूल्यांकन प्रणाली और अन्य शैक्षणिक कार्यों को शुरू करने में सक्षम नहीं था। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विश्वविद्यालय से एक किलोमीटर दूर गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय में संचालित हो रहा था।

4.4.1.2 संबद्ध महाविद्यालय

चयनित तीनों विश्वविद्यालयों के नमूना जांच किए गए 66 महाविद्यालयों में भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, फर्नीचर आदि की उपलब्धता की स्थिति ***चार्ट 4.4*** और ***4.5*** में दी गई है।

चार्ट 4.4 : नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता

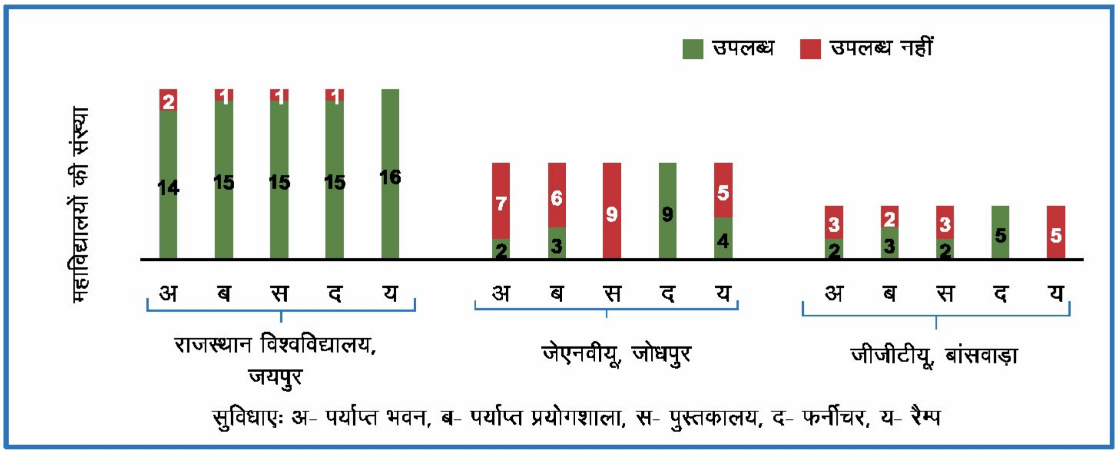

चार्ट 4.5 : नमूना जांच किए गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता

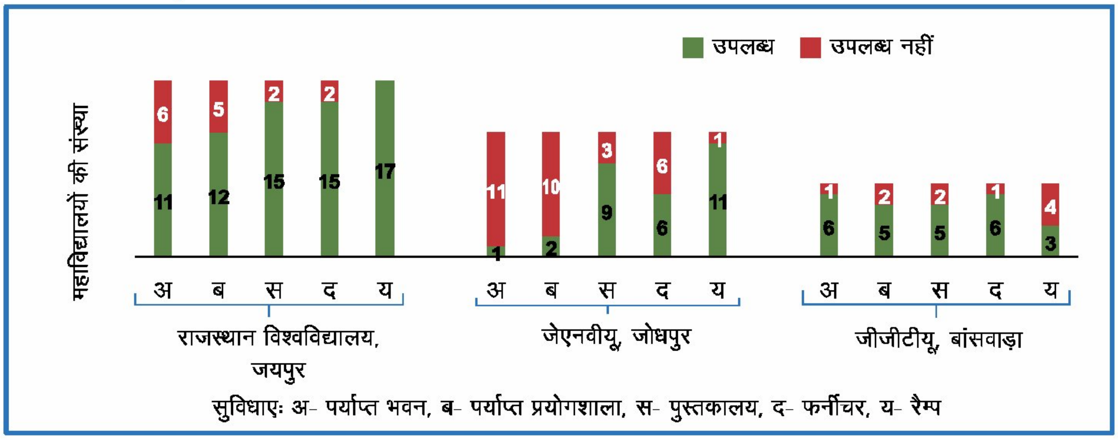

यह देखा जा सकता है कि :

- नमूना जांच किए गए 30 निजी महाविद्यालयों में से, केवल 18 (60 प्रतिशत) में पर्याप्त प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन थे, 21 (70 प्रतिशत) में पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं थी, 17 (57 प्रतिशत) में पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाएं थी तथा 29 (97 प्रतिशत) के पास पर्याप्त फर्नीचर था। यद्यपि नमूना जांच किए गए 20 महाविद्यालयों में पर्याप्त रैम्प उपलब्ध थे, लेकिन नमूना जांच किए गए सभी 30 निजी महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय विनियमन,

2009 और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में निर्धारित दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाए[73] उपलब्ध नहीं थी। आगे, जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध चार महाविद्यालय[74] विद्यालयों/आईटीआई महाविद्यालयों के साथ चलाए जा रहें थें।

- इसी तरह, नमूना जांच गए 36 राजकीय महाविद्यालयों में से 18 (50 प्रतिशत) में पर्याप्त प्रशासनिक/शैक्षणिक भवन थे, 19 (53 प्रतिशत) में पर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं थी, 29 (81 प्रतिशत) में पर्याप्त पुस्तकालय सुविधाएं थी तथा 27 (75 प्रतिशत) के पास पर्याप्त फर्नीचर था। यद्यपि नमूना जांच किए गए 31 महाविद्यालयों में पर्याप्त रैम्प उपलब्ध थे, लेकिन नमूना जांच किए गए सभी 36 राजकीय महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय विनियमन, 2009 और निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में निर्धारित दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाए[75] उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा तीन महाविद्यालय[76] विद्यालय भवनों में चलाए जा रहें थे।

आगे, नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालयों के भौतिक निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई :

- ***राजकीय महाविद्यालय, जयपुर***

1,500 छात्रों को बैठाने के लिए आठ कक्षाओं में केवल 345 कुर्सियां ही उपलब्ध थी। महाविद्यालय में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और भूगोल की अस्थाई प्रयोगशालाओं के लिए ना तो अलग से प्रयोगशाला कक्ष थे और ना ही उपकरण स्थापित किए थे। पांच कक्षाओं को प्रयोगशाला-सह-कक्षाओं में परिवर्तित किया गया था।

चित्र 1: भौतिक प्रयोगशाला एक कक्षा में संचालित की जा रही थी

चित्र 2: कक्षा का छोटा आकार

73 नैक नियमावली के साथ पठित निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 46 दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं में लिफ्ट, ब्रेल सॉफ्टवेयर, रेस्ट रूम, परीक्षाओं के लिए स्क्रिबल, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष कौशल विकास शामिल हैं।

74 एमआर मेमोरियल महाविद्यालय, धोरीमन्ना; भास्कर महाविद्यालय, बालोतरा; हिल ग्रोव कर्नल महाविद्यालय सुमेरपुर और रूपाराम सेवदा महाविद्यालय, केरू

75 नैक नियमावली के साथ पठित निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 46 दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं में लिफ्ट, ब्रेल सॉफ्टवेयर, टॉयलेट, परीक्षाओं के लिए स्क्रिबल, दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष कौशल विकास शामिल हैं।

76 राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन; राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर और राजकीय महाविद्यालय, सिमलवाड़ा।

- ***गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाडा***

पर्याप्त संख्या में कमरे उपलब्ध नहीं होने के कारण कक्षाएं खुली गैलरी में संचालित की जा रहीं थी। 2009 से पुस्तकालय में नियमित पुस्तकालयाध्यक्ष पदस्थापित नहीं था। पुस्तकालय भवन की छत और फर्श पानी के रिसाव के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा स्टोर के उपकरण, किताबें बारिश के पानी से प्लास्टिक शीट द्वारा सुरक्षित की गई थी। भंडारण की बुरी स्थिति के कारण कई बहुमूल्य पुरानी पुस्तकें और साहित्य खराब/फटे हुए पाए गए।

चित्र 3 : गैलरी में बैठने की व्यवस्था

चित्र 4: पुस्तकालय की स्थिति

- ***राजकीय महाविद्यालय, सिमलवाड़ा***

राजस्थान सरकार ने 2017-18 में बीएससी कार्यक्रम के लिए यह महाविद्यालय खोला था जिसमें 2017-19 के दौरान 84 से 174 छात्र नामांकित थे । राजकीय महाविद्यालय एक राजकीय बालिका विद्यालय के केवल दो कमरों में संचालित था, जिनमें से एक कमरे का उपयोग कार्यालय उद्देश्य के लिए व दूसरे कमरे का उपयोग फर्नीचर के भंडारण के लिए किया जा रहा था। कक्षाएं सात फीट चौड़ी गैलेरी में संचालित होती थी लेकिन 19 और 20 नवम्बर 2019 को किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही थी ।

चित्र 5: कक्षा का उपयोग भंडारण के रूप में

चित्र 6 : खुली दीर्घा में सचालित कक्षा

प्रयोगशाला व पुस्तकालय के लिए अलग से कमरे उपलब्ध नहीं थे तथा सभी प्रयोगशाला उपकरण व पुस्तकें ताले में बंद थे। महाविद्यालय के स्थापना (2017-18) के बाद से नवम्बर 2019 तक वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी विषयों हेतु अध्यापकों का पदस्थापन नहीं किया गया था। 13 में से 12 गैर-शैक्षणिक कर्मचारी के पद 2017-18 से ही रिक्त थे।

चित्र 7 : प्रयोगशाला उपकरणों का अलमारी में भंडारण

इस प्रकार, दो शैक्षणिक सत्र वर्ष पूर्ण होने के बाद भी राजस्थान सरकार द्वारा महाविद्यालय में न्यूनतम बुनियादी अवसंरचना जैसे कि शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि तथा शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ प्रदान नहीं किए गए थे।

- ***राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा***

महाविद्यालय में पर्याप्त कमरे उपलब्ध नहीं थें क्योंकि 7,000 छात्रों को बैठाने के लिए प्रति कक्षा 750 वर्ग फीट क्षेत्रफल के केवल 32 कमरे थे। शैक्षणिक भवन और अपर्याप्त फर्नीचर के साथ कमरों के कुछ हिस्से खराब स्थिति (टूटी खिड़कियाँ, छतिग्रस्त छत) में थे।

- ***राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर***

राजस्थान सरकार ने 2015-16 में स्नातक कार्यक्रमों के लिए यह महाविद्यालय शुरू किया। महाविद्यालय एक विद्यालय भवन में चलाया जा रहा था। इसके स्वयं के भवन का निर्माण जो कि जुलाई 2019 में पूर्ण होना नियत था अभी भी प्रगतिरत था। महाविद्यालय में कोई पुस्तकालय उपलब्ध नहीं था और पुस्तकें चार अलमारियों में स्टाफ रूम में रखी हुई थी एवं पुस्तकालयाध्यक्ष का पद महाविद्यालय की स्थापना के बाद से ही रिक्त था।

बीएससी और बीए भूगोल के दो बैच स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत भी, महाविद्यालय में प्रयोगशालाएं उपलब्ध नहीं थी। इंगित करने पर, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने सूचित किया कि आस-पास के विद्यालयों/ महाविद्यालयों में अस्थाई व्यवस्था की जा रही है। संस्कृत, इतिहास और अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों के पद तथा 16 में से 13 गैर-शैक्षणिक पद महाविद्यालय प्रारंभ होने से ही खाली पड़े थे।

- ***छात्र सर्वेक्षण के नतीजे :*** छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण के प्रश्न *क्या आप अपने परिसर में स्थित पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय और स्वच्छता से सतुष्ट है?* के उत्तर में लगभग 25 प्रतिशत छात्रों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध **पुस्तकालय**, **प्रयोगशाला**, **शौचालय सुविधाओं और स्वच्छता** के सम्बन्ध में असंतुष्टि/ आंशिक संतुष्टि जाहिर की।

4.4.2 अवसरंचनाओं के लिए वित्तपोषण

विश्वविद्यालय अवसरंचनाओं के निर्माण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों से निधि प्राप्त करते हैं। 2014-19 के दौरान नमूना जांच किए गए तीन विश्वविद्यालयों में अवसरंचनाओं के लिए बजट आवंटन तथा वेतन के अतिरिक्त व्यय की स्थिति नीचे ***तालिका 4.5*** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.5: अवसरंचनाओं के लिए बजट आवंटन तथा वेतन के अतिरिक्त कुल व्यय

(₹ करोड़ में)

विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	वेतन के अतिरिक्त व्यय (1)	अवसरंचनाओं के लिए बजट आवंटन {(1) का प्रतिशत} (2)	अवसरंचनाओं पर किया गया व्यय (3)
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	2014-15	155.00	7.15 (4.61%)	7.22
	2015-16	162.94	6.85 (4.20%)	6.21
	2016-17	174.89	11.80 (6.75%)	12.74
	2017-18	179.80	17.26 (9.60%)	17.58
	2018-19	257.30	5.28 (2.05%)	4.01
औसत			5.44%	
जेएनवीयू, जोधपुर	2014-15	12.70	0.78 (6.14%)	1.63
	2015-16	10.49	4.02 (38.32%)	3.91
	2016-17	28.08	3.60 (12.82%)	4.03
	2017-18	18.62	7.08 (38.02%)	4.87
	2018-19	22.90	6.78 (29.61%)	6.12
औसत			24.98%	
जीजीटीयू, बांसवाड़ा	2014-15	0.00	0.00 (0.00%)	0.00
	2015-16	0.00	0.00 (0.00%)	0.00
	2016-17	0.00	0.00 (0.00%)	0.00
	2017-18	1.58	1.58 (100%)	1.58
	2018-19	3.55	3.55 (100%)	3.55
औसत			*40%*	

स्रोत : संबंधित विश्विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना

यह देखा जा सकता है कि 2014-19 के दौरान वेतन के अतिरिक्त व्यय के संबंध में अवसरंचनाओं पर औसत बजट आवंटन राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाडा में क्रमशः औसतन 5.44 प्रतिशत, 24.98 प्रतिशत और 40 प्रतिशत था।

(i) संकेतकों के आधार पर प्रदर्शन का मूल्यांकन : नैक ***2014-19 के दौरान अवसंरचना की वृद्धि के लिए वेतन के अतिरिक्त बजट आवंटन का औसत प्रतिशत*** संकेतक के संदर्भ में सस्थानों को, जहां पिछले पांच वर्षों में अवसंरचना की वृद्धि के लिए वेतन के अतिरिक्त औसत बजट आवंटन 20 प्रतिशत से अधिक है, अधिकतम स्कोर प्रदान करता है। इस प्रकार, नैक बेंचमार्क के अनुसार जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाडा अधिकतम अंक (चार) के लिए पात्र थे जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर केवल एक अंक के लिए पात्र था।

चार्ट 4.6 : चुने गए परिणाम संकेतक के संबध में चयनित विश्वविद्यालयों का प्रदर्शन

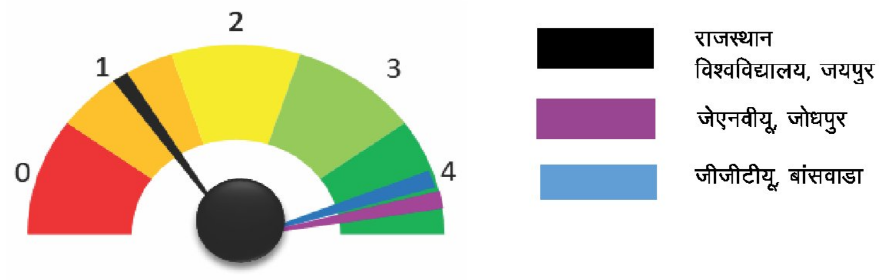

4.4.3 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में शोध के लिए क्रय किए गए उपकरणों का अनुपयोगी रहना

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय द्वारा रूसा/यूजीसी/विज्ञान व तकनीकी विभाग की योजनाओं के तहत शोध के लिए 2013 से नवम्बर 2018 के दौरान ₹ 9.40 करोड़ की लागत से क्रय किए गए सात उपकरणों को दिसम्बर 2019 तक उनकी स्थापना से ही अथवा लंबे समय से उपयोग में नहीं लिया जा रहा था।

आगे, रसायन विज्ञान विभाग में सात में से पांच उपकरण स्थापना के समय से ही उपयोग में नहीं लिए गए थे। ट्रांसमिशन इलैक्ट्रान माइक्रोस्कोप का उपयोग मई 2015 के उपरांत नहीं किया गया था तथा आणविक बीम एपिटाक्सी उपकरण का उपयोग जुलाई 2016 में क्रय के समय से ही नहीं किया गया था।

ध्यान में लाये जाने पर, संबंधित विभाग ने लेखापरीक्षा को विरोधाभासी उत्तर दिए। सितंबर 2019 में, उन्होंने सूचित किया कि रसायन विज्ञान विभाग के लिए उपकरण उनकी बिना आवश्यकता के विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा क्रय किए गए थे। तथापि, दिसंबर 2020 में, विभाग ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि उपकरण खरीदने के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे क्योंकि उनकी मूल आवश्यकता पीएचडी छात्रों के लिए थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि वार्षिक रखरखाव शुल्क के लिए धन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों से ट्रांसमिशन इलैक्ट्रान माइक्रोस्कोप कार्य नहीं कर रहा था। निदेशक, सेन्टर फॉर क्न्वर्जिंग टेक्नोलॉजी (सीसीटी) ने सूचित किया की आणविक बीम एपिटाक्सी का संचालन नहीं किया जा सका क्योंकि इसकी संचालन लागत प्रतिवर्ष ₹ एक करोड़ थी और सीसीटी इतने भारी व्यय को वहन करने की स्थिति में नहीं था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण और मशीनरी इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लिए गए थे। इसके कारण प्रभावित हुए शोधकर्ताओं और शोध परियोजनाओं की संख्या के बारे में जब पूछताछ की गई, तो सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार, रसायन विज्ञान विभाग की शोध उपकरणों की आवश्यकता और संचालन लागत का उचित आकलन करने की विफलता के कारण, क्रय किए गए उपकरणों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सका।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि विभिन्न कारणों से उपकरणों का उनकी क्षमतानुसार उपयोग नहीं किया जा सका तथा संबंधित समस्याओं के निराकरण के पश्चात् इनका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाएगा।

सारांश और सिफारिशें

राजस्थान सरकार ने उन आवासीय क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भौगोलिक मानचित्रण नहीं किया जिनमें उच्च शिक्षा सुविधाओ का अभाव था। राज्य के सामान्य डिग्री महाविद्यालयों का वितरण क्षेत्रीय स्तर के साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक समान रूप से नहीं था।

हालांकि 2010-19 के दौरान राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात बढ़ा लेकिन यह राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से लगातार कम रहा है। आगे, 2018-19 के दौरान राजस्थान महाविद्यालयों की संख्या (चौथी) व महाविद्यालय घनत्व (आठवीं) के परिपेक्ष्य में अच्छी रैंकिंग पर था, लेकिन सकल नामांकन अनुपात के परिपेक्ष्य में यह बहुत नीचे स्थान पर था (23वीं रैंक) जिसे राजस्थान के विभिन्न जिलों में महाविद्यालयों की विषम उपलब्धता से समझा जा सकता है। एससी और एसटी के सकल नामांकन अनुपात में 2014-19 के दौरान सुधार हुआ है लेकिन एससी का सकल नामांकन अनुपात अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम था। आगे राजस्थान सरकार ने ओबीसी और अल्पसंख्यकों व दिव्यांगजन जैसे वर्गों के सकल नामांकन अनुपात से सम्बंधित आंकड़े संधारित नहीं किए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम 2009 में प्रावधान होने के उपरांत भी विश्वविद्यालयों ने निजी संबद्ध महाविद्यालयों के लिए शुल्क संरचना विनियमित नहीं की थी। नमूना जांच किए गए अधिकांश राजकीय और निजी महाविद्यालयों में पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना जैसे कि भवन, प्रयोगशाला और फर्नीचर उपलब्ध नहीं थी और नमूना जांच किए गए सभी 66 महाविद्यालयों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप के अतिरिक्त कोई दिव्यांगजन अनुकुल सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

सिफारिशें :

राज्य सरकार :

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने और सभी वर्गों के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध प्रयास करें;

2. उच्च शिक्षा के व्यय को वहन योग्य बनाने के लिए निजी महाविद्यालयों की शुल्क संरचना को विनियमित करें।

3. गुणवत्तापूर्ण अवसरंचना की उपलब्धता तथा उच्च शिक्षा के परिणामों के बीच प्रत्यक्ष संबंध को मान्यता देते हुए, राज्य सरकार को प्रभावी शिक्षण, पहुंच में सुधार तथा छात्रों की ठहराव दर में वृद्धि हेतु राजकीय महाविद्यालयों में उच्च गुणवत्तापूर्ण बुनियादी अवसरंचना प्रदान करने के लिए तत्काल उपाय करना चाहिए।

4. विश्वविद्यालयों को संबद्ध निजी महाविद्यालयों में बुनियादी अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और इन महाविद्यालयों की शुल्क संरचना को विनियमित करना चाहिए।

5. विश्वविद्यालयों को ई-लाइब्रेरी के विकास सहित अवसरंचना में सुधार तथा उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों के क्रय और उपयोग के लिए उचित योजना तैयार करनी चाहिए।

अध्याय-V

शासन एवं प्रबंधन

अध्याय- V
शासन एवं प्रबंधन

उच्च शिक्षा में विस्तार, समता एवं उत्कृष्टता के परिणामों (आउटकमस) को प्राप्त करने तथा संस्थानों की विशिष्ट क्षमता विकसित करने के लिए स्वायत्ता हेतु सक्षम बनाने के लिए, संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाते हुए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के शासन संबंधी सुधार महत्वपूर्ण थे। ये यह भी बताते हैं कि वित्त, संगठनात्मक सरंचना, संचालन और स्टाफ के क्षेत्रों में स्वायत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मूल्यांकन ओर जवाबदेही की आतंरिक प्रणालियों के अनुरूप होनी चाहिए।

चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में शासन के विभिन्न तत्वों और तंत्रों के माध्यम से शासन तथा प्रबंधन की स्थिति और वे किस सीमा तक प्रभावी ढंग से लागू किए गए, का आकलन करने के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्य बनाया गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 4: क्या उच्च शिक्षा तंत्र का शासन एवं प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था

एक उच्च शिक्षण संस्थान का शासन एवं प्रबंधन इस प्रकार परिकल्पित है और संचालित किया है कि यह उच्च शिक्षा के परिणामों की प्राप्ति के प्रयासों के प्रभावी निरीक्षण को सुनिश्चित करें, इसमें विभिन्न कारक योगदान करते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रभावी शासन व प्रबंधन के उद्देश्यों तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योगदानकारी कारकों, विधियों तथा प्रणालियों को निम्न प्रतिरूप के माध्यम से समझा जा सकता है :

एक उच्च शिक्षण संस्थान के शासन एवं प्रबंधन सरंचना की प्रभावशीलता इसके प्रत्यायन, रैंकिंग कार्यपद्धति और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से मूल्यांकन के परिणामों में परिलक्षित होती है।

5.1 शासन

उच्च शिक्षण संस्थान में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शासन सरंचना और प्रक्रिया आवश्यक है। नेतृत्व और शासन उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी पहलुओं को गहराई से प्रभावित करते हैं। यद्यपि सुशासन और प्रबंधन स्वयं में उच्च शिक्षा में प्राप्त किए जाने वाले परिणाम नहीं हैं, लेकिन वे ऐसे परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रयासों की प्रभावशीलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। इस खंड में राज्य स्तर और चयनित संस्थागत स्तर पर शासन सरंचना के अस्तित्व और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई है।

5.1.1 राज्य स्तरीय शासन

राज्य स्तर पर शासन के लिए संस्थागत तंत्र में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् और राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना शामिल है।

5.1.1.1 राज्य उच्च शिक्षा परिषद

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज विहित करता है कि राज्य में उच्च शिक्षा के योजनाबद्ध और समन्वित विकास के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य उच्च शिक्षा परिषद् स्थापित करना वांछनीय होगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अनुसार भी राज्य में उच्च शिक्षा के योजनाबद्ध और समन्वित विकास, विश्वविद्यालयों के मध्य संसाधनों का साझाकरण, संस्थागत स्तर पर शासन सुधार आरम्भ करने आदि की आवश्यकता के लिए राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के गठन की आवश्यकता है।

यह देखा गया कि राजस्थान सरकार ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 25 सदस्यीय राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन (8 जुलाई 2015) किया था। राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए, राज्य उच्च शिक्षा परिषद् ने जुलाई 2016 में राज्य उच्च शिक्षा आयोजना (2017-2022) तैयार की एवं मई 2018 में इसको अद्यतन किया। राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आवश्यक थी, हालाँकि जुलाई 2015 से मार्च 2019 के दौरान इसकी केवल तीन[77] बैठकें आयोजित हुई।

5.1.1.2 राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) के लिए जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (एसएलक्यूएसी) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले महाविद्यालयों में आईक्यूएसी की कार्यप्रणाली की निगरानी करेगा।

'राज्य गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठों की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियां' पर नैक नियमावली भी राज्य में महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करने, नैक के परामर्श से राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करने ओर संबंधित राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों एवं नैक के बीच

---

77 11 जुलाई 2016, 20 फरवरी 2017 एवं 15 मई 2018 ।

नोडल संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से राज्य में एसएलक्यूएसी के गठन का सुझाव देती है ।

राज्य परियोजना निदेशक, रूसा ने फरवरी 2016 में एसएलक्यूएसी का गठन किया, जिसका मई 2018 में पुनर्गठन किया गया । इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- एसएलक्यूएसी का कार्य-क्षेत्र केवल राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रत्यायन की प्रक्रिया को सुगम बनाना था । तथापि, नैक नियमावली के अनुसार, प्रत्यायन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के अतिरिक्त, एसएलक्यूएसी को राज्य में महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में भी काम करना था । इस प्रकार, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित एसएलक्यूएसी के उद्देश्य नैक द्वारा परिकल्पित भूमिका की तुलना में सीमित थे।

- प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, एसएलक्यूएसी ने नैक सहकर्मी दल (पीयर टीम) की वास्तविक यात्रा से पहले कृत्रिम अभ्यास के लिए 44 आंतरिक दल महाविद्यालयों में भेजे। 164 योग्य राजकीय महाविद्यालयों[78] (शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से पूर्व स्थापित) में से केवल 68 (41.46 प्रतिशत) महाविद्यालयों को जनवरी 2020 तक प्रत्यायन प्राप्त हुआ था ।

- आगे, एसएलक्यूएसी ने ना तो उन महाविद्यालयों की संख्या के बारे में आंकड़े संग्रहित किए जिन्होंने आईक्यूएसी का गठन किया था और ना ही महाविद्यालयों में आईक्यूएसी के गठन की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था विकसित की थी ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (अगस्त 2020) की एसएलक्यूएसी के गठन के समय केवल 14 राजकीय महाविद्यालयों को प्रत्यायन प्राप्त थी और वर्तमान में 70 राजकीय महाविद्यालयों (42.68 प्रतिशत) के पास वैध प्रत्यायन है । राज्य में नैक की प्रत्यायन प्राप्त करने की स्थिति में सुधार करने के लिए सभी राजकीय महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन की आवश्यकता एवं लाभों से अवगत कराने के लिए संभागवार विडियो कांफ्रेंस आयोजित कर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एसएलक्यूएसी के सुचारू कामकाज और प्रत्यायन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी सात संभागों में संभागीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ[79] की स्थापना (जून 2020) की गई हैं।

---

78 उच्च शिक्षण संस्थानों से कम से कम दो बैच के छात्र स्नातक हो गए हो या वे छः वर्ष से अस्तित्व में हो, जो भी पहले हो, नैक की प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए आवेदन के लिए पात्र है ।

79 इनमे राजकीय महाविद्यालयों के आठ से नौ प्रधानाध्यापक जो कि आईक्यूएसी के समन्वयक के रूप में नामांकित हैं और प्रत्येक संबद्धक विश्वविद्यालयों के एक प्रतिनिधि शामिल है। इसकी मासिक बैठक होती है। इसके मुख्य कार्यों में संबंधित संभागों के सभी महाविद्यालयों के लिए नैक से संबंधित सूचना का डेटाबेस तैयार करना, नैक के संशोधित प्रत्यायन ढांचे के बारे में जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करना आदि शामिल है ।

तथापि, तथ्य यह है की एसएलक्यूएसी का कार्य-क्षेत्र सीमित था और यह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे सका ।

5.1.2 संस्थागत स्तरीय शासन

विश्वविद्यालय स्तर पर शासन एक व्यापक तंत्र जिसमें शासी निकाय (सीनेट, सिंडिकेट, इत्यादि), गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, संबद्धता प्रक्रिया आदि सम्मिलित हैं, के माध्यम से किया जाता है ।

5.1.2.1 शासी निकाय

नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में शासी निकायों की संरचना ***चार्ट 5.1*** में नीचे दर्शाई गई है।

चार्ट 5.1: शासी निकायों की सरंचना

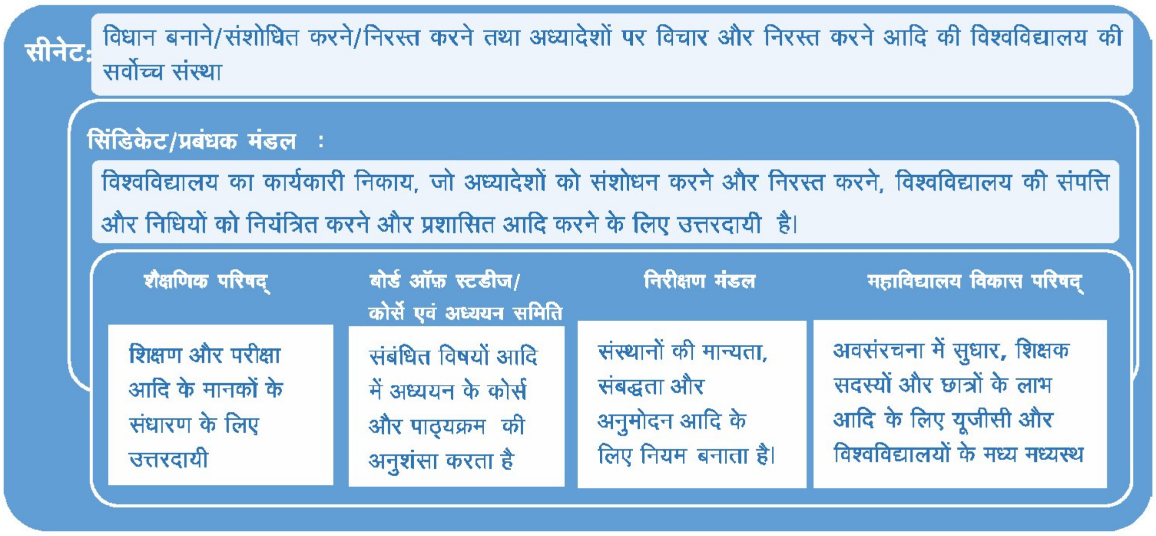

प्रत्येक चयनित विश्वविद्यालयों के शासी निकायों की कार्यप्रणाली से संबंधित अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि (विवरण ***परिशिष्ट 5.1*** में दिया गया है):

(i) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

- सीनेट की वार्षिक बैठकें 2010 के बाद से ही से आयोजित नहीं हुई थी । सीनेट की 2011 से 2018 के दौरान केवल पांच विशेष बैठकें छात्रों को 'ग्रेस पारित करने हेतु' आयोजित हुई थी। राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा सीनेट को विश्वविद्यालय द्वारा पारित अध्यादेशों पर विचार करने और उसे निरस्त करने का अधिकार दिए जाने के उपरांत भी, नमूना जांच में यह पाया गया कि सिंडीकेट द्वारा अध्यादेशों में किए गए संशोधनों के 10 प्रकरण सीनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए । इस प्रकार, सीनेट द्वारा बिना विचार किए ही अध्यादेश लागू किए गए थे । विश्वविद्यालय के लेखापरीक्षित लेखे सीनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे । विश्वविद्यालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (दिसम्बर 2019) कि चूँकि सीनेट की वार्षिक बैठकें नियमित रूप से

आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए अध्यादेश सीनेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सके थे।

- सीनेट एवं सिंडिकेट में छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया था। शिक्षा निदेशक, निरीक्षण मंडल की किसी भी बैठक में सम्मिलित नहीं हुआ था।
- आगे, अनुदान के लिए महाविद्यालयों के प्रस्ताव यूजीसी को महाविद्यालय विकास परिषद् के माध्यम से नहीं भेजे जा रहे थे, जिससे यह प्रदर्शित हुआ कि महाविद्यालय विकास परिषद् अपने कार्यक्षेत्र के अनुरूप पूरी तरह कार्य नहीं कर रही थी। इसको इस तथ्य के परिपेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि महाविद्यालयों को यूजीसी का अनुदान 2014-15 में राशि ₹ 2.64 करोड़ से भारी गिरावट के बाद 2018-19 में शून्य हो गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जनवरी 2021) कि भविष्य में सीनेट की वार्षिक बैठकें आयोजित करने के प्रयास किए जाएंगे।

(ii) जेएनवीयू, जोधपुर

- 2014-19 के दौरान सीनेट की बैठकों के आयोजन में 73.33 प्रतिशत एवं शैक्षणिक परिषद् की बैठकों में 78.33 प्रतिशत की कमी थी। सिंडिकेट में छात्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- महाविद्यालय विकास परिषद् के पूर्णकालिक निदेशक का पद अक्टूबर 2017 में निधियों की कमी के कारण समाप्त कर दिया गया था और निदेशक का कार्य एक सहायक रजिस्ट्रार द्वारा देखा जा रहा था। महाविद्यालय विकास परिषद् के लिए सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया था। जेएनवीयू, जोधपुर ने तथ्यों को स्वीकार (जून 2020) कर लिया।

(iii) जीजीटीयू, बांसवाडा

- विश्वविद्यालय में इस की 2012 में स्थापना के बाद से दिसम्बर 2019 तक सीनेट, निरीक्षण मंडल, तथा महाविद्यालय विकास परिषद् गठित नहीं किए गए थे। निरीक्षण मंडल का गठन नहीं होने के कारण, विश्वविद्यालय के कुलपति ने संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए समय-समय पर विभिन्न सदस्यों को नामित करके तदर्थ व्यवस्था की थी।
- विश्वविद्यालय में प्रबंधक मंडल सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। अवधि 2014-19 के दौरान प्रबंधक मंडल की बैठकों के आयोजन में 70 प्रतिशत की कमी रही। जैसा कि पूर्व में **अनुच्छेद 2.1.2.4** में चर्चा की जा चुकी है, जीजीटीयू, बांसवाडा ने प्रबंधक मंडल के अनुमोदन के बिना ही वर्ष 2018-19 से विज्ञान वर्ग में एक नया कोर्स {एमएससी (गणित)} शुरू किया और कला वर्ग के सभी तीन कोर्स बंद कर दिए।
- बोर्ड आफ़ स्टडीज वांछित रूप से कार्य नहीं कर रहा था क्योंकि 2017-18 में इसके गठन के बाद से विश्वविद्यालय में किसी भी सिलेबस में कोई भी संशोधन नहीं हुआ। जीजीटीयू, बांसवाडा ने तथ्यों को स्वीकार किया।

(iv) छात्र सर्वेक्षण के नतीजे : छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण के प्रश्न कि "*क्या आप संस्थागत शासन से संतुष्ट है ?*" के उत्तर में लगभग 26 प्रतिशत छात्रों ने प्रणाली से असन्तुष्टि/आंशिक असन्तुष्टि व्यक्त की।

5.1.2.2 आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

गुणवत्ता के तत्वों (इनपुट) को आत्मसात करने के लिए यूजीसी समर्थित योजना[80] के भाग के रूप में सभी विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को पूर्णकालिक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) सुदृढ़ करना होगा। नैक नियमावली के अनुसार, प्रत्येक प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों का आईक्यूएसी निर्धारित प्रारूप में उच्च शिक्षण संस्थानों की वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट नैक को प्रस्तुत करेगा।

चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि :

(i) नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालय :

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आईक्यूएसी ने विश्विद्यालय की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, संचालन की कार्यपद्धति एवं सीखने के परिणामों की समीक्षा नहीं की, गुणवत्ता संबंधी संस्थागत प्रक्रियाओं पर अभिभावकों एवं अन्य हितधारकों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए और नैक प्रत्यायन के लिए आवश्यक सूचनाएं संकलित नहीं की। इसने वर्ष 2016 के बाद से वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन प्रतिवेदन नैक को प्रस्तुत नहीं किए। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि भविष्य में आईक्यूएसी को कार्यात्मक बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

- यद्यपि जेएनवीयू, जोधपुर में आईक्यूएसी का गठन किया गया था लेकिन इसकी कार्यप्रणाली सुनिश्चित नहीं की जा सकी क्योंकि 2014-15 से इसकी बैठकें/गतिविधियों से संबंधित सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी।

- जीजीटीयू, बांसवाडा ने विश्वविद्यालय में आईक्यूएसी का गठन नहीं किया।

(ii) नमूना जांच किए गए राजकीय एवं निजी महाविद्यालय

यद्यपि नमूना जांच किए गए 36 में से 24 (66.67 प्रतिशत) राजकीय महाविद्यालयों में तथा 30 में से पांच (16.67 प्रतिशत) निजी महाविद्यालयों में आईक्यूएसी गठित की गई थी, आईक्यूएसी द्वारा आयोजित बैठकें एवं किए गए कार्य के विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

5.1.2.3 महाविद्यालय संबद्धता

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियमन, 2009 किसी महाविद्यालय की संबद्धता को संबद्धक विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के साथ-

---

80 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी एवं गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट के अनुसार

साथ, उसकी मान्यता, संबद्धता और अभिस्वीकृति के रूप में परिभाषित करता है। संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के समय सभी संबंधित महाविद्यालयों, चाहे वे राज्य सरकार अथवा निजी निकाय द्वारा संचालित हो (संबद्धता चाहने वाले), को विनियम में निर्दिष्ट महाविद्यालय भवनों की पूर्व निर्धारित आवश्यकताओं[81] को पूरा करना होगा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि :

(i) विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रक्रिया का पालन न करना

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में लेखापरीक्षा ने नमूना जांच की गई नौ निजी महाविद्यालयों की पत्रावलियों की संवीक्षा की तथा देखा कि चार महाविद्यालयों के निरीक्षण संबद्धता के लिए आवेदन की तिथि से निर्धारित तीन महीने के बाद दो से सात माह की देरी से किए गए थे। दो महाविद्यालयों को पूर्व के निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों के अस्तित्व में रहने के उपरांत भी संबद्धता प्रदान की गई थी। दो महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र से पहले एवं बाद में सशर्त संबद्धता प्रदान की गई थी, हालांकि नियमों में सशर्त संबद्धता का कोई प्रावधान नहीं था। सात महाविद्यालयों की निरीक्षण प्रतिवेदन न तो ठीक से भरी हुई थी और न ही संबंधित साक्ष्यों द्वारा समर्थित थी एवं तीन महाविद्यालयों की शैक्षणिक स्टाफ की सूचना त्रुटिपूर्ण थी।

  राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जनवरी 2021) कि कुछ महाविद्यालयों के निरीक्षण में प्रशासनिक एवं प्रक्रियात्मक कारणों से देरी हुई तथा संबद्धता बताई गई कमियों में सुधार किए जाने की शर्त पर प्रदान की गई थी। भविष्य में विनियमन, 2009 के अनुसार संबद्धता प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।

- जेएनवीयू, जोधपुर में, निरीक्षण दलों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की जा रही थी जिसके कारण सिंडिकेट को वास्तविक स्थिति उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। भौतिक निरीक्षण के दौरान भी इसकी पुष्टि की गई थी, जिसमें अवसंरचना की वास्तविक उपलब्धता एवं निरीक्षण दलों द्वारा प्रतिवेदित सूचना में अंतर देखे गए थे। कुछ महाविद्यालयों को जिनके निरीक्षण के दौरान कमियां पाई गई थी, विश्वविद्यालय ने शास्ति लगाकर संबद्धता प्रदान कर दी। हालांकि, शास्ति लगाने की सीमा एवं औचित्य अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। जेएनवीयू, जोधपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया।

- जीजीटीयू, बांसवाडा में, विश्वविद्यालय ने नए राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करना 2017-18 से शुरू किया। विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए समिति का गठन नहीं किया, तथापि कुलपति ने संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए तदर्थ व्यवस्था की थी।

---

81 व्याख्यान/सेमीनार कक्ष एवं पुस्तकालय प्रति छात्र कम से कम 15 वर्ग फीट और प्रयोगशालाएं प्रति छात्र 20 वर्ग फीट, 1000 पुस्तकों के साथ पुस्तकालय, पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशालाएं आदि।

विश्वविद्यालय में संबद्धता प्रदान करने के लिए एक प्रबंधक निकाय एवं महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन किया जाना था, परन्तु ये गठित नहीं किए गए। जीजीटीयू, बांसवाडा ने तथ्यों को स्वीकार किया।

(ii) संबद्धक विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता आदेश जारी करने में देरी

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियमन, 2009 के अनुच्छेद 3.4.10 के अनुसार, किसी भी महाविद्यालय में संबद्धता प्रदान करने की प्रत्याशा में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन की प्रति कार्यक्रम स्वीकृत सीटों की संख्या से अधिक ना तो किसी भी छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और ना ही कोई कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर एवं जीजीटीयू, बांसवाडा में नवीन/अतिरिक्त/संबद्धता में विस्तार प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों एवं संबद्धता आदेश जारी करने में देरी से संबंधित सूचना ***तालिका 5.1*** में नीचे दी गई है :

तालिका 5.1 : महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करने में देरी का विवरण

शैक्षणिक वर्ष (जुलाई से जून)	नवीन/अतिरिक्त संबद्धता प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की संख्या	संबद्धता में विस्तार प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की संख्या	संबद्धता प्रदान करने में देरी (महीनों में)	संबद्धता आदेश जारी करने की अवधि
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर				
2014-15	49	120	1 से 11	जुलाई 2014 से मई 2015
2015-16	87	324	2 से 30	अगस्त 2015 से दिसम्बर 2017
2016-17	61	402	1 से 17	जुलाई 2016 से नवम्बर 2017
2017-18	77	365	3 से 16	सितम्बर 2017 से अक्टूबर 2018
2018-19	95	277	6 से 18	दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2019
योग	369	1,488		
जीजीटीयू, बांसवाडा				
2017-18	12	-	4 से 5	अक्टूबर 2017 से नवम्बर 2017
2018-19	03	-	5 से 8	नवम्बर 2018 से मार्च 2019
कुल	15	-		

यह देखा जा सकता है कि :

- 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने नई संबद्धता एवं संबद्धता में विस्तार शैक्षणिक वर्ष (प्रतिवर्ष जुलाई) शुरु होने के पश्चात एक से 30 माह की देरी से प्रदान की थी। इसके अलावा, शैक्षणिक वर्ष 2015 -16 के लिए संबद्धता दिसम्बर 2017 के अंत तक प्रदान की गई। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार (जनवरी 2021) करते हुए बताया कि कुछ प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक कारणों से संबद्धता आदेश देरी से जारी किए गए थे। भविष्य में विनियम, 2009 के अनुसार इस संबंध में कार्य पूरा करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

- शैक्षणिक वर्ष 2017-19 के दौरान जीजीटीयू, बांसवाडा ने शैक्षणिक वर्ष शुरु होने के पश्चात चार से आठ माह की देरी से नई संबद्धता प्रदान की थी। इससे भी अधिक, शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए संबद्धता मार्च 2019 के अंत तक प्रदान की । जीजीटीयू, बांसवाडा ने तथ्यों को स्वीकार किया ।
- आगे, जेएनवीयू, जोधपुर ने संबद्धता/पुनः संबद्धता प्रदान की गई महाविद्यालयों की वर्षवार समेकित स्थिति संधारित नहीं की । तथापि, 21 महाविद्यालयों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि, 2014-19 के दौरान चार से आठ राजकीय एवं पांच से सात निजी महाविद्यालयों को अस्थाई वार्षिक संबद्धता प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि 31 जुलाई से 4 से 273 दिवसों की देरी से प्रदान की गई । जेएनवीयू, जोधपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया ।

इम्पल्स महाविद्यालय, लालसोट (दौसा) में संबद्धता मानदंडों के उल्लंघन का प्रकरण

महाविद्यालय 2014-15 से संचालित हो रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से बीएससी कार्यक्रम में इसकी प्रवेश क्षमता को 60 सीटों से बढ़ाकर 120 सीट कर दिया । लेखापरीक्षा द्वारा महाविद्यालय के भौतिक निरीक्षण (जनवरी 2020) के दौरान यह देखा गया कि हालांकि 119 छात्र नामांकित थे, किन्तु महाविद्यालय भवन का उपयोग प्रातः कालीन सत्र में एक कोचिंग सेंटर के रूप में किया जा रहा था जबकि महाविद्यालय की कक्षाएं अपराह्न के सत्र में चल रही थी तथा भवन पर महाविद्यालय का नाम भी प्रदर्शित नहीं किया गया था । भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए पृथक कमरे उपलब्ध नहीं थे और ये कक्षाओं से ही संचालित हो रही थी। जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान प्रयोगशाला-सह-कमरों में कोई उपकरण नहीं लगाये गए थे । पुस्तकालय उपलब्ध नहीं था। महाविद्यालय में पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध नहीं था और छात्र कक्षा के दौरान फर्श पर बैठे थे।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर महाविद्यालय को अस्थाई संबद्धता प्रदान की गई थी। महाविद्यालय से स्पष्टीकरण लेने की कार्रवाई की जा रही थी और भविष्य में निर्धारित मानकों को पूरा करने पर ही संबद्धता दी जाएगी।

यह इंगित करता है कि महाविद्यालय संबद्धता मानदंडों का पालन नहीं कर रहा था और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने भी 2017-18 के बाद से वार्षिक संबद्धता प्रदान करते समय विश्वविद्यालय में बुनियादी अवसंरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की ।

महाविद्यालय के छायाचित्र

महाविद्यालय भवन के सामने का दृश्य

महाविद्यालय भवन के साइड का दृश्य

बिना फर्नीचर के कक्षा का दृश्य

प्रयोगशाला-सह- कक्षा का दृश्य

5.2 उच्च शिक्षण संस्थानों की स्वायत्ता

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता के आधार पर राज्य विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों को बेहतर संसाधन सहायता के माध्यम से अधिक स्वायत्ता एवं परिचालन लचीलापन प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई। आगे, रूसा ने संस्थानों को अधिक स्वायत्ता की परिकल्पना निर्णय लेने एवं विशिष्ट आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं पर आधारित विशिष्ट हस्तक्षेपों की योजना बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता के संदर्भ में की है ।

यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वायत्ता चाहने वाला महाविद्यालय मूल/संबद्धक विश्वविद्यालय को आवेदन करेगा जिसे वह आगे यूजीसी को भेजेगा । यदि दिशानिर्देशों के अनुसार महाविद्यालय पात्र पाया जाता है तो यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा गठित तीन विशेषज्ञ सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति जिसमें एक अध्यक्ष मूल/संबद्धक विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार के नामित सदस्य होंगे, की मदद से यूजीसी स्वायत्ता प्रदान करने/विस्तार के प्रस्ताव की स्थिति की जांच करेगा ।

यह देखा गया कि यद्यपि स्वायत्त महाविद्यालयों की अवधारणा आठवीं पंचवर्षीय योजना द्वारा प्रारंभ की गई थी तथा जिसका लक्ष्य उस समय के कुल महाविद्यालयों के 10 प्रतिशत महाविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालय का दर्जा देना था, तथापि, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने के पश्चात भी, राजस्थान में 1,761 महाविद्यालयों[82] में से केवल चार महाविद्यालयों (0.23 प्रतिशत) को ही मार्च 2019 तक स्वायत्ता का दर्जा दिया गया था ।

5.3 विश्वविद्यालयों का भार कम करना

विश्वविद्यालयों के भार को कम[83] करने के लिए केंद्र एवं राज्य विश्वविद्यालयों के प्रभावी सरंचनात्मक[84] आधुनिकीकरण अधिनियमों को लागू करने की आवश्यकता है । भार कम करने में

82 237 में से एक राजकीय महाविद्यालय एवं 1,524 में से तीन निजी महाविद्यालय।

83 संबद्ध महाविद्यालयों के भार को कम करने के लिए मौजूदा के अतिरिक्त अधिक विश्वविद्यालयों की स्थापना।

84 बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत 'उच्च शिक्षा का समावेशी एवं गुणात्मक विस्तार' पर जारी रिपोर्ट के अनुसार।

अनिवार्य रूप से अधिक संबद्धक विश्वविद्यालयों की स्थापना शामिल है ताकि संबद्धक विश्वविद्यालयों से संबंधित कार्य-भार जैसे परीक्षा का संचालन, बार-बार संबद्धता आदि कार्य को युक्तिसंगत बनाया जा सके।

आगे, रूसा दिशानिर्देशों के अंतर्गत शासन एवं प्रशासनिक सुधारों के अनुसार एक विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या 100 तक ही सीमित होनी चाहिए ।

आयुक्तालय (कालेज शिक्षा) के अभिलेखों की संवीक्षा में यह पाया गया कि मार्च 2020 तक राज्य में सामान्य शिक्षा में 10 राज्य विश्वविद्यालय चलाये जा रहे थे । इन विश्वविद्यालयों में से नौ में 100 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय थे। आगे, इन नौ राज्य विश्वविद्यालयों में से पांच[85] में 200 से अधिक महाविद्यालय संबद्ध थे ।

5.4 उच्च शिक्षण संस्थानों की संबद्धता

उच्च शिक्षा के संस्थानों की संख्या एवं उनकी प्रवेश क्षमता में तेजी से विस्तार, समकालीन गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं रही है । शिक्षण एवं शोध तथा संबंधित प्रणालियों के लिए निर्धारित किए गए गुणवत्तापूर्ण मानकों पर निरंतर तथा नीतिगत दृष्टिकोण के स्तर पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों का अनिवार्य मूल्यांकन व प्रत्यायन) विनियम, 2013 के अनुसार, तकनीकी संस्था के अतिरिक्त प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह दो बैच पूर्ण होने या छः वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद प्रत्यायन करने वाली एजेंसी द्वारा प्रत्यायन प्राप्त करेगा । कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान जो उपर्युक्त निर्धारित अवधि में मूल्यांकन और प्रत्यायन प्राप्त नहीं करेगा यूजीसी से किसी भी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

आगे, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार, नए निजी महाविद्यालयों के लिए स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से दो वर्ष के अन्दर नैक से प्रत्यायन प्राप्त करना अनिवार्य है ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में देखा कि :

- यद्यपि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा ने 807 निजी महाविद्यालयों को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए परन्तु, उसने नैक द्वारा प्रत्यायन प्राप्त निजी महाविद्यालयों की संख्या से संबंधित कोई सूचना संकलित नहीं की ।

---

85 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर : 385 महाविद्यालय; जेएनवीयू, जोधपुर : 216 महाविद्यालय; महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर : 285 महाविद्यालय; महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर : 228 महाविद्यालय तथा शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर : 281 महाविद्यालय ।

- नैक की वेबसाइट से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में जनवरी 2020 तक नैक से प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या ***तालिका 5.2*** में नीचे दर्शाई गई है :

तालिका 5.2: राज्य में नैक से प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या

क्र. स.	संस्थान का प्रकार (केवल सामान्य शिक्षा के लिए)	कुल उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या		नैक से प्रत्यायन प्राप्त कुल उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या*(%)	नैक ग्रेड द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों का वितरण				
		2018-19 के दौरान	2013-14 के दौरान		ए+	ए	बी++/ बी+	बी	सी
1.	राज्य विश्वविद्यालय	10	10	3 (30%)	-	1	1	1	-
2.	निजी विश्वविद्यालय	51	40	7 (17.50%)	1	1	3	2	-
2	राजकीय महाविद्यालय	237	164	68 (41.46%)	-	4	6	45	13
3.	निजी महाविद्यालय	1,524	1,293	13 (1%)	1	2	3	6	1
कुल		1,822	1,507	91 (6.04%)	2	8	13	54	14

स्रोत : उच्च शिक्षा विभाग की वार्षिक प्रतिवेदन एवं नैक वेबसाइट के अनुसार
*वर्ष 2013-14 के दौरान संस्थानों की संख्या से प्रतिशतता

तालिका दर्शाती है कि 2013-14 में चूंकि 1,507 उच्च शिक्षण संस्थान कार्यरत थे, अतः वे वर्ष 2019-20 (अस्तित्व में आने से छः वर्ष पूर्ण होने पर) के दौरान नैक प्रत्यायन हेतु पात्र थे। जिनमे से केवल, 91(6.04 प्रतिशत) उच्च शिक्षण संस्थानों को जनवरी 2020 तक नैक प्रत्यायन प्राप्त हुआ था। यद्यपि, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (एसएलक्यूएसी) राज्य में महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार के लिए नैक के परामर्श से राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करने एवं संबंधित राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों व नैक के बीच नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु जिम्मेदार था, परन्तु राज्य में केवल 6.04 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थान ही नैक से प्रत्यायन प्राप्त थे यह तथ्य एसएलक्यूएसी के अप्रभावी कार्यचालन को इंगित करता है। आगे, तथ्य यह है कि राज्य में केवल 0.66 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थाओं को ही ए+/ए ग्रेड प्रत्यायन प्राप्त था जो कि राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदान की जा रही उच्च शिक्षा की निम्न गुणवत्ता को दर्शाता है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में पाए गए कई लेखापरीक्षा निष्कर्षों में भी परिलक्षित हुआ जिनकी इस प्रतिवेदन के पूर्व अनुच्छेदों/अध्यायों में चर्चा की गई है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अधिकांश नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाएं जैसे कि रोजगार सुविधा सेवा तंत्र या तो अक्रियाशील था या गैर-मौजूद था, आईसीटी सुविधाओं की उपलब्धता खराब थी, छात्र शिक्षक अनुपात निर्धारित सीमा से बहुत अधिक था, निजी महाविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अहर्ता वाले शिक्षकों की कमी थी, 77 प्रतिशत से अधिक स्नातक छात्र प्रथम श्रेणी/बी+ ग्रेड से कम अंकों से उतीर्ण हुए थे और शोध गतिविधियों के परिणाम संतोषजनक नहीं थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि नैक प्रत्यायन प्राप्त निजी महाविद्यालयों के आंकड़ों का रखरखाव 2020-21 से प्रारंभ कर दिया गया है।

5.5 गैर-शैक्षणिक कर्मचारी

5.5.1 राज्य स्तरीय स्थिति

आयुक्तालय (कॉलेज शिक्षा) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 2014-19 के दौरान राजकीय महाविद्यालयों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के औसतन 52.36 प्रतिशत (3926 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 2056) पद रिक्त थे। आगे, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पद 2014-15 में 46.56 प्रतिशत से 2018-19 में 59.08 प्रतिशत तक लगातार बढ़े। राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2020) कि 266 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं।

5.5.2 नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालय स्तर पर

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जेएनवीयू, जोधपुर एवं जीजीटीयू बांसवाडा में क्रमशः 44.79 प्रतिशत, 28.34 प्रतिशत एवं 87.50 प्रतिशत गैर-शैक्षणिक पद[86] रिक्त थे। जीजीटीयू, बांसवाडा में छह सेवानिवृत कर्मचारी संविदा पर नियुक्त किए गए थे।

गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के बहुत अधिक पद रिक्त होने के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों के मुख्य शैक्षणिक कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि नमूना जांच किए गए महाविद्यालयों के संयुक्त निरीक्षण के दौरान शैक्षणिक स्टाफ को गैर-शैक्षणिक कार्य (प्रशासनिक कार्य,संस्थापन कार्य आदि जैसे मंत्रालयिक कार्य) करने के दृष्टांत देखे गए थे। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अनुमति प्रदान किए जाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया जा रहा था।

5.6 वित्तीय प्रबंधन

राजस्थान सरकार राज्य विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन के लिए तथा राजकीय महाविद्यालयों को उनके आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए राज्य के बजट से अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करती है। राज्य के बजट के अतिरिक्त, राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को अवसंरचना, शोध उद्देश्य आदि के लिए रूसा के अन्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एवं विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत यूजीसी से सहायता प्राप्त होती है।

5.6.1 राज्य बजट के अंतर्गत निधियां

राज्य बजट से 2014-19 के दौरान राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों की वर्षवार स्थिति ***तालिका 5.3*** में नीचे दी गई है :

---

86 राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर : 1,777 गैर-शैक्षणिक पदों में से 796 पद रिक्त, जेएनवीयू, जोधपुर : 801 गैर-शैक्षणिक पदों में से 227 पद रिक्त एवं जीजीटीयू, बांसवाडा : 40 गैर-शैक्षणिक पदों में से 35 पद रिक्त

तालिका 5.3 : राज्य बजट से प्राप्त निधियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आवंटन	जारी निधियां			आवंटन से कम जारी निधियां (प्रतिशत)
		राज्य विश्वविद्यालय	राजकीय महाविद्यालय	कुल	
1	2	3	4	5(3+4)	6 (2-5)
2014-15	1,038.62	210.44	763.29	973.73	64.89 (6.25)
2015-16	1,283.86	203.97	975.14	1,179.11	104.75 (8.16)
2016-17	1,288.79	205.03	959.90	1,164.93	123.86 (9.61)
2017-18	1,324.77	251.90	925.63	1,177.53	147.24(11.11)
2018-19	1,491.72	297.31	1,125.46	1,422.77	68.95 (4.62)

स्रोत : राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गए बजट दस्तावेज/सूचनाएं

यह देखा जा सकता है कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों को बजट आवंटन की पूर्ण राशि जारी नहीं की गई थी। सम्पूर्ण आवंटित निधियां जारी नहीं करने एवं वर्षवार निधियों के उपयोग करने के संबंध में, पूछने पर भी सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

5.6.2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियां

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना 2013 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार करना एवं उनकी विद्यमान क्षमताओं को बढाना है ताकि वे गतिशील, मांग-संचालित, गुणवत्ता के प्रति जागरूक, कुशल तथा प्रगतिशील और स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले तीव्र आर्थिक तथा तकनीकी विकास के लिए उतरदायी बन सके। इस योजना में केवल राज्य के राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थान ही शामिल है, जिनमें विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा, कृषि एवं पशु चिकित्सा आदि के संस्थान शामिल नहीं है। राजस्थान के प्रकरण में इस योजना का केंद्र-राज्य से वित्त पोषण 60:40 के अनुपात में है।

5.6.2.1 अनुमोदित परिव्यय के विरुद्ध निधियां जारी करना

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने राजस्थान के लिए रूसा के अंतर्गत अवधि 2014-20 के लिए ₹ 606 करोड़ (रूसा-1 के अंतर्गत अवधि 2014-18 के लिए ₹ 357 करोड़ अवसंरचना अनुदान के रूप में एवं रूसा- 2 के अंतर्गत अवधि 2018-20 के लिए ₹ 249 करोड़ अवसंरचना अनुदान, समता पहल और शिक्षक सुधार के रूप में) के कुल परिव्यय अनुमोदित किए। राज्य परियोजना निदेशक, रूसा द्वारा प्राप्त की गई निधियां और उसके उपरांत राज्य विश्वविद्यालय एवं राजकीय महाविद्यालयों को अवधि 2014-19 के दौरान जारी की गई निधियों की स्थिति ***तालिका 5.4*** में नीचे दर्शाई गई है :

तालिका 5.4 : रूसा के अंतर्गत जारी निधियां (₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य परियोजना निदेशक, रूसा द्वारा प्राप्त की गई निधियां			राज्य परियोजना निदेशक, रूसा द्वारा जारी की गई निधियां	
	केंद्र का अंश	राज्यांश	कुल	राज्य विश्वविद्यालय को	राजकीय महाविद्यालय को
2014-15	0	0	0	0	0
2015-16	65.4	43.6	114.0[87]	30	79
2016-17	62.4	41.6	104.0	20	84
2017-18	53.7	35.8	89.5	25	64.5
2018-19	56.1	37.4	93.5	31	62.5
कुल	237.6	158.4	401.0	106	290

स्रोत : राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

यह देखा जा सकता है कि 2014-18 के दौरान रूसा-1 के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने ₹ 357 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय में से केवल ₹ 307.50 करोड़ ही जारी किए। राज्य परियोजना निदेशक, रूसा द्वारा सूचित किया कि रूसा -1 योजना मार्च 2018 में बंद नहीं हुई थी। राजस्थान सरकार ने मार्च 2019 तक ₹ 344 करोड़ प्राप्त किए और केवल ₹ 2.60 करोड़ का राज्यांश जुलाई 2020 तक लंबित था, जिसके लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

आगे, राज्य के विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों को ₹ 396 करोड़ की वितरित राशि में से ₹ 367.01 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र 11 नवम्बर 2020 तक प्राप्त हुए थे।

5.6.2.2 राज्य सरकार द्वारा निधियां जारी करने में विलम्ब

रूसा के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय अंश प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर केंद्र के अंश के साथ-साथ राज्य अपने अंश का योगदान राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (यहाँ राज्य परियोजना निदेशक, रूसा) के रूसा समर्पित बचत खाते में करेगा। राज्य परियोजना निदेशक, रूसा के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया कि ***परिशिष्ट 5.2*** में दिए गए विवरण के अनुसार राजस्थान सरकार ने राज्यांश के ₹ 150.95 करोड़ केंद्रीय अंश प्राप्ति के 15 दिवसों की निर्धारित अवधि के बाद 18 से 428 दिवसों की देरी से रूसा को जारी किए थे।

राज्य सरकार ने राज्यांश को जारी करने में देरी का कारण निर्धारित प्रक्रियाओं की पालना करने में लगने वाले समय को बताया (अगस्त 2020)। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि रूसा के दिशानिर्देशों

87 इसमें प्रारंभिक अनुदान के रूप में प्राप्त राशि ₹ पांच करोड़ सम्मिलित है, जिसे राज्य परियोजना निदेशक के पास रखा गया था।

में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य अनुदान जारी करने के लिए प्रक्रियाओं का पालन करने हेतु अधिकतम 15 दिनों की अनुमति होगी।

सारांश और सिफारिशें

राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (एसएलक्यूएसी) ने ना तो उन महाविद्यालयों की संख्या के बारे में आंकड़े संग्रहित किये जिन्होंने आईक्यूएसी का गठन किया था और ना ही इसकी निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित किया। नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों में शासी निकायों जैसे कि सीनेट, सिंडिकेट/प्रबंधक मंडल एवं शैक्षणिक परिषद् की निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं हुई थी।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जेएनवीयू, जोधपुर और नमूना जांच किए गए 56 प्रतिशत महाविद्यालयों में आईक्यूएसी कार्यरत नहीं थी। नमूना जांच किए गए तीनों विश्वविद्यालयों में निजी महाविद्यालयों को देरी से संबद्धता प्रदान करने के दृष्टान्त देखे गए थे। राज्य में नैक प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति निराशाजनक थी क्योंकि जनवरी 2020 तक पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में से केवल 6.04 प्रतिशत को ही नैक प्रत्यायन प्राप्त थी। आगे, प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों के केवल 0.66 प्रतिशत को ए$^+$/ए ग्रेड प्राप्त हुआ, जो राज्य में प्रदान की जा रही उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा की खराब गुणवत्ता को दर्शाती है।

नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्ष 2018-19 के दौरान बहुत अधिक मात्रा में गैर-शैक्षणिक पद रिक्त थे।

सिफारिशें :

1. नैक प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों की संख्या बढ़ाने के क्रम में, राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को महाविद्यालयों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी करनी चाहिए एवं उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करना चाहिए।

2. विश्वविद्यालयों को चाहिए कि :

अ. सभी शासी निकायों का गठन सुनिश्चित करें एवं उनकी निर्धारित बैठकें आयोजित करें ताकि शासन सरंचना उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता, समता एवं पहुंच बढाने की दिशा में ठोस तरीके से काम करे।

ब. महाविद्यालयों के लिए संबद्धता प्रक्रिया को मजबूत करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले संबद्धता का नवीनीकरण पूर्ण हो जाए ताकि छात्रों की भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ;

3. विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी के लिए जीजीटीयू, बांसवाडा को शासी निकाय को कार्यशील बनाना चाहिए।

अध्याय–VI

निष्कर्ष

अध्याय – VI
निष्कर्ष

उच्च शिक्षा में राजस्थान का सकल नामांकन अनुपात 2010 के बाद से ही राष्ट्रीय औसत से कम है और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच इसकी रैंकिंग 20 (2010-11) से 23 (2018-19) तक घट गई। आगे, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार राज्य में संचालित कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान देश के शीर्ष 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में सम्मिलित नहीं था। इस पृष्ठभूमि में, राज्य में उच्च शिक्षा तंत्र में परिणामों की एक निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित करने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षा ने विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद उच्च शिक्षा परिणामों को 'रोजगार क्षमता एवं उच्च अध्ययन के लिए प्रगमन में वृद्धि', 'प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्ता के शोध के माध्यम से समाज में योगदान' और 'सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए समान पहुंच' के रूप में परिभाषित किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रोजगार/उच्च अध्ययन के लिए छात्र प्रगमन और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन से संबंधित आंकड़ों के रखरखाव की प्रणाली उच्च शिक्षा तंत्र के सभी स्तरों पर या तो कमजोर थी या पूर्णतया गैर-मौजूद थी, जिसके कारण पहले परिणामों के संकेतकों का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। रोजगार सुविधा सेवा तंत्र या तो अकार्यशील या गैर-मौजूद था, जिससे छात्रों को रोजगार पाने और आवश्यक कैरियर विकल्पों को अपनाने में आवश्यक सहायता से वंचित होना पड़ा। बहुत कम रोजगार क्षमता/उद्यमिता केंद्रित कोर्स शुरू किए गए और नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में से किसी ने भी 2018-19 के दौरान फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप से जुड़े कोर्सों पर बल नहीं दिया और उद्योग-शैक्षिक जुड़ाव स्थापित करने के प्रयास नहीं किए, इस प्रकार, छात्रों को विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने और रोजगार के लिए तैयार होने के अवसरों से वंचित किया गया। 77 प्रतिशत से भी अधिक छात्रों ने प्रथम श्रेणी/ग्रेड बी + से कम अंकों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर में कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के डिजाईन/ संशोधन से पहले हितधारकों से फीडबैक प्राप्त नहीं किए, और जीजीटीयू, बांसवाड़ा ने 2012 में अपनी स्थापना के बाद से ही पाठ्यक्रम/सिलेबस को संशोधित नहीं किया था। 2018-19 के दौरान चूंकि विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को केवल जेएनवीयू, जोधपुर और कुछ संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों के कुछ कार्यक्रमों में प्रारंभ किया गया था और सेमेस्टर प्रणाली नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और कुछ ही राजकीय महाविद्यालयों में केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रारंभ की गई थी परिणामस्वरूप छात्र न तो संबंधित कार्यक्रमों के कोर्सों में नामांकित हो सके और न ही उनका निरंतर आकलन हुआ, इससे शैक्षणिक लचीलेपन पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

आईसीटी सुविधाओं की उपलब्धता कमजोर थी और नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों द्वारा आईसीटी शिक्षण उपकरणों का बहुत कम उपयोग करने का आशय यह हुआ कि शिक्षण के तरीकों में बहुत सुधार की आवश्यकता थी।

उच्च छात्र शिक्षक अनुपात, नमूना जांच किए गए 30 में से 19 निजी महाविद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों (45.71 प्रतिशत) में निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अहर्ता का अभाव, शिक्षकों का अपर्याप्त और अनियमित व्यावसयिक विकास दर्शाता है कि नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्ता अपर्याप्त थी और इसका शिक्षण-अधिगम की खराब गुणवत्ता में योगदान हो सकता है।

जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा में मूल्यांकन प्रणालियां परिचालानात्मक और निगरानी की अपर्याप्तता से ग्रस्त थी, क्योंकि 2017-19 के दौरान उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के बाद जेएनवीयू, जोधपुर में 96 प्रतिशत, जीजीटीयू, बांसवाड़ा में 68 प्रतिशत और राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में 26 प्रतिशत छात्रों के अंक परिवर्तित हो गए थे।

शोध गतिविधियों के संचालन में नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों का प्रदर्शन निराशाजनक था। इनमें से कोई भी 2014-19 के दौरान किए गए शोध परियोजनाओं से ठोस परिणाम का उत्पादन करने में सक्षम नहीं था। 2014-19 के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर केवल 39 प्रतिशत शोध परियोजनाएं पूरी कर सका और पूर्ण की गई शोध परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कोई पेटेंट प्रदान नहीं किया गया। जेएनवीयू, जोधपुर में, स्वीकृत सभी 14 शोध परियोजनाएं अपूर्ण थी। आगे, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में पीएचडी छात्रों की 72 थीसिस पर्यवेक्षकों के पास मूल्यांकन/परीक्षण के लिए 12 वर्षों तक की देरी से लंबित थी।

यद्यपि राजस्थान के सकल नामांकन अनुपात में पिछले नौ वर्षों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, यह लगातार राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम रहा है। तथापि, 2018-19 के दौरान, राजस्थान ने महाविद्यालयों की संख्या और महाविद्यालय घनत्व के संदर्भ में अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया। यह दो तथ्य उच्च शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता में क्षेत्रवार विषमता और नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना में योजना की कमी को उजागर करते हैं। 2014-19 के दौरान राजस्थान में एससी और एसटी दोनों के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई लेकिन राजस्थान सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजन जैसे वर्गों के सकल नामांकन अनुपात के आंकड़े संधारित नहीं किए। राजस्थान के सभी वर्गों के लैंगिक समानता सूचकांक 2018-19 में अखिल भारतीय औसत से मेल खाते हैं। सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ सभी नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यशील नहीं थे। बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में अपर्याप्त थी और रैंप को छोड़कर, सभी नमूना जांच किए गए उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजन अनुकूल बुनियादी ढाँचा अनुपस्थित था। विज्ञान और वाणिज्य की तुलना में कला स्ट्रीम कोर्स की पेशकश करने वाले राजकीय महाविद्यालयों की संख्या असमानुपातिक रूप से अधिक थी।

राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ ने न तो उन महाविद्यालयों के आंकडें संधारित किए जिन्होंने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ का गठन किया था और ना ही उनकी निगरानी के लिए कोई तंत्र विकसित किया। राज्य में नैक प्रत्यायन प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति निराशाजनक थी क्योंकि जनवरी 2020 तक पात्र उच्च शिक्षण संस्थान का केवल 6.04 प्रतिशत ही नैक प्रत्यायन प्राप्त थे। सभी नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों में 2014-19 के दौरान

सीनेट, सिंडिकेट/प्रबंधक मंडल और शैक्षणिक परिषद् की निर्धारित बैठकें नहीं हुईं थीं। नमूना जांच किए गए 45 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ गठित थे, तथापि वे कार्यशील नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने उच्च शिक्षा में परिणामों को प्राप्त करने में तीन चयनित विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निर्धारित संकेतकों के आधार पर किया। इस तथ्य के बावजूद कि ये संकेतक नैक प्रत्यायन प्रक्रिया का हिस्सा थे, नमूना जांच किए गए विश्वविद्यालयों ने या तो इन संकेतकों को मापने के लिए वांछित सूचना संधारित नहीं की थी या जहां भी इनका संधारण किया गया था उनका प्रदर्शन कई संकेतकों के तहत खराब था।

इस लेखापरीक्षा के दौरान राजस्थान में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यवस्था अभी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को अपनाने के लिए तैयार नहीं है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा समयबद्ध तरीके से ठोस तथा संकेन्द्रित प्रयास किए जाने की आवश्यकता होगी।

अनादि मिश्र

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

जयपुर,
07 अप्रैल, 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक— महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली,
08 अप्रैल, 2021

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.3)

राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों के लिए मुख्य और इनपुट-आउटपुट संकेतकों की सूची

संकेतक संख्या.	संकेतक का नाम	संकेतक का अंश	संकेतक का विभाजक	सूत्र
मुख्य परिणाम संकेतक				
1.	2014-19 के दौरान रोजगार क्षमता/उद्यमिता/ कौशल विकास पर केंद्रित कोर्सों का औसत प्रतिशत	किसी विशेष वर्ष में रोजगार क्षमता या उद्यमिता या कौशल विकास पर केंद्रित कोर्सों की संख्या	उस वर्ष में सभी कार्यक्रम में कोर्सों की संख्या	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष के योग)/5
2.	2014-19 के दौरान सभी कार्यक्रमों में कुल कोर्सों में से प्रस्तुत रोजगार क्षमता पर केन्द्रित कोर्सों के प्रतिशत	वर्ष 2014-19 के दौरान प्रस्तुत किए गए नए कोर्सों की संख्या	वर्ष 2014-19 के दौरान प्रस्तुत किए गए कोर्सों की संख्या	-
3.	उद्योग शैक्षिक जुड़ाव की सीमा क्या है?	वर्ष 2014-19 के दौरान राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अन्य विश्वविद्यालय, उद्योगों आदि के साथ कार्यात्मक एमओयू की संख्या	-	-
4.	2018-19 के दौरान उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के प्रगमन का प्रतिशत	उच्च अध्ययन के लिए प्रगमित छात्रों की कुल संख्या	अंतिम वर्ष के छात्रों की कुल संख्या, जो विश्वविद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं	
5.	2014-19 के दौरान राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं (नैट/स्लेट/गेट/सिविल सेवा/राज्य सेवा परीक्षा) में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत	एक वर्ष में सार्वजनिक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण छात्रों की संख्या।	उस वर्ष में नामांकन लेने वाले छात्रों की संख्या	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष के योग)/5

संकेतक संख्या.	संकेतक का नाम	संकेतक का अंश	संकेतक का विभाजक	सूत्र
6.	2014-19 के दौरान कार्यक्रमों का प्रतिशत जहां सिलेबस में संशोधन किया गया था	2014-19 के दौरान कार्यक्रमों की कुल संस्या जहाँ सिलेबस संशोधित किए गए	2014-19 के दौरान विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कार्यक्रमों की कुल संस्या	-
7.	2014-19 के दौरान मूल्य वर्धित कोर्सों में नामांकित छात्रों का औसत प्रतिशत	एक वर्ष के दौरान मूल्य वर्धित कोर्सों में नामांकित छात्रों की संस्या	विशेष वर्ष में छात्रों की संस्या	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष का योग)/5
8.	2018-19 (वर्तमान वर्ष) के दौरान लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स (एलएमएस), ई-लर्निंग संसाधनों आदि के साथ प्रभावी शिक्षण के लिए आईसीटी का उपयोग करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत	2018-19 के दौरान आईसीटी का उपयोग करने वाले शिक्षकों की संस्या	2018-19 के दौरान शिक्षकों की कुल संस्या	-
9.	2014-19 के दौरान सहयोगात्मक वातावरण में किस सीमा तक उद्योग से परामर्श किया गया या प्रायोजन और निधि उपलब्ध करायी गई ? "2014-19 के दौरान उद्योग, समुदाय, गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग में आयोजित विस्तार गतिविधियों और आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत"	एक विशेष वर्ष में इस तरह की गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्रों की संस्या	उस वर्ष में कुल छात्रों की संस्या	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष का योग)/5
इनपुट-आउटपुट संकेतक				
10.	2018-19 के दौरान फील्ड प्रोजेक्ट / इंटर्नशिप करने वाले छात्रों का प्रतिशत	2018-19 के दौरान फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की संस्या	2018-19 के दौरान संस्था में कुल नामांकित छात्रों की संस्या	-
11.	2014-19 के दौरान निवर्तमान छात्रों के प्लेसमेंट का औसत प्रतिशत	एक वर्ष में प्लेसमेंट हुए निवर्तमान छात्रों की संस्या	उस वर्ष में निवर्तमान छात्रों की संस्या	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष के योग)/5
12.	2018-19 के दौरान उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत	विश्वविद्यालय परीक्षा में अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संस्या	अंतिम वर्ष में उपस्थित हुए कुल छात्रों की संस्या	-

संकेतक संख्या.	संकेतक का नाम	संकेतक का अंश	संकेतक का विभाजक	सूत्र
13.	2014-19 के दौरान प्रारंभ किए गए मूल्य वर्धित कोर्सो की संख्या	2014-19 के दौरान हस्तांतरणीय और जीवन कौशल प्रदान करने वाले मूल्य वर्धित पाठ्यक्रमों की संख्या	–	–
14.	2018-19 के दौरान विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली वाले कार्यक्रमों का प्रतिशत	2018-19 के दौरान कार्यक्रमों की संख्या जिसमें विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली लागू की गई	2018-19 के दौरान पेश कार्यक्रमों की कुल संख्या	–
15.	2018-19 के दौरान आईसीटी संसाधन युक्त जैसे कि स्मार्ट क्लास, एलएमएस आदि कक्षाओं और संगोष्ठी हॉलों का प्रतिशत	आईसीटी संसाधन युक्त कक्षाओं और संगोष्ठी हॉल की संख्या	संस्थान में कक्षाओं और सेमिनार हॉल की कुल संख्या	–
16.	2018-19 के दौरान छात्र -कंम्प्यूटर अनुपात	छात्रों की कुल संख्या	चालू स्थिति में कंप्यूटर की संख्या	–
17.	2014-19 के दौरान पीएचडी वाले पूर्णकालिक शिक्षकों का औसत प्रतिशत	एक वर्ष में पीएचडी धारक पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	उस वर्ष में पूर्णकालिक शिक्षकों की कुल संख्या	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष के प्रतिशत का योग)/5
18.	2014-19 के दौरान सरकार, मान्यता प्राप्त निकाय से राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार, मान्यता, फैलोशिप प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों का प्रतिशत	पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से पुरस्कार प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	पिछले 5 वर्षों के दौरान पूर्णकालिक शिक्षकों की औसत संख्या	–
19.	2014-19 के दौरान सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भाग लेने और व्यवसायिक निकायों की सदस्यता शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले शिक्षकों का औसत प्रतिशत	एक वर्ष के दौरान सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भाग लेने और व्यवसायिक निकायों की सदस्यता शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले शिक्षकों की संख्या	उस वर्ष में पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष के प्रतिशत का योग)/5

संकेतक संख्या.	संकेतक का नाम	संकेतक का अंश	संकेतक का विभाजक	सूत्र
20.	2014-19 के दौरान व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों यथा उन्मुखीकरण कोर्स, पुनश्चर्या कोर्से तथा अल्पावधि कोर्सों में भाग लेने वाले शिक्षकों का औसत प्रतिशत	एक वर्ष में ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या	उस वर्ष में पूर्णकालिक शिक्षकों की संख्या	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष के प्रतिशत का योग)/5
21.	2014-19 के दौरान पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदनों का औसत प्रतिशत जिनमें प्राप्तांकों में परिवर्तन हुआ	एक वर्ष में पुनर्मूल्यांकन के मामलों की संख्या जिनमें प्राप्तांकों में परिवर्तन हुआ	उस वर्ष में प्राप्त होने वाले पुनर्मूल्यांकन के आवेदनों की संख्या	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष के प्रतिशत का योग)/5
22.	2014-19 के दौरान संस्थान को प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या	2014-19 के दौरान किसी संस्थान को प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या	–	–
23.	2014-19 के दौरान यूजीसी वेबसाइट पर अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रति शिक्षक शोध पत्रों की संख्या।	2014-19 के दौरान यूजीसी अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रकाशनों की संख्या	2014-19 के दौरान पूर्णकालिक शिक्षकों की औसत संख्या	–
24.	2014-19 के दौरान उन्नत अध्ययन/शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय फैलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या।	2014-19 के दौरान उन्नत अध्ययन/शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या।	–	–
25	2014-19 के दौरान सरकार द्वारा छात्रवृत्ति से लाभान्वित एवं प्रदान की गई शुल्कमुक्ति/ट्यूशन फीस छूट प्राप्त छात्रों का औसत प्रतिशत	एक विशेष वर्ष में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति से लाभान्वित और प्रदान कि गई शुल्कमुक्ति/ट्यूशन कोर्से छूट प्राप्त छात्रों की संख्या	उस वर्ष में नामांकित कुल छात्र संख्या	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष के प्रतिशत का योग)/5
26.	2014-19 के दौरान अवसंरचना में वृद्धि के लिए वेतन के अतिरिक्त बजट आवंटन का औसत प्रतिशत	एक वर्ष में अवसंरचना में वृद्धि के लिए वेतन के अतिरिक्त बजट आवंटन	उस वर्ष में वेतन के अतिरिक्त कुल व्यय	औसत प्रतिशत = (5 वर्ष के प्रतिशत का योग)/5

परिशिष्ट – 1.2

(संदर्भ अनुच्छेद 1.6.1)

नमूना जांच किए गए संबद्ध राजकीय और निजी महाविद्यालयों में उपलब्ध इनपुट के विवरण

(अ) नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालयों का विवरण

क्रम संख्या	नमूना जांच किए गए संबद्ध महाविद्यालय का नाम	प्लेसमेंट सेल	काउन्सलिंग सेल	पूर्व-छात्र संघ	रोजगार मेले	प्लेसमेंट हुआ	आईसीटी शिक्षण	आईसीटी कक्षाएं	पीएचडी धारक शिक्षक	शिक्षक प्रशिक्षण	शोध अनुदान	प्रकाशन	विस्तार गतिविधियां	एससी/एसटी सेल	लैंगिक समता कार्यक्रम	आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर															
1.	राजकीय बालिका महाविद्यालय, दौसा	✓	x	x	✓	x	✓	✓	अ.सं.	अ.सं.	x	x	✓	✓	x	✓
2.	बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा	x	x	x	x	x	x	x	अ.सं.	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
3.	बीजीडी राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा	✓	x	x	✓	x	✓	✓	अ.सं.	✓	x	x	x	✓	x	✓
4.	राजकीय महाविद्यालय जयपुर	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	अ.सं.	✓	x	x	✓	✓	✓	x
5.	एसपीडीएम राजकीय बालिका महाविद्यालय, कोटपूतली	x	x	✓	x	x	✓	✓	अ.सं.	अ.सं.	x	x	✓	✓	✓	✓
6.	एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा	x	x	x	x	x	✓	✓	अ.सं.	✓	✓	x	x	x	x	✓
7.	एलबीएस राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली	x	x	x	x	x	✓	✓	अ.सं.	✓	✓	✓	x	✓	x	✓
8.	राजकीय महाविद्यालय, सांभरलेक	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	अ.सं.	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓
9.	राजकीय महाविद्यालय, चौमूं	✓	x	x	✓	x	✓	✓	अ.सं.	✓	x	x	x	✓	x	✓

10.	आरपी राजकीय महाविद्यालय, लालसोट	x	x	x	x	x	✓	✓	अ.सं.	✓	x	x	x	✓	x	✓
11.	राजकीय महाविद्यालय, दूदू	x	x	x	x	x	x	x	अ.सं.	अ.सं.	x	x	x	x	x	x
12.	बीबीडी राजकीय महाविद्यालय, चिमनपूरा	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	अ.सं.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13.	डॉ. बी आर अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय , महुआ	x	x	x	x	x	x	x	अ.सं.	✓	✓	x	x	✓	x	x
14.	पीएनके राजकीय महाविद्यालय, दौसा	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	अ.सं.	✓	x	x	✓	✓	✓	✓
15.	राजकीय बालिका महाविद्यालय, लालसोट	✓	x	x	✓	x	x	✓	अ.सं.	✓	x	x	x	✓	✓	x
16.	राजकीय कला महाविद्यालय दौसा	✓	x	x	✓	x	x	✓	अ.सं.	✓	x	x	✓	✓	✓	x
17.	राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई	x	x	x	x	x	x	x	अ.सं.	✓	x	x	✓	✓	✓	x
	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर															
18.	राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन	x	x	x	x	अ.सं	x	x	✓	✓	x	x	x	x	✓	x
19.	राजकीय महाविद्यालय, जैतारण	✓	x	x	✓	अ.सं	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓
20.	राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर	x	x	x	x	अ.सं	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	x
21.	राजकीय महाविद्यालय, ओसियां	x	x	x	x	अ.सं	✓	✓	✓	✓	x	✓	x	x	✓	x
22.	राजकीय पीजी महाविद्यालय, जालोर	x	x	x	x	अ.सं	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	✓	✓
23.	एसपीएम् राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़	x	x	x	x	अ.सं	x	x	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓
24.	राजकीय महाविद्यालय, बिलाडा	x	x	x	x	अ.सं	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓	x
25.	राजकीय बालिका महाविद्यालय, पिपाड	x	x	x	x	अ.सं	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	✓
26.	एमबीआर राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा	✓	x	x	✓	अ.सं	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓
27.	डीआरजे राजकीय बालिका महाविद्यालय , बालोतरा	✓	x	x	✓	अ.सं	✓	✓	✓	✓	x	x	x	✓	✓	✓
28.	राजकीय महाविद्यालय, पोकरण	x	x	x	x	अ.सं	x	x	✓	✓	x	x	x	x	x	✓

29.	राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर	✓	X	X	X	अ.सं	X	X	✓	X	X	X	X	X	✓	✓
गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा																
30.	गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाडा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	अ.सं.	✓	✓	X	X	✓	✓	✓
31.	एचडीजे राजकीय बालिका महाविद्यालय, बांसवाडा	X	X	✓	✓	✓	X	✓	अ.सं.	X	✓	✓	X	X	X	X
32.	एसबीपी राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	अ.सं.	✓	X	X	X	✓	✓	✓
33.	वीकेबी राजकीय बालिका महाविद्यालय, डूंगरपुर	✓	X	X	X	X	X	X	अ.सं.	✓	X	X	X	✓	X	✓
34.	राजकीय महाविद्यालय, सीमलवाडा	X	X	X	X	X	X	X	अ.सं.	✓	X	X	X	X	X	X
35.	एमबीडी राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़	X	X	X	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	✓	X	✓
36.	राजकीय पीजी महाविद्यालय, प्रतापगढ़	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	अ.सं.	✓	✓	✓	X	X	✓	✓

अ.सं – असंधारित

(ब) नमूना जांच किए गए निजी महाविद्यालयों का विवरण

क्रम संख्या	नमूना जांच किए गए राजकीय महाविद्यालय का नाम	प्लेसमेंट सेल	काउन्सलिंग सेल	पूर्व छात्र संघ	रोजगार मेले	प्लेसमेंट ड्राइव	आईसीटी से शिक्षण	आईसीटी से कक्षाएं	पीएचडी धारक शिक्षक	शिक्षक प्रशिक्षण	शोध अनुदान	प्रकाशन	विस्तार गतिविधियां	अनु.जाति/ अनु.जनजाति सेल	लैंगिक समता कार्यक्रम	आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर																
1.	डीसीएस महाविद्यालय, सांगानेर	X	X	X	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
2.	सैंट सोल्जर महाविद्यालय, जयपुर	X	X	X	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
3.	बीएनडी पीजी, महाविद्यालय, विराटनगर	X	X	X	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
4.	सेवा महाविद्यालय, विराटनगर	X	X	X	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X

5.	ज्ञान विहार महाविद्यालय,बस्सी	X	X	X	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
6.	सैंट मदर टेरेसा महाविद्यालय, गडोता	X	X	X	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
7.	संस्कार बालिका महाविद्यालय, बगरू	X	X	X	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
8.	श्री भवानी निकेतन पीजी बालिका महाविद्यालय, जयपुर	X	X	✓	X	X	X	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	✓
9.	पोद्दार इंटरनेशनल महाविद्यालय, जयपुर	X	X	✓	X	X	✓	✓	अ.सं.	✓	✓	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	✓
10.	परिष्कार इंटरनेशनल महाविद्यालय, मानसरोवर	X	X	X	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	✓
11.	टैगोर पीजी बालिका महाविद्यालय, विद्याधर नगर	X	X	✓	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
12.	आई आर आई एस महाविद्यालय, सोडाला, जयपुर	X	X	✓	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	✓
13.	माहेश्वरी महाविद्यालय ऑफ़ कॉमर्स एवं साइंस, प्रतापनगर	X	X	✓	X	X	✓	✓	अ.सं.	✓	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	✓
14.	सैनी आदर्श पीजी महाविद्यालय, बांदीकुई	X	X	X	X	X	X	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
15.	इम्पल्स महाविद्यालय, लालसोट	X	X	X	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
16.	शिव शक्ति महाविद्यालय, दौसा	X	X	X	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर															
17.	महात्मा गाँधी महाविद्यालय, जोधपुर	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	✓	X	X	X	अ.सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	X
18.	एम आर मेमोरियल महाविद्यालय, धोरीमन्ना	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	✓	X	X	X	अ.सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	X
19.	बीएल आर्ट्स एवं साइंस महाविद्यालय, शिव	X	X	X	X	अ.सं.	✓	✓	✓	X	X	X	अ.सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	X
20.	ऐनी बेसेंट महाविद्यालय, आऊ	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	✓	X	X	X	अ.सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	X

21.	भगवान महावीर महाविद्यालय, बालोतरा	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	✓	X	X	X	अ.सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	X
22.	भास्कर महाविद्यालय, बालोतरा	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	X	X	X	X	अ.सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	X
23.	हिलग्रोव कर्नल्स महाविद्यालय, सुमेरपुर	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	✓	X	X	X	अ.सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	X
24.	रूपाराम सेवदा महाविद्यालय, केरु	X	X	X	X	अ.सं.	X	✓	✓	X	X	X	अ.सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	X
25.	श्रीराम महाविद्यालय, रामजी का गोल, बाड़मेर	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	✓	X	X	X	अ.सं.	लागू नहीं	लागू नहीं	X
	गोविन्द गुरु जनजातिय विश्वविद्यालय, बांसवाडा															
26.	एलबीएस, महाविद्यालय, प्रतापगढ़	X	X	X	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
27.	मानसी बालिका महाविद्यालय, आनंदपुरी	X	X	X	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
28.	गुरुकुल डिग्री महाविद्यालय,आसपुर	X	X	X	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
29.	जम्बुखंड महाविद्यालय, कलिंजारा	X	X	X	X	X	✓	✓	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X
30.	हिमालय महाविद्यालय, पुनाली	X	X	X	X	X	X	X	अ.सं.	X	X	X	X	लागू नहीं	लागू नहीं	X

✓- उपलब्ध X- उपलब्ध नहीं अ.सं. -असंधारित

परिशिष्ट -1.3

(संदर्भ अनुच्छेद 1.6.2)

2017-18 के दौरान नैक ग्रेडिंग प्रणाली के तहत 22 विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा विकसित मात्रात्मक सदृश मानदंडों का विवरण

क्रम संख्या	संकेतक का नाम	अंक प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन की सीमा				
		4	3	2	1	0
1.	2014-19 के दौरान रोजगार क्षमता/उद्यमिता/ कौशल विकास पर केंद्रित कोर्सों का औसत प्रतिशत	50% से अधिक	40% से 49.99%	30% से 39.99%	20% से 29.99%	20% से कम
2.	2014-19 के दौरान सभी कार्यक्रमों में प्रस्तुत कुल कोर्सों में से रोजगार क्षमता पर केन्द्रित कोर्सों के प्रतिशत	10% से अधिक	7% से 9.99%	4% से 6.99%	2% से 3.99%	2% से कम
3.	वर्ष 2014-19 के दौरान राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अन्य विश्वविद्यालय, उद्योगों आदि के साथ कार्यात्मक एमओयू की संख्या	30 से अधिक	20 से 29	10 से 19	6 से 9	5 तक
4.	2018-19 के दौरान उच्च अध्ययन के लिए छात्रों के प्रगमन का प्रतिशत	20% से अधिक	15 से19.99%	10% से 14.99%	5% से 9.99%	5% से कम
5.	2014-19 के दौरान राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं (नैट/स्लेट/गेट/सिविल सेवा/राज्य सेवा परीक्षा) में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत	30% से अधिक	15% से 29.99%	10% से 14.99%	5% से 9.99%	5% से कम
6.	2014-19 के दौरान कार्यक्रमों का प्रतिशत जहां सिलेबस में संशोधन किया गया था	50% से अधिक	40% से 49.99%	30% से 39.99%	15 से 29.99%	15% से कम
7.	2014-19 के दौरान मूल्य वर्धित कोर्सों में नामांकित छात्रों का औसत प्रतिशत	10% से अधिक	6% से 9.99%	3% से 5.99%	1 से 2.99%	1% से कम
8.	2018-19 (वर्तमान वर्ष) के दौरान लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स (एलएमएस), ई-लर्निंग संसाधनों आदि के साथ प्रभावी शिक्षण के लिए आईसीटी का उपयोग करने वाले शिक्षकों का प्रतिशत	80% से अधिक	60% से 79.99%	40% से 59.99%	20% से 39.99%	20% से कम

क्रम संख्या	संकेतक का नाम	अंक प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन की सीमा				
		4	3	2	1	0
9.	2014-19 के दौरान उद्योग, समुदाय, गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग में आयोजित विस्तार गतिविधियों और आउटरीच कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों का औसत प्रतिशत	30% से अधिक	25% से 29.99%	20% से 24.99%	15% से 19.99%	15% से कम
10.	2018-19 के दौरान फील्ड प्रोजेक्ट/ इंटर्नशिप करने वाले छात्रों का प्रतिशत	10% एवं इससे अधिक	5 से 9.99%	3 से 4.99%	2 से 2.99%	2% से कम
11.	2014-19 के दौरान निवर्तमान छात्रों के प्लेसमेंट का औसत प्रतिशत	20% एवं इससे अधिक	15% से 19.99%	10% से 14.99%	5% से 9.99%	5% से कम
12.	2018-19 के दौरान उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत	90% एवं इससे अधिक	80% से 89.99%	70% से 79.99	60% से 69.99%	60% से कम
13.	2014-19 के दौरान प्रारंभ किए गए मूल्य वर्धित कोर्सों की संख्या	50 एवं इससे अधिक	40 से 49	30 से 39	20 से 29	20 से कम
14.	2018-19 के दौरान विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली वाले कार्यक्रमों का प्रतिशत	10% एवं इससे अधिक	6 से 9.99%	3 से 5.99%	2 से 2.99%	2% से कम
15.	2018-19 के दौरान आईसीटी संसाधन युक्त जैसे कि स्मार्ट क्लास, एलएमएस आदि कक्षाओं और संगोष्ठी हॉलों का प्रतिशत	80% एवं इससे अधिक	70% से 79.99%	60% से 69.99%	50% से 59.99%	50% से कम
16.	2018-19 के दौरान छात्र -कंम्प्यूटर अनुपात	10:1 तक	11:1 से 20:1	21:1 से 30:1	31:1 से 40:1	40:1 से अधिक
17.	2014-19 के दौरान पीएचडी धारक पूर्णकालिक शिक्षकों का औसत प्रतिशत।	70% एवं इससे अधिक	60% से 69.99%	50% से 59.99%	40% से 49.99%	40% से कम
18.	2014-19 के दौरान सरकार, मान्यता प्राप्त निकाय से राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार, मान्यता, फैलोशिप प्राप्त करने वाले पूर्णकालिक शिक्षकों का प्रतिशत	10 % एवं इससे अधिक	9% से 9.99%	8% से 8.99%	7% से 7.99%	7% से कम

क्रम संख्या	संकेतक का नाम	अंक प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन की सीमा				
		4	3	2	1	0
19.	2014-19 के दौरान सम्मेलनों / कार्यशालाओं में भाग लेने और व्यवसायिक निकायों की सदस्यता शुल्क के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले शिक्षकों का औसत प्रतिशत	50% एवं इससे अधिक	40% से 49.99%	30% से 39.99%	20% से 29.99%	20% से कम
20.	2014-19 के दौरान व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों यथा उन्मुखीकरण कोर्स पुनश्चर्या कोर्से तथा अल्पावधि कोर्सों में भाग लेने वाले शिक्षकों का औसत प्रतिशत	40% एवं इससे अधिक	30% से 39.99%	20 से 29.99%	10% से 19.99%	10% से कम
21.	2014-19 के दौरान पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदनों का औसत प्रतिशत जिनमें प्राप्तांकों में परिवर्तन हुआ	5% एवं इससे कम	5% से 8.99%	9% से 12.99%	13% से 15.99%	16% और उससे अधिक
22.	2014-19 के दौरान किसी संस्थान को प्रदान किए गए पेटेंट की संख्या	20 एवं इससे अधिक	10 से 19	5 से 9	1 से 4	1 से कम
23.	2014-19 के दौरान यूजीसी वेबसाइट पर अधिसूचित पत्रिकाओं में प्रति शिक्षक शोध पत्रों की संख्या	10 एवं इससे अधिक	7 से 9.99	4 से 6.99	1 से 3.99	1 से कम
24.	2014-19 के दौरान उन्नत अध्ययन/शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय फैलोशिप से सम्मानित शिक्षकों की संख्या।	40 एवं इससे अधिक	20 से 39	10 से 19	2 से 9	1 तक
25	2014-19 के दौरान सरकार द्वारा छात्रवृत्ति से लाभान्वित एवं प्रदान की गई शुल्कमुक्ति/ट्यूशन फीस छूट प्राप्त छात्रों का औसत प्रतिशत	40% एवं इससे अधिक	25% से 39.99%	16% से 24.99%	5% से 15.99%	5% से कम
26.	2014-19 के दौरान अवसंरचना में वृद्धि के लिए वेतन के अतिरिक्त बजट आवंटन का औसत प्रतिशत	20% से अधिक	15% से 19.99%	10% से 14.99%	5% से 9.99%	5% से कम

परिशिष्ट - 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.2)

आयुक्त (कॉलेज शिक्षा) द्वारा विधानसभा को प्रतिवेदित और संबंधित महाविद्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत रोजगार की सूचना में पाई गई विसंगतियां

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	आयुक्तालय द्वारा विधानसभा को प्रतिवेदित नियुक्त छात्रों की संख्या	महाविद्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा को दी गई सूचना के अनुसार नियुक्त छात्रों की संख्या
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से संबद्ध महाविद्यालय			
1.	बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा	200	30
2.	आर एल सहरिया राजकीय महाविद्यालय, काला डेरा	14	0
3.	पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय, दौसा	9	0
जेएनवीयू, जोधपुर से संबद्ध महाविद्यालय			
4.	आर.डी.जे. राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा	3	0
5.	राजकीय महाविद्यालय, बालोतरा	3	0
6.	राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर	2	0
7.	राजकीय महाविद्यालय, ओसियां	6	0
जीजीटीयू, बांसवाड़ा से संबद्ध महाविद्यालय			
8.	एमबीडी राजकीय महाविद्यालय, खुशालगढ़, बांसवाड़ा	20	0
9.	गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	325	15
कुल योग		582	45

परिशिष्ट - 3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.1.3 (i))

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के 19 कोर्सों के सिलेबस की जांच के नतीजे

(अ) 15 कोर्स का सिलेबस जिसमें कोई परिवर्तन नहीं देखे गए

क्रम संख्या	बोर्ड ऑफ़ स्टडीज़ की बैठक की तारीख	कोर्स का नाम
1.	24.05.2017	एमएससी (जीव विज्ञान) (सेमेस्टर -I और II) 2018, सेमेस्टर -III और IV 2019
2.	03.01.2018	बीएससी (जीव विज्ञान) पार्ट -II (ऑनर्स)2019
3.	15.07.2015	बीए (समाजशास्त्र) भाग - II (पास कोर्स)2016
4.	15.07.2015	बीए (समाजशास्त्र) भाग -II (ऑनर्स) 2016
5.	23.05.2016	बीए (समाजशास्त्र) भाग- III (ऑनर्स) 2017
6.	27.02.2019	बीए (समाजशास्त्र) भाग -I, II और III (पास कोर्स)2020
7.	27.02.2019	बीए (समाजशास्त्र) भाग- III (ऑनर्स) 2020
8.	15.11.2014 और 10.05. 2016	बीएससी (रसायन विज्ञान) (ऑनर्स) 2016 और 2017
9.	21.01.2017	एमएससी (रसायन विज्ञान)(सेमेस्टर III और IV) 2018
10.	02.03.2019	एमएससी (रसायन विज्ञान)(प्रारंभिक और अंतिम) 2020
11.	20.03.2018	एमएससी (रसायन विज्ञान)(सेमेस्टर I,II,III और IV) 2019
12.	18.01.2018	बीकॉम (व्यवसायिक प्रशासन) (ऑनर्स)भाग-II 2019
13.	15.04.2014 और 12.05.2016	बीए (राजनीति विज्ञान) भाग -III (पास कोर्स 2015 और 2017)
14.	15.04.2014	बीए (राजनीति विज्ञान) भाग -III (ऑनर्स) 2015
15.	25.05.2017	बीए (राजनीति विज्ञान) पार्ट- I और II और बीए (ऑनर्स) पार्ट- II 2018

(ब) चार कोर्स का विवरण जिसमें कम परिवर्तन / कुछ शब्द प्रतिस्थापन देखे गए थे

क्रम संख्या	परिवर्तनों से पहले सिलेबस में विषय वस्तु	परिवर्तनों के पश्चात सिलेबस में विषय वस्तु	देखा गया परिवर्तन
1.	बीए भाग- I (समाजशास्त्र) 2015 पेपर -I (यूनिट -III) समाजशास्त्र में गतिशीलताः सामाजिक गतिशीलता : अवधारणाएं और रूप सामाजिक नियंत्रणः अवधारणाएं और रूप	बीए भाग- I (समाजशास्त्र) 2020 पेपर- I (यूनिट- III) समाजशास्त्र में गतिशीलताः सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलताः सिद्वांत और रूप	सामाजिक नियंत्रण 2020 के सिलेबस से हटा दिया गया।
2.	बीए भाग- I (समाजशास्त्र) 2015 पेपर- II (यूनिट- II) विषयः भारतीय समाज की मूल संस्थाएँः पारिवारिक विवाह और संबंधः अर्थ और रूप विचार-विषयः निरंतरता और परिवर्तन। जाति और वर्गः अर्थ और रूप विचार-विषयः निरंतरता और परिवर्तन।	बीए भाग- I (समाजशास्त्र) 2020 पेपर-II (युनिट-II) विषयः भारतीय समाज की मूल संस्थाएँः पारिवारिक विवाह और संबंधः अर्थ, रूप और चुनौतिया जाति और वर्गः अर्थ और रूप मुद्देः निरंतरता और बदलते पैटर्न ।	शब्द " विचार-विषय" एवं 'निरंतरता और परिवर्तन' को "चुनौतियों" एवं बदलते "पैटर्न" द्वारा प्रतिस्थापित किए गए ।
3.	बीए भाग- I (अर्थशास्त्र)2017 पेपर- II (खंड -B) उद्योगः- भूमिका रणनीति और चुनौतियां, एसएमई, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योग	बीए भाग- I (अर्थशास्त्र)2018 पेपर- II (खंड -B) उद्योगः- भूमिका रणनीति और चुनौतियां, एमएसएमई, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग।	2018 के सिलेबस में एसएमई को एमएसएमई द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
4.	बीए भाग- II (अर्थशास्त्र)2017 पेपर –I (खंड-C) राजकोषीय नीति : उद्देश्य और साधन।	बीए भाग- II (अर्थशास्त्र)2018 पेपर –I (खंड-C) राजकोषीय नीति विषय को हटा दिया गया।	2018 में राजकोषीय नीति विषय को हटा दिया गया।

परिशिष्ट- 3.2

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1.2.5 (द) (i))

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में पुनर्मूल्यांकन नतीजे की घोषणा में देरी का विवरण

कोर्स का नाम	वर्ष	नतीजे की घोषणा की तिथि	पुनर्मूल्यांकन के बाद नतीजे की घोषणा की नियत तिथि[88]	पुनर्मूल्यांकन नतीजे की घोषणा की तिथि	दिवसों में देरी
बीए ऑनर्स -I	2019	28.06.2019	13.08.2019	12.11.2019	90
बीए ऑनर्स -II	2019	28.06.2019	13.08.2019	12.11.2019	90
बीए ऑनर्स -III	2019	02.07.2019	17.08.2019	31.10.2019	74
बीए-I (डी&डी)	2019	18.06.2019	03.08.2019	16.09.2019	44
बीए-III (डी&डी)	2019	18.06.2019	03.08.2019	16.09.2019	44
बीए ऑनर्स -I	2018	22.07.2018	07.09.2018	30.11.2018	83
बीए ऑनर्स -II	2018	17.07.2018	03.09.2018	02.12.2018	90
बीए ऑनर्स -III	2018	02.07.2018	17.08.2018	02.12.2018	105
बीए पार्ट-I	2018	09.07.2018	24.08.2018	14.12.2018	111
बीए पार्ट -II	2018	04.07.2018	19.08.2018	14.12.2018	116
बीए पार्ट -III	2018	05.07.2018	20.08.2018	14.12.2018	115
बीए-I (डी&डी)	2018	11.07.2018	26.08.2018	16.11.2018	81
बीए-II (डी&डी)	2018	11.07.2018	26.08.2018	14.12.2018	109
बीए-III (डी&डी)	2018	06.07.2018	21.08.2018	18.09.2018	27
बीए-I (डी&डी)	2017	09.08.2017	24.09.2017	06.12.2017	73
बीए-II (डी&डी)	2017	14.09.2017	29.10.2017	06.12.2017	37

88 पुनर्मूल्यांकन के नतीजों की घोषणा के लिए नियत तिथि की गणना परीक्षा के नतीजे घोषित करने की तिथि से की गई है, जिसमें आवेदन पत्र भरने के लिए 15 दिन और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए 30 दिन अनुमत्य किए है।

परिशिष्ट - 3.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.2.1.5 (स)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में अपूर्ण पड़ी 22 शोध परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	शोध परियोजना का उद्देश्य	अवधि	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को जारी राशि (₹ करोड़ में)	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	शेष अनुदान के जारी न होने/ अनुदान लौटने का कारण
1.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग – पर्स (चरण- II) कार्यक्रम	शोध, श्रम-शक्ति लागत, उपकरणों का संवर्द्धन और कम्प्यूटेशनल सुविधाओं, अनुसंधान उपभोग्य सामग्रियों, वैज्ञानिक सम्मेलनों / कार्यशालाओं के आयोजन, यात्रा और सुविधाओं के संधारण के लिए अनिवार्य रूप से निष्पादन करने वाले विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करना।	2014-19	32.40	6.00	4.46	2014-19 की पूरी अवधि समाप्त होने तक पहली किस्त के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफलता।
2.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सैफ	परिष्कृत विश्लेषणात्मक साधन सुविधाओं (सैफ) के माध्यम से शोधकर्ताओं को परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों की सुविधाएं प्रदान करना।	2013-18	5.80	2.00	शून्य	समय पर उपकरण क्रय नहीं करने के कारण ₹2 करोड़ की पूरी राशि लौटा दी गई।
3.	स्टार्ट-अप शोध अनुदान (एसआरजी) - 08 परियोजनाएं	एक नए संस्थान में अपने शोध करियर की शुरुआत करने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में काम करने वाले शोधकर्ताओं की सहायता करना।	3 वर्ष	2.38	1.40	0.83	संवितरित अनुदान का उपयोग नहीं करना।
4.	युजीसी- सैप (विशेष सहायता कार्यक्रम)-11 परियोजनाएं	विशिष्ट क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में तेजी लाने के लिए उन्नत शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता और टीम वर्क की खोज को प्रोत्साहित करना।	2012-19	11.28	1.85	1.50	उपयोगिता प्रमाण-पत्र देरी से प्रस्तुत कराना और यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करना

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	शोध परियोजना का उद्देश्य	अवधि	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को जारी राशि (₹ करोड़ में)	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	शेष अनुदान के जारी न होने/ अनुदान लौटने का कारण
5.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग – अंतः विषय जीवन विज्ञान प्रोग्राम (आईएलपीएस)	औषधीय रूप से महत्वपूर्ण पौधों से वांछित उपापचय को पृथ्थकीकरण एवं पहचान और व्यावसायिक / बड़े पैमाने पर उत्पादन, रासायनिक और जैविक रूट का उपयोग करके नैनोपार्टिकल्स के संश्लेषण और लक्षण वर्णन टेक्सटाइल में उपयोग करने के लिए नैनो मैटेरियल एवं उपापचय का एकत्रीकरण सीएनटी रूट का प्रयोग करते हुए पोषण वृद्धि और दवा एवं जलशोधन विकसित करना।	2010-15	9.90	4.33	4.44	समय पर प्रारंभिक अनुदान का उपयोग नहीं करना और प्रमुख उपकरणों की खरीद नहीं करना
		योग		61.76	15.58	11.23	

परिशिष्ट - 5.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.1.2.1)

नमूना जांच किए गए विश्वविधालयों में शासी निकायों की कार्य पद्धति

क्रम संख्या	शासी निकाय का नाम	कार्य/ दायित्व (बैठकों की आवधिकता सहित)	शासी निकाय के कार्यों में पाई गई कमियां		
			राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	जेएनवीयू, जोधपुर	जीजीटीयू, बांसवाडा
1	सीनेट	यह विश्वविद्यालय का शीर्ष निकाय है : (i)विधान बनाना/संशोधित/निरस्त करना (ii)अध्यादेशों को विचार-विमर्श एवं निरस्त करना और (iii)वार्षिक प्रतिवेदनों, वार्षिक लेखे एवं अन्य वित्तिय अनुमानों आदि के प्रस्तावों पर विचार करना और पारित करना। **बैठकों की आवधिकता** राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर - वार्षिक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर-एक वर्ष में तीन बार	गठित (i) वर्ष 2011 से 2018 में विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की "ग्रेस पारित करने हेतु" के अलावा 2010 के बाद से सीनेट की कोई बैठक नही हुई थी। (ii) सिंडिकेट द्वारा अध्यादेशों में किये गये संशोधनों को सीनेट के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया (iii) सीनेट में छात्रों का प्रतिनिधित्व नही मिला।	गठित (i) वर्ष 2014-19 के दौरान 15 बैठकों में से केवल चार आयोजित की गई (ii) वर्ष 2014-15 के दौरान सीनेट की कोई बैठक आयोजित नही की गई थी एवं 2016-18 के दौरान केवल एक बैठक प्रति वर्ष आयोजित की गई थी।	गठित नही किया
2	सिंडिकेट/ प्रबंधक बोर्ड	यह निम्न कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय का कार्यकारी निकाय है : (i) अध्यादेश बनाना/संशोधित एवं निरस्त करना (ii) विश्वविद्यालयों की संपत्ति एवं निधियों आदि को नियंत्रित एव	गठित (i) सिंडिकेट द्वारा किये गये 10 संशोधनों (नमूना जांच किए गए) को सीनेट के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया (ii) सीनेट में छात्रों का प्रतिनिधित्व	गठित (i) सिंडिकेट में छात्रों का प्रतिनिधित्व नही मिला। (ii) वर्ष 2018-19 के दौरान 6 बैठकों में से केवल एक बैठक आयोजित की गई	(i) विश्वविद्यालय में प्रबंधक बोर्ड सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है। वर्ष 2014-19 के दौरान निर्धारित 20 बैठकों में से केवल छह बैठकें हुई।

		प्रबंधित रखना **बैठकों की आवधिकता** -राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर एवं जेएनवीयू, जोधपुर में दो माह में सामान्यत एक बैठक	नही मिला। (iii) विश्वविद्यालयों के लेखापरीक्षित लेखों को सिंडिकेट के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया।		
3	**निरीक्षण बोर्ड**	(i) यह संबद्धता के लिए आवेदन, अनुमोदन एवं उनके निरीक्षण की व्यवस्था करता है। (ii) यह संस्थानों एवं महाविद्यालयों की अनुमोदन, पहचान एवं संबद्धता के लिए नियम बनाता है। (iii) **बैठकों की आवधिकता** - जब भी आवश्यकता हो।	गठित (i) निजी संबद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण के आयोजन में देरी। (ii) संबद्धता प्रदान करने के लिए संबद्ध महाविद्यालयों में न्यूनतम प्रयोगशाला उपकरणों की सूची का निर्धारण नही करना। (iii) निदेशक, शिक्षा निरीक्षण बोर्ड की बैठक में शामिल नही हुए।	गठित संबद्वता से संबंधित कार्य शैक्षणिक अनुभाग द्वारा किया जा रहा था। यह पाया गया कि निरीक्षण दल निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सूचना प्रस्तुत नही कर रहे थे।	गठित नहीं किया
4	**शैक्षणिक परिषद**	(i) यह शिक्षण एवं परीक्षा के मानकों के संधारण के लिए उत्तरदायी होगा। (ii) अनुमोदन होने पर, अध्ययन एवं पाठयक्रम के कोर्स के नियम बनाना, संशोधित एवं निरस्त करना। **बैठकों की आवधिकता** राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर - वार्षिक जेएनवीयू, जोधपुर एवं जीजीटीयू, बांसवाडा- मासिक बैठक	गठित	गठित वर्ष 2014-19 के दौरान 60 बैठकों में से केवल 13 बैठकें आयोजित की गई थी।	गठित वर्ष 2014-19 के दौरान सात बैठकें आयोजित की गई थी।

5	**राजस्थान विश्वविद्यालय एवं जीजीटीयू में बोर्ड ऑफ़ स्टडीज/जेएनवीयू में कोर्स एवं अध्ययन समिति**	सीनेट एवं शैक्षणिक परिषद को उनके संबंधित विषय में अध्ययन के कोर्स एवं पाठ्यक्रम की अनुशंषा करना। **बैठकों की आवधिकता** – जब भी आवश्यकता हो।	गठित सिलेबस में किए गए वास्तविक परिवर्तनों का विवरण दिए बिना केवल संशोधित सिलेबस को शैक्षणिक परिषद के समक्ष बोर्ड ऑफ़ स्टडीज़ द्वारा सलंग्न किया गया था।	गठित सिलेबस में किए गए परिवर्तनों का विवरण दिए बिना केवल संशोधित सिलेबस को शैक्षणिक परिषद के समक्ष कोर्स एवं अध्ययन समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था।	गठित यद्यपि 2017 में इसका गठन किया गया था, परन्तु विश्वविद्यालयों में कोर्स के किसी सिलेबस को संशोधित नही किया गया था।
6	**महाविद्यालय विकास परिषद**	यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय विकास परिषद, यूजीसी को महाविद्यालयों एवं शिक्षकों के प्रस्ताव की अनुशंषा करता है। महाविद्यालय विकास परिषद, यूजीसी एवं महाविद्यालयों के मध्य महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओ में सुधार के लिए एवं विभिन्न तरीकों से शिक्षकों एवं छात्रों के लाभ के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।	गठित (i) महाविद्यालय विकास परिषद ने 2014-19 के दौरान यूजीसी के अनुदान के लिए महाविद्यालयों से कोई प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किया। तथापि, महाविद्यालयों ने अपने प्रस्ताव यूजीसी को स्वयं भेजे। (ii) महाविद्यालय विकास परिषद द्वारा महाविद्यालयों के प्रस्ताव की अनुशंषा नही करने के कारण, यूजीसी द्वारा महाविद्यालयों को स्वीकृत अनुदान 2014-15 में ₹ 2.64 करोड से घटकर 2018-19 में शून्य हो गया।	गठित (i) महाविद्यालय विकास परिषद की स्थापना 2016 में हुई। महाविद्यालय विकास परिषद के निदेशक जिन्हे जून में नियुक्त किया गया था, बाद में निधियों की कमी के कारण अक्टूबर 2017 में हटा दिया गया। (ii) महाविद्यालय विकास परिषद के लिए सलाहकार समिति का गठन भी नही किया गया था।	गठित नहीं किया

परिशिष्ट - 5.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.6.2.2)

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की निधियां जारी करने में देरी

वर्ष	केंद्र का अंश		राज्य का अंश		एसपीडी को अनुदान जारी करने में देरी (दिनों में)
	राशि (₹ करोड़ में)	राज्य सरकार को जारी अनुदान की तिथि	राशि (₹ करोड़ में)	एसपीडी को जारी अनुदान की दिनांक	
2014-15	3.25	12.01.2015	1.75	31.03.2016	428
2015-16	38.40	30.09.2015	43.60	31.03.2016	167
	27.00	29.12.2015			77
2016-17	44.40	27.12.2016	29.60	17.03.2017	64
2017-18	53.70	19.12.2017	35.80	14.03.2018	69
2018-19	12.00	11.07.2018	8.00	14.08.2018	18
	25.80	30.08.2018	17.20	29.11.2018	75
	10.80	11.10.2018	7.20	27.03.2019	151
	7.50	31.12.2018	5.00	29.03.2019	72
	4.20	07.03.2019	2.80	05.07.2019	104
कुल	227.05		150.95		

एसपीडी – राज्य परियोजना निदेशक

परिशिष्ट- 5.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.6.2)

छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण के नतीजे

क्रम संख्या	सर्वेक्षण प्रश्न	संतुष्ट/अत्यधिक संतुष्ट छात्रों का प्रतिशत	आंशिक रूप से संतुष्ट/असंतुष्ट छात्रों का प्रतिशत
1.	कक्षा में सिलेबस का कितना प्रतिशत हिस्सा पूर्ण हुआ।	62.98	37.02
2.	शिक्षक आपको आपकी अपेक्षित दक्षताओं, पाठ्यक्रम परिणाम और कार्यक्रम परिणाम के बारे में सूचित करते हैं।	81.1	18.9
3.	शिक्षक अवधारणाओं को उदाहरणों और अनुप्रयोगों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं।	80.49	19.51
4.	शिक्षक आपकी शक्तियों की पहचान करते हैं और चुनौतियों का उचित स्तर प्रदान करते हुए आपको प्रोत्साहित करते हैं।	84.7	15.3
5.	शिक्षक आपकी क्षमताओं को पहचानने के योग्य है और उन्हें दूर करने में आपकी मदद करने में सक्षम हैं।	77.72	22.28
6.	संस्था शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की निगरानी, समीक्षा और निरन्तर गुणवत्ता सुधार में छात्रों को शामिल करने का प्रयास करती है।	90.17	9.83
7.	संस्था/शिक्षक छात्र केंद्रित तरीकों जैसे कि प्रायोगिक ज्ञान, सहभागिता अधिगम और समस्या समाधान के तरीकों का उपयोग अधिगम ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं।	88.95	11.05
8.	संस्था/शिक्षकों द्वारा व्यवहारिक, जीवन कौशल और रोजगार कौशल विकसित करने के लिए और आपको कार्य के लिए तैयार करने का प्रयास किया जाता है।	88	12
9.	आपके संस्थान में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की समग्र गुणवत्ता बहुत अच्छी है।	90.04	9.96
10.	शिक्षकों के साथ संतुष्टि।		
(i)	विषय ज्ञान	88.95	11.05
(ii)	शिक्षण क्षमता	84.43	15.57
(iii)	नियमितता / समय की पाबंदी	74.61	25.39
(iv)	मूल्यांकनकर्ता / परीक्षक के रूप में निष्पक्ष	79.91	20.09
(v)	परामर्शदाता/ प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक	76.54	23.46
(vi)	संप्रेषण कौशल	73.42	26.58

क्रम संख्या	सर्वेक्षण प्रश्न	संतुष्ट/अत्यधिक संतुष्ट छात्रों का प्रतिशत	आंशिक रूप से संतुष्ट/असंतुष्ट छात्रों का प्रतिशत
11.	शिक्षण विधियों पर संतुष्टि		
(i)	व्यवहारिक कक्षाएं	75.09	24.91
(ii)	असाइनमेंट/कार्य परियोजनाएं	71.18	28.82
(iii)	सेमीनार/समूह चर्चा	68.07	31.93
(iv)	अतिरिक्त कोचिंग/कक्षाएं	56.23	43.77
(v)	आईसीटी आधारित शिक्षण (पीपीटी/वीडियो आदि)	44.98	55.02
(vi)	वास्यान	82.15	17.85
12.	प्रवेश प्रक्रिया में संतुष्टि		
i.	विवरणिका या संस्था की वेबसाइट में सूचना की उपलब्धता	82.85	17.15
ii.	संस्था में विषयों की पसंद में मार्गदर्शन	79.39	20.61
iii.	शुल्क भुगतान प्रक्रिया	81.71	18.29
iv.	प्रवेश में उचित चयन मानदंड	81.80	18.20
13.	परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ संतुष्टि।		
i.	प्रश्न पत्रों के पैटर्न	87.11	12.89
ii.	व्यवहारिक/ब्राह्य मौखिक परीक्षा	74.69	25.31
iii.	नतीजों की समय पर घोषणा	79.43	20.57
iv.	ग्रेडिंग/ अंक प्रणाली	75.88	24.12
v.	पुनर्निर्धारण/ पुनर्मूल्यांकन पद्दति	72.76	27.24
14.	संस्था की पहल		
i.	कैरियर काउंसलिंग	49.43	50.57
ii.	प्लेसमेंट सैल	52.40	47.60
iii.	प्रशिक्षण और इंटर्नशिप	56.49	43.51
15.	छात्रों की समग्र क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आपकी संस्था में अवसरों के साथ संतुष्टि?		
i.	कक्षा में चर्चा	77.46	22.54
ii.	रंगमंच, कला, चित्रकला, संगीत जैसी गतिविधियाँ	72.98	27.02
iii.	खेल और क्रीड़ा	69.61	30.09
iv.	सार्वजनिक मुद्दों पर खुली चर्चा	64.78	35.22
v.	विद्वानों और प्रख्यात व्यक्तियों के साथ बातचीत	69.17	30.83
vi.	परिसर का वातावरण	72.54	27.46
vii.	सामाजिक आउटरीच गतिविधियाँ राष्ट्रीय सेवा योजना	74.52	25.48

क्रम संख्या	सर्वेक्षण प्रश्न	संतुष्ट/अत्यधिक संतुष्ट छात्रों का प्रतिशत	आंशिक रूप से संतुष्ट/असंतुष्ट छात्रों का प्रतिशत
	एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) आदि।		
16.	क्या आप अपने परिसर में उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट हैं		
i.	पुस्तकालय, प्रयोगशाला, शौचालय और परिसर की सफाई	75.11	24.89
ii.	खेल और क्रीड़ा	67.72	32.28
iii.	पीने का पानी	74.12	25.88
iv.	छात्रावास	48.46	51.54
v.	स्वास्थ्य सुविधा	52.19	47.81
vi.	दिव्यांगों के लिए सहायक परिसर	53.11	46.89
vii.	कॉमन कक्ष	68.38	31.62
viii.	छात्रों के लिए शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	63.95	36.05
17.	क्या आप संस्थागत शासन से संतुष्ट हैं?	74.30	25.70
18.	**शासन नीति से संबंधित सर्वेक्षण प्रश्न**	**% छात्र जागरूक थे**	**% छात्र जागरूक नही थे**
(i)	क्या छात्र परिषद का चुनाव होता है?	72.98	27.02
(ii)	क्या आप अपने संस्थान के एंटी-रैगिंग प्रकोष्ठ से अवगत हैं?	42.46	57.54
(iii)	क्या आप अपने संस्थान के यौन उत्पीड़न प्रकोष्ठ से अवगत हैं ?	38.46	61.54
(iv)	क्या आप अपने संस्थान के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ से अवगत हैं ?	33.99	66.01
(v)	क्या आप अपने संस्थान के समान अवसर प्रकोष्ठ से अवगत हैं ?	47.46	52.54
(vi)	क्या आपके संस्थान में स्वाम/मूक/ऑनलाइन कोर्सेज़ अस्तित्व में हैं ?	42.28	57.72
(vii)	क्या आप अपने संस्थान में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली से अवगत हैं ?	34.01	65.99
(viii)	क्या आप अपने संस्थान में छात्र परामर्श केंद्र से अवगत हैं ?	57.63	42.37

परिशिष्ट-5.4

संक्षिप्त शब्दों का सार

आईक्यूएसी	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल
आईसीटी	सूचना व संप्रेषण प्रौद्योगिकी
एआईएसएचई	उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वे
एनएसएस	राष्ट्रीय सेवा योजना
एनसीसी	राष्ट्रीय कैडेट कोर
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एसजेईडी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
एसटी	अनुसूचित जाति
एससी	अनुसूचित जनजाति
ओबीसी	अन्य पिछडा वर्ग
जीईआर	सकल नामांकन अनुपात
जीजीटीयू	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय
जेएनवीयू	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय
टीएडी	जनजाति क्षेत्रीय विकास
डीएसटी	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
डीबीटी	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
नैक	राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
रूसा	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
सीईडीसी	सामुदायिक शिक्षा विकास प्रकोष्ठ
सीबीसीएस	विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली
सीसीटी	सेन्टर फॉर क्न्वर्जिंग टेक्नोलॉजी
एसएलक्यूएसी	राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://www.agraj.cag.gov.in